राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अङ्क ४ | तृतीय विधान सभा के चतुर्थ सत्र, १९६३ का द्वितीय दिवस | संख्या २

मंगलवार, दिनांक २० अगस्त, १९६३

———

विधान सभा की बैठक म. प. २-३१ बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

———

तारांकित प्रश्नोत्तर

[आयुर्वेद, सार्वजनिक निर्माण, विधि, समाज कल्याण, गृह, सिचाई, यातायात, श्रम तथा विद्युत–विभाग]

प्रश्न संख्या ४१

श्री अध्यक्ष : श्री विजयसिंह झाला।

(अनुपस्थित)

नेक्स्ट, श्री विठ्ठल।

डामर रोड बनाने का ठेका

४२. **श्री विठ्ठल** (बांसवाड़ा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

जिला बांसवाड़ा, तहसील बांसवाड़ा, में बांसवाड़ा से रतलाम रोड पर ग्राम दानपुर के पास में डामर रोड बनाने का ठेका कितने महीने की शर्त पर दिया गया था और क्या यह सड़क बन चुकी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उप-मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : अध्यक्ष महोदय, इसका उत्तर अभी नहीं आ सका है इसलिये इसका उत्तर अगले टर्न पर दे दिया जावेगा।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : आपने क्या कहा, सुनाई नहीं दिया साहब।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : अभी इस प्रश्न का उत्तर आया नही है, इसलिये अगले टर्न पर इसका उत्तर दे दिया जावेगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री विठ्ठल : अध्यक्ष महोदय, कब तक जवाब दे दिया जावेगा।

श्री अध्यक्ष : अगले सप्ताह में आपके इस प्रश्न का उत्तर दे दिया जावेगा।

(विराम)

नेक्स्ट।

बाड़ी प्रोपर में मुन्सिफ मजिस्ट्रेट की नियुक्ति

४३. श्री रघुवीरसिंह (बाड़ी) : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या बाड़ी प्रोपर में (जिससे कि सरमथुरा, बसेड़ी, व सेपउ नजदीक पड़ते हैं) मुन्सिफ मजिस्ट्रेट नियुक्त करने की प्रार्थना सरकार के विचारधीन है ? अगर हां, तो कब तक नियुक्ति की जावेगी ?

(२) मुन्सिफ मजिस्ट्रेट, धौलपुर की अदालत में बाड़ी, बसेड़ी, सेपउ एवं सरमथुरा के कितने केस पिछली साल में दायर हुए ? सूचना की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उप-मन्त्री, विधि (श्री परसराम मदेरणा) :— (१) जी हां, धौलपुर से एक मुन्सिफ मजिस्ट्रेट की कोर्ट का बाड़ी में रखा जाने का प्रश्न विचारधीन है। शीघ्र ही इस पर निर्णय लिया जायगा।

(२) मुन्सिफ मजिस्ट्रेट, धौलपुर की अदालत में सिविल और क्रिमिनल मुकदमे सन् १९६२ में निम्न प्रकार थे :

क्रम सं०	तहसील पुलिस स्टेशन का नाम	सिविल	क्रिमिनल
(१)	बाड़ी तहसील	६२	१२४
(२)	बसेड़ी पुलिस स्टेशन	१४	५७
(३)	सरमथुरा पुलिस स्टेशन	५	२७
(४)	सेपउ सब तहसील	८२	१८४
		१६३	३९२

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : मुन्सिफ मजिस्ट्रेट की नियुक्ति के लिए मिनिमम कितने केसेज़ होने चाहिये ?

श्री परसराम मदेरणा : कम से कम ५०० केसेज ।

श्री रघुवीरसिंह : क्या हाई कोर्ट से कमेन्ट्स मांगी गई ?

श्री परसराम मदेरणा : जी हां।

श्री रघुवीरसिंह : क्या हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : पहले तो कमेन्ट्स भेजे थे उसमें केसेज कम थे, इसलिए हाई कोर्ट ने कमेन्ट्स भेजे वे फेवरेबल नहीं थे। उसके बाद बार एसोसियेशन का रिप्रेजेन्टेशन आया। क्योंकि उसमें चाही गई संख्या साल भर की तीन साल के एवरेज केसेज़ की ५०० के आस-पास है इसलिए यह मसला हाईकोर्ट के सामने है।

श्री रघुवीरसिंह : क्या यह आशा की जावे कि वहां पर मुन्सिफ कोर्ट जल्दी से जल्दी खुल जावेगी ?

श्री परसराम मदेरणा : हाई कोर्ट के सामने यह मसला है। हम आशा करते हैं कि ५०० के आस-पास केसेज़ की संख्या है इसलिये वहां पर मुन्सिफ मजिस्ट्रेट के लिये, हाई कोर्ट के कमेन्ट्स आने के बाद सरकार कार्यवाही करेगी।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवा महल, जयपुर) : अदालत किस जगह कायम होनी चाहिये, इसके लिए निर्णय राज्य सरकार करती है या हाई कोर्ट करती है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री भानुप्रसाद कराड़िया।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न जो बाढ़दारजी ने पूछा है, बहुत इम्पोर्टेन्ट प्रश्न है, इसका जबाब तो मिलना चाहिये।

विधि मन्त्री (श्री मथुरादास माथुर) : अदालत किस जगह कायम होनी चाहिये, यह तो राज्य सरकार तय करती है लेकिन हाई कोर्ट से राय जरूर लेती है।

प्रश्न संख्या ४४.

श्री अध्यक्ष : श्री भानुप्रसाद कराड़िया।

(अनुपस्थित)

श्री भीमसेन।

डकैत

४५. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राजस्थान राज्य में अथवा उसके पड़ौस के राज्यों में ऐसे कितने डकैतों के गिरोह हैं जो इस राज्य में वारदातें करते हैं ?

(२) हाल ही में कितने गिरोहों का सफाया किया गया है एवं कितने गिरोह अभी तक बाकी हैं ?

(३) क्या हाल ही में जिला जैसलमेर में कुछ डकैतों द्वारा आत्म-समर्पण भी किया गया ? अगर हां, तो किन-किन के द्वारा तथा उनसे क्या हथियार बरामद हुए ?

(४) ऐसे कितने डकैतों ने आत्म-समर्पण किया, जिनके पास कोई हथियार नहीं थे ?

(५) उपरोक्त डकैतों का सफाया करने अथवा आत्मसमर्पण कराने में किन-किन पुलिस कर्मचारियों ने योगदान दिया तथा उन्हें किस प्रकार सम्मानित किया गया अथवा इनाम दिये गये हैं ?

उप-मन्त्री, गृह (श्री भीमसिंह) : (१) ऐसे लगभग १० गिरोह हैं।

(२) सन् १९६२ एवं १९६३ में कुल २२ गिरोह सक्रिय थे। इनमें से करीब १२ गिरोह का सफाया हो गया है एवं १० बाकी हैं। जिनमें ३ गिरोह तो राजस्थानी हैं एवं शेष में से १ पाकिस्तानी एवं ६ पूर्वीय पड़ौसी राज्यों के हैं।

(३) कुल १९ डकैतों ने आत्म-समर्पण किया जिनमें हथियार एक के भी पास नहीं थे। इनके नाम इस प्रकार हैं :

(१) इन्द्रसिंह (२) नखतसिंह (३) करनिया (४) चन्दनसिंह (५) भंवरसिंह (६) माधिया (७) बिलालीया (८) कछुबसिंह (९) करनसिंह (१०) गंगासिंह (११) कानसिंह (१२) असरफिया (१३) जमालिया (१४) लाद खां (१५) बहादुरिया (१६) हसन (१७) भागसिंह (१८) भूरसिंह (१९) हाथीसिंह।

(४) उपरोक्त १९ ही डकैत।

(५) आत्म-समर्पण करने के सम्बन्ध में ५७ पुलिस कर्मचारी एवं १८ जनता के व्यक्तियों को इनाम देने का मामला विचाराधीन है। डकैतों का सफाया करने के सम्बन्ध में सन् १९६२ एवं १९६३ से अब तक कुल रु० ३,७४३) का पुरस्कार १७९ पुलिस

(श्री भीमसिंह)
कर्मचारियों एवं १० जनता के व्यक्तियों के लिये स्वीकार किया गया है।

श्री भीमसेन : ये जो डकैत हैं जिन्होंने आत्म-समर्पण किया है उनके खिलाफ डकैती के केसेज़ रजिस्टर्ड थे ?

गृह मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : थे।

श्री भीमसेन : किन किन के खिलाफ थे।

श्री मथुरादास माथुर : सभी के खिलाफ थे।

एक माननीय सदस्य : कोई हथियार बरामद नहीं हुए तो फिर वे डाकू कैसे हुए ?

श्री मथुरादास माथुर : उन्होंने आत्म-समर्पण किया उस समय हथियार लेकर नहीं आये थे। वे आत्म-समर्पण करने के लिये आये थे कोई झगड़ा करने के लिये नहीं आये थे। इसलिये हथियार लेकर नहीं आये थे। उनके पास कोई हथियार नहीं थे।

श्री कुमारानन्द (ब्यावर) : गृह मंत्री ने आबू में स्टेटमेंट दिया था उसमें कहा था कि डाकुओं का सफाया हो गया है। फिर यह कैसे हुआ ?

श्री मथुरादास माथुर : उसके बाद में कोई डाका नहीं पड़ा।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : जिन डकैतों ने आत्म-समर्पण किया है, उनका उनके खिलाफ रजिस्टर्ड केसेज़ में चालान भी आत्म-समर्पण करने के बाद किया गया है ?

श्री मथुरादास माथुर : इन सब डकैतों के खिलाफ इन्वेस्टीगेशन चालू हैं। मेरे ख्याल से कुछ के खिलाफ चालान पेश कर दिया गया हो, यह मैं तसल्ली से नहीं कह सकता। लेकिन इतना कह सकता हूं कि उनके खिलाफ इन्वेस्टीगेशन चल रहे हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : कितने अर्से में उनके खिलाफ जो इन्वेस्टीगेशन है वह कम्पलीट हो जावेगा।

श्री मथुरादास माथुर : मैंने कहा कि मैं तसल्ली से नहीं कह सकता कि केसेज़ की क्या स्टेज है। मुझे मालूम नहीं, लेकिन जल्दी इस काम को किया जावेगा।

श्री अध्यक्ष : श्री गंगाराम।

एक माननीय सदस्य : डकैतों के पास हथियार तो होंगे....

श्री अध्यक्ष : श्री गंगाराम।

श्री गंगाराम चौधरी (गुढ़ामालानी) : क्या उनसे चोरी का माल बरामद किये जाने का सरकार ने कोई प्रयत्न किया है ?

श्री मथुरादास माथुर : जिन लोगों ने आत्म-समर्पण किया है उन लोगों ने शरीर का आत्म-समर्पण किया है, न माल का किया है न हथियारों का किया है। उन्होंने आत्म-समर्पण शरीर का किया है। केसेज़ सन् ३९, ४०, ४१ व ४२ के हैं। उन्होंने माल का व हथियारों का आत्म-समर्पण नहीं किया है। उन्होंने अपने जिस्म का आत्म-समर्पण किया है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : क्या सरकार की तरफ से उन डकैतों को, जिन्होंने आत्म-

Page No.5

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

समर्पण किया है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई एश्योरेन्स तो नहीं दिया गया है कि उनके चालान नहीं किये जावेंगे।

श्री मथुरादास माथुर : कतई नहीं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : आपको भली भांति मालूम है कि पहले भी जिन डकैतों ने आत्म-समर्पण किया था उनमें बहुतसों के खिलाफ चालान पेश किया, उसमें जुर्म उनके खिलाफ साबित नहीं हुआ, और केसेज़ असफल रहे।

श्री मथुरादास माथुर : मैं यह कहना चाहता हूं कि कोई भी एश्योरेन्स उनको नहीं दिया गया कि उनके चालान नहीं होंगे। जो जुर्म इन्वेस्टीगेशन से साबित हो जावेगा उसमें सजा दी जावेगी। पुराने केसेज में आइडेन्टीफिकेशन आदि नहीं हो पाते हैं और ऐसे केसेज में डकैत बरी हो जाते हैं। क्योंकि ऑर्डिनरी केसेज में भी लोग साबित नहीं कर पाते तो ये तो डकैती के केसेज हैं। इसलिये डकैत ऐसे जुर्मों में बरी हो जाते हैं। इन्वेस्टीगेशन में जो भी होगा वह होगा।

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल (बयाना): गृह मंत्रीजी ने अभी बताया था कि जब आपने आबू में स्टेटमेंट दिया है उसके बाद एक भी डकैती नहीं पड़ी है, पर भरतपुर के विलसमा गांव जहां अपहरण और डकैतियों की घटनाएं हुई हैं क्या गृह मंत्री जी उधर ध्यान देने की कृपा करेंगे और धौलपुर, भरतपुर के इलाकों में डकैतों की समस्या पुलिस वालों की तरफ से बनाई हुई है और इसमें उनका षडयन्त्र है, इसकी ओर भी ध्यान देंगे।

श्री मथुरादास माथुर : आपने जेसलमेर और बोर्डर की बात पूछी थी, धौलपुर और भरतपुर के बारे में राज्य सरकार जागरूक है और पूरी तरह कोशिश की जा रही है कि मध्यभारत और इन इलाकों में जो डेकोइट पार्टीज़ ओपरेट करती हैं उनका जल्दी से जल्दी सफाया किया जाय।

श्री मानिकचन्द सुराणा : जिन डेकोइट्स ने आत्म-समर्पण किया है उनके विरुद्ध केसेज़ की इन्वेस्टिगेशन में दो-चार महीने का समय लग सकता है तो इन्वेस्टिगेशन समाप्त होने के बाद गृह मंत्री जी तीन-चार महीने बाद में, नेक्स्ट सैशन में स्टेटमेंट दें कि कितने डेकोइट्स के खिलाफ चालन पेश किये गये, कितनों के खिलाफ चालान पेश नहीं किये गये और कितने चालान होने के बावजूद भी अदालतों में बरी हो गये क्योंकि जितने सरेंडर हुए हैं, उनके सरेंडर होने के बाद में पुलिस ऑफिसर्स का रवैया बहुत मुलायम हो गया था और जितने डाकुओं ने सरेंडर किया उनके खिलाफ सख्ती से कार्यवाही नहीं की जा रही है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि होम मिनिस्टर साहब एक स्टेटमेंट दें कि कितनों का चालान किया गया और कितनों की फाइनल रिपोर्ट दी गई।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री मुरलीधर व्यास।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल बाजार, जयपुर) : एक प्रश्न और। क्या यह सही है कि आबू

(श्री भैरोंसिंह)

में माननीय गृह मंत्रीजी के स्टेटमेंट देने के बाद में जैसलमेर के रामगढ़ थाने में डकैती पड़ी ?

श्री मथुरादास माथुर : नहीं पड़ी ।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' (अकलेरा-सु) : एक प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री मुरलीधर व्यास ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो स्टेटमेंट देने के सम्बन्ध में कहा उस पर माननीय गृह मंत्रीजी ने कोई उत्तर नहीं दिया ।

श्री अध्यक्ष : आप चार-छः महीने बाद की बात कहते हैं ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : चार-छः महीने का तो इसलिए कहा है कि मुमकिन है इन्वेस्टिगेशन में ज्यादा समय लग सकता है ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य को हर समय अधिकार है पूछने का, वे जब चाहें पूछ सकते हैं कि कितनों का चालान हुआ ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : पर यह बाइन्डिंग होम मिनिस्टर साहब दें ।

श्री अध्यक्ष : बाइन्डिंग दें या न दें, आप जब चाहें पूछ सकते हैं ।

श्री मथुरादास माथुर : सदन के सामने तथ्य पहले भी आये हैं अब भी जब यह इन्वेस्टिगेशन कम्पलीट हो जाय तो आप पूछ सकते हैं । सदन में अगर तथ्य नहीं आये तो आप आकर पूछ सकते हैं ।

एक माननीय सदस्य : क्या ......

श्री अध्यक्ष : Order please ! Next

शिड्यूल्ड कास्टस एण्ड ट्राइब्स रिसर्च संस्था

४६. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर) : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या राजस्थान में अनुसूचित जातियों सम्बन्धी शिड्यूल्ड कास्टस एण्ड ट्राइब्स रिसर्च संस्था है ?

(२) यदि हां, तो वह कब से कार्य कर रही है तथा उसके जरिये अब तक कितना रुपया खर्च हुआ है तथा उसने क्या कार्य किया है ?

उप-मंत्री, समाज कल्याण (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : (१) जी नहीं ।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री मुरलीधर व्यास : इस प्रकार की संस्था नहीं है तो क्या सरकार महसूस करती है कि इस प्रकार की संस्था कायम की जाय ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री ढाबरिया ।

सरेरी बांध का पानी

४७. **श्री उमरावसिंह ढाबरिया** (बनेड़ा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या ग्राम रायला (तहसील बनेड़ा)

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

की जनता ने सरेरी बांध का पानी रायला ग्राम में देने के लिए सरकार से प्रार्थना की है ?

(२) क्या यह सही है कि सरेरी बांध का पानी लिफ्ट इरिगेशन द्वारा रायला के खेतों तक पहुंचाया जा सकता है ? अगर हां, तो सरकार इस पर क्या विचार रखती है ?

उप-मंत्री, सिंचाई (श्री दिनेशराय डांगी) : (१) जी हां। प्रार्थना-पत्र बहुत समय पहले आया था उसका जवाब भी दिया जा चुका है।

(२) सरेरी बांध के पानी के लेवल से रायला ग्राम बहुत ऊंचा है। लिफ्ट इरिगेशन से पानी देना बहुत महंगा पड़ता है, अतः यह कार्यान्वित नहीं किया जा सकता।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : क्या यह सही है कि रायला के अन्दर हाई स्कूल का उद्घाटन करते समय मुख्य मन्त्रीजी ने आश्वासन दिया था कि आपके द्वारा मांग आने पर लिफ्ट इरिगेशन से पानी दिया जायगा।

श्री दिनेशराय डांगी : इसकी जानकारी विभाग के पास नहीं है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : मैं स्वयं वहां पर मौजूद था। मुख्य मंत्रीजी ने आश्वासन दिया था और पंचायत समिति ने भी प्रस्ताव किया है कि इस प्रकार लिफ्ट इरिगेशन हो सकता है। मुख्य मंत्रीजी ने खुद ने कहा है, फिर आप कैसे कहते हैं कि लिफ्ट इरिगेशन से वहां पानी नहीं जा सकता।

श्री अध्यक्ष : Next

रंगरूटों की भर्ती

४८. श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) पुलिस में रंगरूटों की भर्ती करने के क्या-क्या आधार हैं ?

(२) पुलिस में रंगरूटों की भर्ती करने के आधारों का पालन कहां तक किया जाता है ?

(३) क्या यह सच है कि जिला बाड़मेर व जिला जालौर में रंगरूटों की भर्ती पिछले पांच सालों में निर्धारित ऊंचाई (हाइट) व चौड़ाई (चेस्ट) को रिलेक्स करके की गई है ? अगर हां, तो ऐसे रंगरूटों के नाम बताने की कृपा करें ? निर्धारित आधारों को छोड़ कर भर्ती क्यों की गई और उसका जिम्मेवार कौन है ? वह गलती कब तक दुरस्त की जा सकेगी ?

(४) अगर रंगरूटों की निर्धारित ऊंचाई को रिलेक्स करके भी भर्ती की जा सकती है तो श्री जेताराम रंगरूट जो जालोर पुलिस में भर्ती किया गया था उसकी मन्जूरी आई० जी० पुलिस ने क्यों नहीं दी जब कि वह मिडल पास था और दूसरे भर्ती किए हुए रंगरूटों से ज्यादा क्वालिफाइड था ? क्या सरकार उसको वापिस उसी तिथि से नियुक्त करने का पुनः विचार करेगी जिस तिथि से उसको डिस्चार्ज किया ?

उप-मन्त्री, गृह (श्री भीमसिंह) : (१) पुलिस में कॉन्सटेबलों की भर्ती के आधार नीचे दिये जाते हैं :

(श्री भीमसिंह)

(१) ऊंचाई ५ फीट ६ इंच।

(२) चौड़ाई (सीना) ३२ इंच ३४ इंच।

(३) मिडल क्लास तक शिक्षित होना।

(४) डॉक्टरी मायने में उपयुक्त होना।

(५) चाल-चलन अच्छा होना।

(२) उपरोक्त आधार आवश्यक हैं। विशेष परिस्थिति में आई० जी० पी० को इच्छानुसार रियायत देने का अधिकार है, तथा शिड्यूल्ड कास्ट व शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिये भी रियायत बरती जाती है।

(३) जी हां। जालोर जिले के सर्व श्री अमरसिंह व सुखसिंह एवं बाड़मेर जिले में सर्व श्री चेतनाराम, लखसिंह, त्रिलोकचन्द, मोहनलाल, नारायणदास, एवं रामलाला को ऊंचाई व सीने की नाप से छूट देकर भर्ती किया गया। इनमें से जालोर के दोनों रंगरूटों की भर्ती आई० जी० पी० की स्वीकृति से की गई थी। बाड़मेर जिले के ६ रंगरूटों की भर्ती बिना आई० जी० पी० की मन्जूरी के की गई, जिसके लिये सम्बन्धित अधिकारियों से जांच की जा रही है। यदि जांच से तथ्य सही पाये गये तो राज्य सरकार इस मामले में हस्तक्षेप करेगी।

(४) आई० जी० पी० के सामने जैताराम को भरती करने के लिये कोई विशेष परिस्थिति नहीं थी। सर्व श्री अमरसिंह एवं सुखसिंह से जैताराम शैक्षणिक (एज्युकेशनल) कम योग्यता रखते थे और शारीरिक बयान में भी कम था इसलिये आई० जी० पी० ने उनकी मंजूरी नहीं दी।

आई. जी. पी. के निर्णय में राज्य कोई हस्तक्षेप करना नहीं चाहता।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : क्या यह सही है कि जेताराम की क्वालिफिकेशन इन दोनों रंगरूटों से ज्यादा थी ?

श्री भीमसिंह : उनसे कम थी।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : दोनों की क्वालिफिकेशन क्या थी ?

श्री भीमसिंह : अमरसिंह—मेट्रिक प्लक्ड और सुखसिंह मेट्रिक।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : और जेताराम एट्थ क्लास था।

श्री भीमसिंह : माननीय सदस्य को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि मेट्रिक मिडल से ज्यादा होती है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : एस० पी० डी० आई० जी० ने दोनों ने कर लिया और उसने ६ महीना ट्रेनिंग पाई, ८ महीने नौकरी में रहा। ८ महीने बाद आई० जी० पी० हुक्म भेजते हैं कि इसको निकाला जाय और फिर यह कहा जाय कि उसकी आठ महीने की तनख्वाह वसूल की जाय, तो यह कहां तक ठीक है ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री भैरवलाल 'कालाबादल'।

आदिवासियों के कल्याण हेतु कार्य

४६. श्री भैरवलाल 'कालाबादल' (अकलेरा-सु०) : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

कोटा, बूंदी और झालावाड़ जिलों में सन् ५७ से ६१ तक समाज कल्याण विभाग द्वारा आदिवासियों के कल्याण हेतु क्या क्या कार्य किये गये और उन कार्यों में कितनी २ धनराशि खर्च की गई है ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उप-मंत्री, समाज कल्याण (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : कोटा, बूंदी और झालावाड़ जिलों में सन् १९५७ से १९६१ तक समाज कल्याण विभाग एवं पंचायत समितियों द्वारा आदिवासियों के कल्याण हेतु जो कार्य किये और उन पर जितनी धन राशि खर्च हुई उसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : यह सूची पढ़ने में नहीं आती, इसलिये पढ़कर सुना दें तो अच्छा है।

(विराम)

क्या इस धनराशि में वह धनराशि भी शामिल है जो समाज कल्याण विभाग द्वारा इन अनुसूचित जनजातियों की सेवार्थ दी गई है ?

समाज कल्याण मन्त्री (श्री भीखाभाई): यह लिखा हुआ है, समाज कल्याण विभाग द्वारा।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : प्राइवेट संस्थाओं को दी गई है वह धनराशि भी इसमें शामिल है या नहीं ? 'हां' या 'ना' कह दीजिये।

श्री भीखाभाई : पंचायत समिति द्वारा दी गई है वह है।

श्री भैरोंसिंह : वह भी समाज कल्याण विभाग द्वारा ही दी जाती है, वह खर्चा भी समाज कल्याण विभाग के खर्चे में ही शामिल होता है ?

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय कहते हैं कि पंचायत समिति द्वारा यह खर्चा किया गया।

श्री भैरोंसिंह : समाज कल्याण विभाग भी खर्चा करता है। समाज कल्याण विभाग पंचायत समितियों को भी देता है और प्राइवेट संस्थाओं को भी देता है। मेरा प्रश्न यह है कि प्राइवेट संस्थाओं को जो धनराशि दी जाती है वह इसमें शामिल है या नहीं ?

श्री भीखाभाई : जो सवाल है वह साफ है।

श्री अध्यक्ष : Order please ! जो पूछा है वह भी साफ है। बिल्कुल छोटा सा प्रश्न है कि प्राइवेट संस्थाओं को जो धनराशि दी जाती है वह इसमें शामिल है या नहीं ?

श्री भीखाभाई : जी नहीं, वह नहीं है। सिर्फ पंचायत समितियों को........

श्री भैरोंसिंह : कह दें कि नहीं है। आप कह दीजिये कि वह खर्चा उसमें शामिल नहीं है।

श्री अध्यक्ष : फिर कह दीजिये।

श्री भीखाभाई : आप स्टेटमेंट देख लीजिये।

श्री भैरोंसिंह : सवाल केवल इतना सा है कि प्राइवेट संस्थाओं को जो सहायता देते हैं वह इसमें शामिल है या नहीं ? आप 'हां' या 'ना' में बता दीजिये।

श्री भीखाभाई : मैंने साफ कहा है कि नहीं है। कोटा जिले के लिये कितना प्रावधान है और कितना खर्चा हुआ है, इसके साथ में १८ आइटम्स बताये गए हैं, हर आइटम्स में प्रावधान बताया गया है और एक्स्पेन्डिचर भी बताया गया है।

श्री भैरोंसिंह : उन्होंने सवाल पूछा है कि समाज कल्याण विभाग द्वारा आदिवासियों के कल्याण हेतु कुल कितना खर्च हुआ है ? जब पंचायत समिति और विभाग का बताते हैं तो मेरा सवाल यह है कि प्राइवेट संस्थाओं को दिया गया अनुदान भी इसमें शामिल है या नहीं, उसको शामिल किया गया है या नहीं ?

श्री भीखाभाई : यदि आप यह सवाल करते कि वॉलन्टियर एजेन्सीज़ का कितना रुपया किस किस काम में लगाया गया है तो मैं बता देता। फिर भी माननीय सदस्य चाहते हैं तो वे इस प्रकार का प्रश्न करेंगे मैं उनको बता दूंगा।

श्री भैरोंसिंह : आप इधर उधर करने की कोशिश न करें। सवाल पूछने का सवाल नहीं है। यह पूछा गया है कि आदिवासी और जनजातियों के लिए कुल कितना खर्चा हुआ ? प्राइवेट संस्थाओं को जो धनराशि देते हैं वह भी उसमें शामिल है या नहीं ? सीधा सा प्रश्न है। आप 'हां' या 'ना' में इसको बता दीजिए।

श्री भीखाभाई : यह है कि विभाग द्वारा क्या क्या कार्य किये गये हैं।

श्री भैरोंसिंह : पंचायत समितियां आप की एजेन्सी नहीं हैं, समाज कल्याण विभाग की एजेन्सियां नहीं है। यदि आप उसको अपने विभाग का अङ्ग मानकर चलते हैं तो प्राइवेट संस्थाओं को जो अनुदान दिया गया है उसकी धनराशि भी इसमें शामिल है या नहीं ?

श्री भीखाभाई : माननीय सदस्य ने वक्तव्य निकाला है ....

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री इस प्रश्न को टालना चाहते हैं और दूसरी ओर मुड़ गये हैं। उनको अपने विभाग का कुछ भी ज्ञान नहीं है।

श्री भीखाभाई : कुल जो खर्चा हुआ है, हमारे द्वारा कोई काम नहीं होता है, आपको मालूम होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : यही तो वे कहते हैं।

श्री भैरोंसिंह : यही तो मैं कह रहा हूं कि उनके विभाग के द्वारा काम नहीं होता है। जब पंचायत समितियां काम करती हैं और इसमें उनको इन्क्ल्यूड किया है तो प्राइवेट संस्थाओं को क्यों नहीं इन्क्ल्यूड किया है ?

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : मंत्री महोदय यह बता दें कि प्राइवेट संस्थाओं द्वारा इतना खर्च हुआ। इसमें यह भी है कि विभाग द्वारा और पंचायत समिति द्वारा ये दोनों अलग अलग कैसे हैं ?

श्री अध्यक्ष : श्री हरिप्रसाद।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : पंचायत समिति द्वारा तो खर्चा बता रहे हैं और विभाग का और भी बता रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री हरिप्रसाद।

बूंदी के खटकड़ मायजा होकर बसें और मोटर गाड़ियों का आवागमन

५०. श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि बूंदी के खटकड़ मायजा होकर पाटन तक बसें व मोटर गाड़ियों के आने-जाने का परमिट सरकार ने दे रखा है ?

(२) क्या यह सही है कि गत वर्ष से बूंदी से खटकड़ मायजा होकर पाटन रोड पर बसें व मोटर गाड़ियों का आना-जाना बन्द है ? यदि हां, तो क्यों ?

(३) क्या सरकार के पास ग्राम जनता व प्रतिनिधियों के द्वारा शीघ्र व्यवस्था करवा कर मोटरें चालू करवाने हेतु मांग की गई थी ?

उप-मंत्री, यातायात (श्री भीमसिंह) : (१) जी हां।

(२) केवल बरसात के मौसम के अलावा गाड़ियां बूंदी से पाटन वाया खटकड़ मायजा तक नियमित रूप से चलती हैं।

(३) जी हां।

श्री कृष्णगोपाल गोयल (कोटा) : आपके हिसाब से ये बसें कब से बरसात में बन्द हैं। आप कहते हैं कि सड़क बरसात में बन्द रहती है ?

श्री अध्यक्ष : श्री गोकुलप्रसाद।

श्री बृजसुन्दर शर्मा (बूंदी) : क्या यह सही है कि अब भी बरसात में पाटन से खटकड़ मायजा होकर बूंदी बसें जाना बंद हैं।

श्री भीमसिंह : बरसात होने से बन्द हो गई।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : क्यों बन्द हो गयी, जब पक्की सड़क वहां पर है ?

श्री भीमसिंह : इसकी जांच कर ली जायगी।

श्री नत्थीसिंह (गोविन्दगढ़) : जब आप 'जी हां' फरमा रहे हैं तो फिर बन्द क्यों हैं बसें ?

श्री भैरोंसिंह : On apoint of privilege, Sir, अध्यक्ष महोदय, अभी पहले वाले सवाल के उत्तर में माननीय मंत्री, जिनको इस बात का बड़ा गर्व है कि उनको अपने विभाग की बहुत जानकारी है, बहुत ज्ञान है, ने बताया कि स्वयं-सेवी संस्थाओं को जो

(श्री भैरोंसिंह)

अनुदान दिया है वह इसमें शामिल नहीं है। लेकिन मैं सदन को बताऊं, अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा कि वह अनुदान इसमें शामिल है। इस लिस्ट में शामिल है।

गृह मन्त्री (श्री मथुरादास माथुर) : आपका काम हो गया।

श्री भैरोंसिंह : जिनको इस बात का बड़ा गर्व है कि उनको अपने विभाग की बहुत नोलेज है इसलिए मैं उनको यह बता रहा हूं। वे जवाब पढ़ कर आयें जरा।

श्री भीखाभाई : मैंने यह कहा, जो यह स्टेटमेंट है जो इसमें है वह है।

श्री भैरोंसिंह : आपने कहा कि नहीं है। अब विभाग का ज्ञान आपको है या नहीं यह इससे पता चल जाता है।

श्री भीखाभाई : मैंने यह कहा कि स्टेटमेंट था वह रख दिया गया है।

श्री भैरोंसिंह : यह बहुत अच्छा है ११००) रु० मिल रहे हैं उनको लेते जाओ और आराम करो।

श्री अध्यक्ष : श्री गोकुलप्रसाद।

भीलवाड़ा में कत्ल के मामले

५१. श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) भीलवाड़ा जिले में १ अप्रेल, १६६२ से ३१ मार्च, १६६३ तक के वर्ष में कितने कत्ल हुए ?

(२) कत्ल के कितने मामलों में कातिल अभी तक पकड़े नहीं गये ?

उप-मंत्री, गृह (श्री भीमसिंह): (१) भीलवाड़ा जिले में अप्रेल ६२ से मार्च, ६३ के काल में कुल १४ कत्ल की घटनायें हुईं।

(२) ऐसे केसेज की संख्या चार है।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : चार कहां कहां के हैं ?

श्री भीमसिंह : १. पुलिस स्टेशन मांडलगढ

२. ,, ,, करेड़ा

३. ,, ,, गंगापुर

४. ,, ,, भीलवाड़ा

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : यह भीलवाड़ा के कोटूकोटा गांव में जहां कि ८०० घरों की बस्ती है, रात्री के ६ बजे एक ही घर में चार को कत्ल करके चले गये और अब तक पुलिस क्या कर रही है ?

श्री भीमसिंह : सी० आई० डी० जांच कर रही है।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : कितने दिन हुए ?

श्री भीमसिंह : जब से वारदातें हुईं।

Page No.13

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : वारदात कब हुई ?

श्री भीमसिंह : ५. ३. ६३ को।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : ५. ३. ६३ के बाद ही भीलवाड़ा कितने अफसर जांच करने के लिए गये ? क्या कर रही है आपकी पुलिस इतने दिनों तक ?

श्री अध्यक्ष : श्री नत्थीसिंह।

लक्ष्मणगढ़ से कठूमर व खेलड़ी तक सड़क

५२. **श्री नत्थीसिंह** (गोविन्दगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) लक्ष्मणगढ़ (अलवर) से कठूमर खेड़ली जाने वाली सड़क पर कितनी मील डामर गिर चुकी है और कितनी मील गिरना बाकी है तथा कब तक गिर जावेगी ?

(२) क्या इस पर डामर डालने का ठेका किसी ठेकेदार को दिया गया है ? अगर हां, तो उसका नाम क्या है और उसको यह ठेका किस तारीख को कितने रुपये का दिया गया है ?

उप-मन्त्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : (१) २३ मील सड़क में से ११॥ मील सड़क पर डामर की जा चुकी है। बाकी ११॥ मीलों पर बाकी है। इस सड़क पर डामर करना योजना में शामिल नहीं है; अतः समय के लिए निश्चित नहीं कहा जा सकता।

(२) कठूमर से खेड़ली की सड़क के मील (१) का ठेका श्री लालाराम ठेकेदार को दिनांक १६. १०. ६२ व मील (३) का ठेका श्रमिक ठेका सहकारी समित लि०, अलवर को दिनांक ६. १. ६३ को क्रमशः ५५७६) रु० व ६३२१)रु० का दिया गया है।

श्री नत्थीसिंह : ठेका कितने रुपयों में दिया गया ?

श्री अध्यक्ष : श्री कुमारानन्द।

ऊन उद्योग के मजदूरों के लिए मिनिमम वेजेज

५३. **श्री कुमारानन्द** (ब्यावर) : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या सरकार ऊन उद्योग के मजदूरों के लिए सारे राजस्थान में मिनिमम वेजेज लागू करने का विचार रखती है ?

(२) अगर हां, तो यह कब तक लागू कर दी जावेगी ?

(३) राजस्थान के ऊनी उद्योग के कितने केन्द्र हैं, और कितने केन्द्रों में मिनिमम वेजेज अधिनियम लागू किया गया है ?

उप मन्त्री, श्रम : श्री भवानीशंकर-नन्दवाना) (१) जी हां !

(२) शीघ्र ही लागू कर दी जायगी।

(३) मुख्य केन्द्र बीकानेर, ब्यावर व केकड़ी हैं अभी पूर्व अजमेर राज्य के अतिरिक्त कहीं पर भी लागू नहीं है।

Page No.14

श्री कुमारानन्द : प्रश्न में यह पूछा है कि मिनिमम वेज कहां-कहां लागू करने की इच्छा है या नहीं और राजस्थान में कितने केन्द्र हैं जहां मिनिमम वेज लागू हैं।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : मैंने जवाब दिया कि लागू करने का इरादा है और जल्दी ही किया जायगा।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत): क्या यह सही है कि पहले भी मिनिमम वेज़ लागू करने के लिए कोई नोटिफिकेशन निकाला गया था ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : पहले जारी नहीं किया गया, अब जारी किया जा रहा है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : आपके उप-मन्त्री बनने से पहले लागू किया गया था।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : इसकी मुझे जानकारी नहीं है। जानकारी करके बता दूंगा।

श्री मानिकचन्द सुराणा : विभाग से जानकारी करें कि कब नोटिफिकेशन जारी किया गया था और गवर्नमेंट के द्वारा कोई एक्शन न होने के कारण लैप्स हो गया और एक महीने में फाइनल हो जाना चाहिये था वह नहीं हुआ। यह जानकारी करके आप कृपया बतायें।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : जानकारी कर लूंगा।

(३. म० प०)

श्री मानिकचन्द सुराणा : क्या आप इसके लिये निश्चित तारीख बताने की कृपा करेंगे कि कब तक यह मिनियम वेजेज़ लागू कर देंगे ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : निश्चित तारीख देना कठिन है क्योंकि पहले नोटिफिकेशन निकालना पड़ता है, उस पर आपत्तियां मांगनी पड़ती हैं, उसमें तीन महीने का समय देना पड़ता है; उसके बाद दूसरी विज्ञप्ति निकालनी पड़ती है। इसलिये निश्चित् समय देना मुश्किल है।

श्री कुमारानन्द : क्या ब्यावर में मिनिमम वेजेज़ एक्ट लागू है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : क्या ब्यावर में मिनिमम वेजेज़ एक्ट लागू हैं या नहीं ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : लागू है।

श्री कुमारानन्द : तो उसके अनुसार वहां पैसे क्यों नहीं मिल रहे हैं ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : यह अलग से प्रश्न है जानकारी करके बता सकता हूं।

श्री अध्यक्ष : Next.

कार्यालय के स्थान परिवर्तन से असुविधा

५४. **श्री जोधसिंह चौहान** (गिरवा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि वाटर वर्क्स

(श्री जोधसिंह चौहान)

अधिशासी अभियन्ता का कार्यालय पहले उदयपुर में सहायक अभियन्ता के आफिस के पास ही था और क्या उसे उस जगह से हटा कर नगर की चार-दीवारी के बाहर फतहपुरा में ले जाया गया है ?

(२) क्या यह सही है कि पहले कार्यालय भवन का मासिक किराया भी कम था और अब अधिक दिया जा रहा है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ? पहले कितना किराया देना पड़ता था और अब क्या देना पड़ रहा है ?

(३) क्या यह सही है कि जनता को कार्यालय दूर ले जाने से काफी असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस असुविधा को दूर करने के लिये कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उप-मन्त्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : (१) जी हां ।

(२) जी हां । पहले कार्यालय में जगह की कमी थी और मकान मालिक ने खाली करने का नोटिस दे दिया था । पहले किराया १००) रुपये था और अब ३००) रु० मासिक है नये कार्यालय में सहायक अभियन्ता ग्रामीण जलदाय योजना का कार्यालय भी आ गया है ।

(३) जी नहीं । प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री जोधसिंह चौहान : क्या इससे जनता को काफी परेशानी नहीं है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : यह प्रश्न नहीं है, असिस्टेन्ट इन्जीनियर का दफ्तर तो गुलाब बाग में ही है ।

श्री जोधसिंह चौहान : मेरे ख्याल में जो फतेहपुर में दफतर ले जाया गया है जो शहर से तीन मील की दूरी पर है । वाटर वर्क्स का विभाग एक दुकान की तरह है इस लिये पांच रुपया भी किसी को जमा करना होता है तो उसको वहां एप्लीकेशन देनी पड़ती है । हालांकि रुपया जमा कराने के लिये भी वहां जाना पड़ता है । दूसरा, जो बिल्डिंग खाली की गई उसमें जगह भी ज्यादा है, उसके अलावा राजमहल भी बहुत नजदीक ही है उसमें बहुत जगह है, उसमें वह कार्यालय रखा जा सकता था । क्या सरकार पुनः इस कार्यालय को फतेहपुरा से हटाने का सोचेगी ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : अध्यक्ष महोदय, जनता का काम तो असिस्टेन्ट इन्जीनियर से पड़ता है और उसका कार्यालय गुलाब बाग में है । एक्ज़ीक्युटिव इन्जीनियर का काम पूरे उदयपुर डिवीज़न से है, उसका कार्यालय अगर दूर रहता है तो इसमें जनता को परेशानी होने का सवाल नहीं है ।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : फतेहपुरा और गुलाब बाग में कितनी दूरी पड़ती है ?

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय खुद स्वीकार कर रहे हैं कि दूरी है । बार बार यही प्रश्न पूछ रहे हैं जब कि प्रश्न का उत्तर दिया जा चुका है । नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या ५५

श्री जयनारायण सालोडिया

(अनुपस्थित)

दुकान खुले रहने का समय

५६. श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(१) क्या यह सही है कि राजस्थान में शॉप्स एण्ड कॉमशियल एस्टेब्लिशमेन्टस् एक्ट, १९५८ के तहत दुकान खुलने के घंटे सर्दियों में १३ और गर्मियों में १४ रखे हैं ?

(२) क्या यह सही है कि दिल्ली में दुकान खुलने के घंटे केवल १० हैं और पंजाब में १०.४५ हैं ? यदि हां, तो राजस्थान में इतना अधिक समय रखने का क्या कारण है ?

(३) क्या सरकार को मालूम है कि अधिक घंटे दुकान खुलने से इन दूकानों पर काम करने वाले कर्मचारियों से गैर कानूनी तौर पर ओवर टाइम काम लेने की भारी गुंजायश पैदा हो जाती है ?

(४) क्या सरकार इस दुकान खुलने के समय में कमी करने पर विचार करेगी ।

उप-मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : (१) जी हां ।

(२) इसकी जानकारी नहीं है । राजस्थान दूकान व वाणिज्य संस्थान अधिनियम की धारा ७ के अन्तर्गत कर्मचारियों के काम करने के घण्टे निर्धारित कर दिये गये हैं । इसलिये दुकान खोलने के समय का कर्मचारियों के काम करने के घण्टों पर कोई असर नहीं होता । इसलिये दुकान खुलने के घण्टों को कम करने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती ।

(३) जी हां ।

(४) ऐसा कोई विचार नहीं है ।

श्री रामानंद अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, जो इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न था वह यह था कि पड़ौसी राज्य है उसके अन्दर काम करने के घण्टे कम हैं । यह सवाल पिछले सेशन से चला आ रहा है । किन्तु सरकार यह जानकारी प्राप्त नहीं कर सकी, वहां पर कम है । तो मेरा यह निवेदन है उसके मुताबिक हमारे राज्य में भी कम किये जायं, इसकी मांग न केवल कर्मचारी ही कर रहे हैं बल्कि दूकानदार लोग भी चाहते हैं कि दस घण्टे का समय कर दिया जाय ।

श्री भवानीशंकर नंदवाना : जो काम के घन्टे यहां तय किये गये हैं वे दुकानदारों के भी हित में हैं और राजस्थान की जनता के हित में भी हैं ।

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : मजदूरों के हित में कैसे है ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : न तो यह दुकानदारों के हित में है और न मजदूरों के हित में है । दुकानें जितनी ज्यादा खुली रहती हैं उतनी ज्यादा उनको हैरेस करने की ऑपोर्चुनिटी मिलती है नाजायज तौर से ओवरटाइम उनसे काम ले सकते हैं । दूकानदार लोगों को कोई एतराज नहीं समय के कम करने में क्योंकि उनके जो ग्राहक होते हैं वे ग्राहक तो इधर-उधर नहीं जायेंगे । इसमें गवर्नमेन्ट को क्या एतराज है १० घंटे का समय कर देने में ।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : ऐसी

(श्री भवानीशंकर नन्दवाना)

मांग दूकानदारों की तरफ से आयगी तो गवर्नमेंट विचार करेगी।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : शोप्स एन्ड कॉमशियल एस्टेब्लिशमेन्ट एक्ट शराब की दूकानों पर लागू नहीं किया है उनको इस एक्ट से एक्जेम्प्शन क्यों दिया हुआ है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : वह इसमें आती नहीं है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : आपने जवाब क्या दिया है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : यह उन पर लागू नहीं है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : क्या सरकार शराब की दूकानों पर यह एक्ट लागू करना वाजिब नहीं समझती है या वहां काम करने वाले कर्मचारियों को वह सुविधायें देना नहीं चाहती जो अन्य दूकानदारों के कर्मचारियों को मिली हुई है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : कोई कर्मचारी वहां रहते ही नहीं हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : शराब की दूकानों पर भी आखिर बेचने वाले कर्मचारी तो होते ही हैं वे।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : वे खुद ही बेचते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या मंत्री महोदय यह आश्वासन देने की कृपा करेंगे कि अगर पड़ौसी राज्य में दूकानों के खुलने का समय कम हुआ तो उसके हिसाब से वे अपने राज्य में भी इस पर पुनर्विचार करने की कृपा करेंगे और उसके समानान्तर लाने का प्रयत्न करेंगे।

श्री अध्यक्ष : Next.

भाखरा की बिजली की दरें

५७. श्री श्योपतसिंह (हनुमानगढ़) : क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राजस्थान में भाखरा से मिलने वाली बिजली के प्रति युनिट क्या चार्जेज है ?

(२) क्या यह सही है कि उपरोक्त चार्जेज पंजाब विद्युत मण्डल के चार्जेज से अधिक हैं ?

(३) यदि हां, तो क्या सरकार राजस्थान विद्युत् मंडल को इन चार्जेज को पंजाब के बराबर करने का निर्देश देगी।

उप-मंत्री, विद्युत (श्री परसराम मदेरणा) : राजस्थान मे भाखरा से मिलने वाली बिजली के निम्नलिखित प्रति युनिट चार्जेज है :

(अ) घरेलू : ला : ३७न० पै० प्रति युनिट
घरेलू (पॉवर) १९ न० पै० प्रति युनिट

(ब) व्यापारिक ३२ न० पै० प्रति युनिट (खपत के साथ परिवर्तनशील)

(स) स्ट्रीट लाइटिंग ३६ से २७ न० पै० प्रति युनिट (लैम्प के वॉल्टेज के साथ परिवर्तनशील)

(द) इन्डस्ट्रीज : १. छोटी २० किलोवाट १३ न० पै० से ९ न० पै० प्रति युनिट (खपत के साथ परिवर्तनशील)

२. माध्यमिक २० किलोवाट से १०० किलोवाट तक ११ न० पै० से ८ न० पै० प्रति युनिट (खपत के साथ परिवर्तनशील)

३. बड़े (१०० किलोवाट ७.५ से ५.५ न० पै० प्रति युनिट से ऊपर) (खपत के साथ परिवर्तनशील)

यदि खपत २० किलोवाट से बढ़ जाती है तो व्यापारिक दरें लोड के अनुसार लगाई जाती हैं।

(श्री परसराम मदेरणा)

१. कृषि के लिये २ आने या १२ न० पै० प्रति युनिट सरकार द्वारा घोषित।

२. जी हां।

३. सरकार के समक्ष ऐसा कोई विचार नहीं है।

श्री श्योपतसिंह : पंजाब में इसके रेट्स कम हैं, क्या सरकार उसी स्तर पर यहां रेट्स लेने पर विचार करेगी ?

श्री परसराम मदेरणा : भाखरा नांगल का जो क्षेत्र आता है उसमें पंजाब से १५ न.पै. रेट्स ज्यादा हैं। इसका कारण यह है कि ये रेट्स सेन्ट्रल वाटर एण्ड पॉवर कमीशन के मेम्बर, श्री आयंगर के चेयरमेनशिप में एक कमेटी बिठाई थी रेट्स के निर्धारण के लिये, उन्होने जो रिकमन्डेशन्स दी हैं उनको प्लानिंग कमीशन ने मन्जूर कर लिया है। प्लानिंग कमीशन द्वारा एप्रूव होने के बाद ये रेट्स लागू की गई हैं। हालांकि दोनों का पावर सोर्स एक ही है, फिर भी राजस्थान में जहां तक बिजली लेने का प्रश्न है, उसकी रेट्स निर्धारित करने का प्रश्न है, वह प्लानिंग कमीशन की रिकमन्डेशन के आधार पर, उनकी मन्जूरी पर, ये रेट्स मुकर्रर की गई हैं।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा (मावली) : स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज और लार्ज स्केल इन्डस्ट्रीज को, बिजली की जो रेट्स हैं उनमें बहुत ज्यादा अन्तर है। तो क्या सरकार इस प्रकार स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज पर बिजली की रेट इतनी ज्यादा रख कर उसको प्रोत्साहन दे रही है ?

श्री परसराम मदेरणा : भाखरा की टेरिफ अलग है, चम्बल की टेरिफ अलग है, डीजल पॉवर की अलग है और इसी आधार पर कोटेज इन्डस्ट्रीज की रेट भी अलग अलग हैं। अलग अलग रीजन के अन्दर है।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज की रेट में और बड़ी इन्डस्ट्रीज की रेट्स में बहुत ज्यादा फर्क है, जहां ७॥ युनिट दे रहे हैं वहां ११ तक स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज को दे रहे हैं। तो रेट्स में इतना डिफरेन्स है तो मेरा कहना यह है कि स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज को चीप रेट्स न देकर क्या गवर्नमेंट स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज को प्रोत्साहन दे रही है।

श्री परसराम मदेरणा : यह सही है कि छोटी इन्डस्ट्रीज की रेट ज्यादा है, बड़ी पर कम है। लेकिन जो रेट्स का मिनिमम लोड रखा हुआ है, जो ज्यादा कन्ज्यूम करते हैं वहां पर कम रेट है। बिजली के जेनरेशन पर खर्चा कम आता है इसमें किसी के साथ में रियायत करने का प्रश्न नहीं है, जहां खर्चा ज्यादा होता है वहां रेट्स उसी के अनुसार हैं और जहां खर्चा कम है वहां रेट ज्यादा है, इसमें भी स्लाइडिंग स्केल है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : जहां तक छोटी इन्डस्ट्रीज को प्रोत्साहन देने का सवाल है उसमें और बड़ी इन्डस्ट्रीज को बिजली देने की जो रेट है उसमें, बहुत ज्यादा फर्क है। इस संबंध में जो सरकार की नीति है उससे क्या सरकार यह समझती है कि छोटी इन्डस्ट्रीज को प्रोत्साहन मिलता है ?

श्री परसराम मदेरणा : छोटी इन्डस्ट्रीज को प्रोत्साहन देते हैं; वह कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है। वैसी हालत में केवल बिजली की रेट कम करके ही प्रोत्साहन मिल सकता है, ऐसी बात नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास : बड़ी बड़ी इन्डस्ट्रीज को आप बिजली देते हैं उनको तीन पैसा युनिट देते हैं, जब कि स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज को बहुत ज्यादा ऊंचे रेट पर बिजली देते हैं, इसका क्या कारण है ?

श्री अध्यक्ष : Please don't answer irrelevant questions.

Next.

रोडवेज की गाड़ियां, भरतपुर–दिल्ली

५८. **श्री रामकिशन** (वैर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे :—

क्या सरकार भरतपुर दिल्ली मार्ग पर रोडवेज गाड़ियां चलाने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक यह सर्विस चालू हो जावेगी।

यातायात मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : जी हां, वांछित परमिट प्राप्त करने हेतु आर. टी. ओ. के यहां प्रार्थना-पत्र पेश कर रखे हैं। परमिट मिलते ही सर्विस चालू कर दी जावेगी।

श्री रामकिशन : कितना समय लगता है परमिट मिलने में ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

प्रश्न संख्या ५९

श्री अध्यक्ष :

(अनुपस्थित)

नेक्स्ट ।

नावां तहसील के औषधालय

६०. **श्री हनुमानसिंह चौधरी** (नावां) : क्या आयुर्वेदिक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) नावां तहसील में 'बी' व 'सी' श्रेणी के कुल कितने औषधालय, किस किस जगह पर हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) इनमें से कौन कौन से स्थानों पर सरकारी भवन हैं ? जहां नहीं हैं, वहां कब तक बनाने का इरादा है ?

(३) इस वर्ष इस क्षेत्र में कितने और नये औषधालय खोलने की योजना है और वे किस आधार पर खोले जायेंगे ?

(४) क्या सरकार मारोठ औषधालय को बी श्रेणी में लाने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उप-मंत्री, आयुर्वेद (श्री दौलतराम सारण) : (१) नावां तहसील में कुल ६ औषधालय हैं जिनके नाम निम्नांकित हैं।

(१) घाटवा, (२) लोचाना, (३) मोठा, (४) मारोठ, (५) लूणवा, (६) जोजीठ : ये सभी 'सी' क्लास औषधालय हैं।

(२) इसमें से सिवाना, मोठा, मारोठ तथा जोजीठ यहां पर सेठों द्वारा औषधालय बनवाकर सरकार को भेंट कर दिये गये हैं और ये अब सरकारी हैं; अन्य स्थानों में जैसे लूणवा तथा घाटवा में सेठ व ग्राम पंचायतों द्वारा भवन की व्यवस्था की गई है। व्यय-भार उन्हीं के द्वारा वहन किया जा रहा है।

(३) औषधालय जिला परिषद् की सिफारिश पर तृतीय पंचवर्षीय योजनान्तर्गत प्रति चौदह हजार की जन-संख्या पर एक औषधालय खोलने का लक्ष्य है। इस लक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए केवल एक औषधालय खुल सकेगा।

(४) मारोठ औषधालय को 'बी' श्रेणी में लाने हेतु कोई प्रस्ताव सरकार के समक्ष नहीं है।

श्री हनुमानसिंह चौधरी : प्रस्ताव कहां से प्राप्त होते हैं ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

कुंडेली, बांध के द्वारा जमीन की सिंचाई

६१. श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत (भीम) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) देवगढ़ में कुंडेली बांध के द्वारा कितने एकड़ भूमि की सिंचाई होती है ?

(२) उस बांध की क्षमता कितने एकड़ जमीन को सिंचित करने की है ?

(३) क्या यह सही है कि बांध की क्षमता से बहुत कम सिंचाई होती है और उसका कारण यह है कि जहां दो नहर बनानी थीं वहां सिर्फ एक ही बनाई गई है ?

(४) क्या यह भी सही है कि दूसरी नहर का तखमीना व सर्वे कभी का किया जा चुका है ?

(५) यदि हां, तो इस बांध के पानी का पूरा उपयोग अभी तक क्यों नहीं किया गया और अब दूसरी नहर कब तक बनाई जायेगी ?

उप-मंत्री, सिंचाई (श्री दिनेशराय डांगी) : (१) सन् १९५८-५९ से १९६२-६३ तक क्रमशः २८३, १६७, ३४०, ४७७ व ३४२ एकड़ सिंचाई इस बांध से हुई ।

(२) अधिक से अधिक इस बांध से १६०० एकड़ क्षेत्र (यदि बांध पूरा भरे और लिकेज) की सिंचाई की जा सकती है ?

(३) जी हां ।

(४) जी नहीं, सर्वे अवश्य की जा चुकी है किन्तु तखमीने की जांच अभी पूरी करनी बाकी है ।

(५) बांध के पूरे पानी का उपयोग करने के लिए दूसरी नहर की जरूरत है । दूसरी नहर का कार्य अगले वर्ष तक पूरा करने की व्यवस्था की जा रही है ?

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : यह कदम कब तक उठाया जावेगा ? पिछले सैशन में भी आपने आश्वासन दिया था ।

श्री दिनेशराय डांगी : तखमीना आने के बाद विचार किया जावेगा ।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : तखमीना आपका कब तक आवेगा ? काफी अर्से से इसका उपयोग नहीं किया जाता, काफी पानी भरा रहता है ।

श्री दिनेशराय डांगी : तखमीना बनाया जा रहा है ।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : आपका विभाग तखमीना जल्दी क्यों नहीं बना रहा है ? मैं स्वयं इस बारे में सरकार को लिख चुकी हूं कि मेरे क्षेत्र में चार तालाब ऐसे हैं ।

श्री श्योपतसिंह (हनुमानगढ़) : वह चिट्ठी आपकी इन्होंने पढ़ी नहीं होगी ।

Page No.21

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

पक्की सड़क, फलौदी

६२. श्री लालाराम (फलौदी) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या फलौदी से नमक खानों तक जाने वाली सड़क पर डामर करने की योजना है ? यदि हां, तो वह कार्य कब तक सम्पन्न हो सकेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(२) क्या पिछले वर्ष में तत्सम्बन्धी कोई अर्जियां मांग की प्राप्त हुई थी ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

(३) क्या उक्त निर्देशित सड़क, मोटरें, सर्विस या मजदूर लोगों के यातायात की संख्या और सुविधा को ध्यान में रखते हुए पक्की होना आवश्यक नहीं है ?

उप-मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : (१) यह सड़क योजना में स्वीकृत नहीं है ।

(२) इस विभाग को ऐसी जानकारी नहीं है ।

(३) जी हां, आवश्यक है, किन्तु अर्थाभाव के कारण इसको अभी बनाया जाना सम्भव नहीं है ।

प्रश्न संख्या ६३

श्री अध्यक्ष : श्री जेठमल ।

(अनुपस्थित)

सरकारी सामान का दुरुपयोग

६४. श्री नत्थीसिंह (गोविन्दगढ़) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर, सिंचाई, श्री सोहनलाल अग्रवाल की निजी जीप में सरकारी २ ट्यूब, २ टायर और एक बैटरी एन्टीकरप्शन विभाग ने पकड़ी थीं । यदि हां, तो सामान कौनसी तारीख को पकड़ा गया ?

(२) क्या यह सही है कि एन्टीकरप्शन विभाग ने बाद जांच, श्री सोहनलाल अग्रवाल को मोअत्तिल करने की सरकार को सिफारिश की है ? अगर हां, तो इसको अब तक मोअत्तिल क्यों नहीं किया ?

(३) क्या यह सही है कि इनका स्थानान्तरण अलवर से उदयपुर कर दिया गया है । अगर हां, तो कब और क्यों ?

(४) क्या यह भी सही है कि इस केस को श्री अग्रवाल ने दबा दिया है ? अगर नहीं, तो इसमें क्या कार्यवाही की जा रही है ?

(५) सरकार इस केस का शीघ्र फैसला करने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

उप-मंत्री, सिंचाई (श्री दिनेशराय डांगी : (१) जी हां । दिनांक ८. १. ६१ को,

(२) जी हां, विभागीय जांच जारी होने के कारण उन्हें मोअत्तिल किया जाना उचित नहीं समझा गया ।

Page No.22

(श्री दिनेशराय डांगी)

(३) जी हां, दिनांक ६. ५. ६२ को जनता के हित स्वरूप उनका स्थानान्तरण किया गया।

(४) जी नहीं। अभी विभागीय जांच की जा रही है।

(५) जांच समाप्त होने पर ही फैसला किया जा सकेगा।

श्री नत्थीसिंह : यह जांच कब तक समाप्त हो जावेगी ?

श्री दिनेशराय डांगी : मैंने कहा शुरू है।

श्री श्योपतसिंह (हनुमानगढ़) : जांच शुरू कब की गई ?

श्री दिनेशराय डांगी : जब से उसकी शिकायत हमारे पास आई ?

श्री श्योपतसिंह : कब आई वह शिकायत तारीख तो आई होगी आपके पास।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : यह तो उन्होंने वही बात कही कि श्यामा कौन रामा की बहिन और रामा कौन श्यामा की बहिन ?

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : जांच के बाद ही तो आप इस निर्णय पर पहुंचे कि मुअत्तिल करना उचित नहीं है। फिर आप अब कौनसी जांच कर रहे हैं ? यह निर्णय लेने में जो जांच की गई उसमें कितना समय लगा आपको ?

श्री दिनेशराय डांगी : यह मामला सबजुडिस है। इसलिये यह कुछ नहीं कह सकता।

श्री अध्यक्ष : यह सबजुडिस नहीं है, यह तो विभागीय जांच है।

सिंचाई मन्त्री (श्री भीखाभाई) : कमिश्नर जांच कर रहा है। वह जुडीशियल ऑथोरिटी की तरह है। बिलकुल जुडिशियल प्रोसीजर की तरह यह विभागीय जांच हो रही है और इसके बाद ही निर्णय किया जावेगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या यह सही है कि एन्टीकरप्शन विभाग ने इस अधिकारी को सस्पेन्ड करने की सिफारिश की है ?

श्री भीखाभाई : इसके उत्तर में, उत्तर के भाग २ में बताया गया है कि इसे उचित नहीं समझा गया।

जांच की गई और जांच पर मालूम हुआ कि यह मामला इर्रेग्यूलेरिटी की तारीफ में आता है, क्योंकि जिस आदमी को सामान इश्यू करने का अधिकार होता है पी० डब्लू० डी० में, इर्रिगेशन विभाग में उनको कन्स्ट्रक्शन का अधिकार होता है। तो सर्टेन आर्टिकल्स दूसरे को, कॉन्ट्राक्टर को सर्टेन चार्जेज पर देने का अधिकार होता है। अब इसमें स्टोरेज चार्जेज लेने की बात आती है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह बात और इस तरह के रूल्स वगैरह तो एन्टी-करप्शन विभाग वालों ने भी देखे होंगे और यह सब देखकर ही मुअत्तिली की सिफारिश

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

की होगी। अब इस विभाग ने न सिर्फ मुअत्तिल करने की ही सिफारिश की है बल्कि प्रोसीक्यूट भी करने की सिफारिश की है। क्या यह बात सही है या गलत है ?

श्री भीखाभाई : एन्टीकरप्शन विभाग की तरफ से मांग आई थी। पर मैंने जैसे पहले निवेदन किया, अपॉइन्टमेन्ट डिपार्टमेन्ट, इरिगेशन डिपार्टमेन्ट, चीफ इन्जीनीयर्स द्वारा जांच कराने के बाद, डिपार्टमेन्टल इन्क्वायरी कराने के बाद हमने इसे ठीक नहीं समझा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सीधी सी बात है। एन्टीकरप्शन विभाग कहता है कि इसे प्रोसीक्यूट करो और इसको मुअत्तिल करो। आपकी विभागीय जांच हो रही है ढाई साल से और वह अधिकारी मुअत्तिल नहीं हो रहा है। वह उसी पद पर आज भी बैठा है। अब माननीय मन्त्री महोदय ने जो अपनी राय जाहिर की है उससे जाहिर होता है कि उनका किस तरफ रुख चल रहा है। वे अभी से उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। एक तरफ वे कह रहे हैं कि सब-जुडिस है, दूसरी तरफ उसे डिफेन्ड करने की बातें कह रहे हैं कि उसको देने का अधिकार था; यह था, वह था। एन्टीकरप्शन विभाग डाइरेक्टली उसको प्रोसीक्यूट करने और मुअत्तिल करने के पक्ष में है; पर उसे फेवर करके, करप्ट ऑफिसर को इस तरह बचाया जा रहा है।

श्री भीखाभाई : इसीलिये मैं कह रहा था कि इस मामले को उठाया न जावे। मैंने जितना बता दिया था वही काफी था क्योंकि मेरे कहने और उनके कहने का किसी केस पर इफेक्ट पड़ता है तो, अच्छा नहीं होता।

श्री अध्यक्ष : Order please ! यह डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी है। क्या आप बता सकते हैं कि यह कब तक समाप्त करदी जावेगी, यह प्रश्न था। आप कमिश्नर साहब से जांच करके बताने की बात कह सकते थे कि यह किस स्टेज पर है। अब दो-तीन साल से इस तरह की एक छोटी सी इन्क्वायरी भी आप समाप्त नहीं करा सके तो उचित प्रतीत नहीं होता।

श्री भीखाभाई : चार्ज शीट हो गई, रिप्लाई गई। अब जैसा आपने आदेश दिया है जल्दी से जल्दी यह जांच समाप्त हो, ऐसी व्यवस्था की जावेगी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जितने कर्म-चारियों ने इस केस में एवीडेन्सेज दी हैं उन सबको चारों तरफ फेंक दिया गया है। वे मारे मारे फिर रहे हैं। आपने इसे खुला छोड़ रखा है, वह गवाहियों को बिगाड़ रहा है,—डरा धमका रहा है। एन्टीकरप्शन विभाग ने सस्पेन्ड करके प्रोसीक्यूट करने के लिये कहा। अब जिन गवाहियों के आधार पर एन्टीकरप्शन विभाग ने यह सब निर्णय लिया था उन सब गवाहियों को, उन सब कर्मचारियों को पूरी तरह से गड़बड़ा करके, उनको मजबूर करके, डरा-धमका कर उनकी एवीडेन्सेज को बदलाये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

नागौर जिले में सड़कें

६५. श्रीमती गौरी पूनिया (बेगाना) :

(श्रीमती गौरी पूनिया)

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

नागौर जिले में तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में कौन कौन सी सड़कें बनेंगी व किस किस प्रकार की ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

उप मंत्री सार्वजनिक निर्माण (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : सूची प्रस्तुत है।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्रीमती गौरी पूनिया : सूची में ५वें नम्बर पर जो सड़क है उसका कार्य आरम्भ हो गया है क्या ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : यह तो मैं जानकारी करके बता दूंगा। शायद इसका काम आरम्भ नहीं हुआ है।

श्रीमती गौरी पूनिया : एप्रोच रोड डेगाना स्टेशन से नीम्बीली तक की सड़क पूरी हो गई है या काम चल रहा है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : तृतीय पंचवर्षीय योजना में जो सड़कें आपने पूछी हैं उनका उत्तर दे दिया है। इस सम्बन्ध में इस समय मेरे पास सूचना उपलब्ध नहीं है; लेकिन १९६१–६२ में ७ लाख ६७ हजार ८६२ रुपये खर्च हुए और आगे ४७ मील सड़क बनी है। १९६२–६३ में ५ लाख ७३ हजार रुपये खर्च हुए।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : ये क्या कह रहे हैं, सुनाई नहीं दे रहा है।

श्री श्योपतसिंह : मंत्री महोदय माइक पर मुंह रख कर बोलें तो ज्यादा अच्छा रहे।

श्री विजयसिंह झाला : अध्यक्ष महोदय, हमेशा यही शिकायत रहती है। माननीय मंत्री के लिए कोई स्पेशल माइक मंगाया जाये ताकि हमें अच्छी तरह सुनाई दे।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : आप मंगा दीजिए।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : अध्यक्ष महोदय, यह पॉवरफुल माईक्रोफोन नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल।

जयपुर-भरतपुर रूट पर रोडवेज की बसें

६६. श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल (सिकराय) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि जयपुर-भरतपुर रूट पर राष्ट्रीयकरण होने के बाद रोडवेज की बसें प्राइवेट ऑपरेटरों की बसों की अपेक्षा कम चलती हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(२) क्या यह सही है कि इस रूट पर चलने वाली बसों को पूरा डिज़ल ऑइल नहीं दिया जाता है जिसके फलस्वरूप बसें रास्ते में रुक जाती हैं ?

(३) क्या यह सही है कि इस रूट पर यात्रियों द्वारा भी कई बार गाड़ियों में डिज़ल डलवाना पड़ा है ?

यातायात मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (१) जी नहीं।

(२) जी नहीं

(३) जी नहीं

श्री मुथरेशबिहारी माथुर (बांदीकुई) : क्या यह सही है कि इस रूट के ऊपर राष्ट्रीयकरण होने के पहले ५४ गाड़ियां चलती थी और अब केवल १२ ही चलती हैं ? क्या आपने कभी इसका मिलान किया है और आपके पास इस बात की शिकायत आई है कि उस रूट पर गाड़ियां कम चलती हैं। पैसेंजर्स को मीट–आउट करने के लिए कोई प्रावधान सरकार ने किया नहीं है ?

श्री हरिश्चन्द्र : मेरे पास जो सूचना है उसके आधार पर अर्ज कर रहा हूं कि जयपुर-भरतपुर रोजाना ४ गाड़ियां चलती हैं। यह मैं प्राइवेट बसों की बात करता हूं। जयपुर-दौसा ४, जयपुर महुआ–४, जयपुर–दौसा–२। अब हमने जो बसेज़ लगाई हैं वे जयपुर-आगरा ४, जयपुर–भरतपुर–४, जयपुर–महुआ–२, जयपुर–दौसा–५, महुआ–भरतपुर–१.

श्री मुथरेशबिहारी माथुर : मैं यह कहूंगा कि यह इन्फोर्मेशन जो आपने दी है यह आपके पास बिलकुल सही नहीं है, बल्कि इस रूट पर ५४ गाड़ियां नेशनलाइज़ेशन के पहले रोजाना चलती थीं और आज सिर्फ १२ चल रही हैं।

श्री हरिश्चन्द्र : जो आप कह रहे हैं वह भी सच है और जो मैं कह रहा हूं वह भी सच है। यह सब इसलिए है कि गाड़ियों को परमिट देकर चलाना लाजिमी नहीं हैं। यानी ४ गाड़ियां चलती थीं, अब परमिट चाहे १६ को दे रखा हो। गाड़ियां तो ४ ही चलती थीं।

श्री मुथरेशबिहारी माथुर : यह भी सही है कि नेशनलाइज़ेशन के पहले इस रूट पर ५४ गाड़ियां चलती थीं जिनके टिकट इश्यू होते थे।

श्री हरिश्चन्द्र : आप जो कह रहे हैं कि ५४ गाड़ियां चलती थीं ऐसी बात नहीं हैं, वे तो ५४ परमिट्स थे।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : मैं कह रहा हूं कि ५४ गाड़ियां चलती थीं और रोजाना चलती थी और आपके पास बांदीकुई यूनियन की गाड़ियों की इत्तिला नहीं है और न गंगापुर की इत्तिला है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : अगर नहीं चलती थीं तो फिर गाड़ियां कैसे चलती थीं।

(अनेक माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े हुए)

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल।

श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल : आपने प्रश्न के दूसरे भाग में बताया, 'जी नहीं'; तो मैं उसके बारे में जानकारी देता हूं कि जिन यात्रियों ने टिकट लिये हैं उसकी रसीद की कॉपी मेरे पास है, तारीख १५–१२–६२ के और गाड़ी का नम्बर है ७२८६ और उसमें यात्रियों ने डिज़ल डलवाया।

श्री अध्यक्ष : आप (श्री हरिश्चन्द्र) रसीद वगैरह सब कुछ देख लें और जांच कर लें।

श्री हरिश्चन्द्र : आपने पूछा है कि क्या यह सही है कि इस रूट यानी जयपुर–भरतपुर रूट के ऊपर........आप कौन से रूट की बात कर रहे हैं ?

श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल : यही जयपुर-भरतपुर।

श्री हरिश्चन्द्र : इसमें नहीं है। दूसरे रूट में इस तरह की दिक्कत जरूर सामने आई है।

श्री अध्यक्ष : कैसी दिक्कत कि पैसेंजर्स से डिज़ल आॅइल भरवाना पड़ा।

श्री हरिश्चन्द्र : ऐसा हुआ, अध्यक्ष महोदय, कि डीज़ल खत्म हो गया तो सवारियों से डीज़ल भरवाया और उचित भी कार्यवाही उन व्यक्तियों के खिलाफ कर ली गई है।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : क्या अब आप जांच करके गाड़ियां बढ़वाने पर सोचेंगे। इस रूट पर जहां इतनी गाड़ियां चलती थीं इसका मतलब ही यह है कि वहां पर पैसेंजर्स काफी हैं और उनको मीट आउट करने के लिए गाड़ियां बढ़ाना जरूरी है ?

श्री हरिश्चन्द्र : अगर आवश्यक समझा गया तो बढ़ायेंगे।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : मैं सदन में पिछली बार भी कह चुका हूं और मीटिंग में भी इस बात को अर्ज कर चुका हूं, लेकिन अभी तक बसें नहीं बढ़ाई गई। इस बारे में आपके डाइरेक्टर से भी कह चुका हूं। अब आप बतायें कि ये कब बढ़ाई जायेंगी। पैसेंजर्स वहां पर इतने निकलते हैं, यह इस बात का सबूत है कि वहां पर इसकी आवश्यकता है। अब कब तक कर देंगे ?

श्री हरिश्चन्द्र : अब इसकी जांच करवा लेंगे।

श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल: यही गाड़ी सिकराय होकर जाती थी, वह अब नहीं जाती है और बन्द कर दी गई है, इसका क्या कारण है ?

श्री हरिश्चन्द्र: इसके लिए अलग प्रश्न कीजिए कि गाड़ी सिकराय होकर क्यों नहीं जाती है ? इससे कोई सम्बन्ध नहीं है। अगर आपको तकलीफ है तो कह दीजिए, हम कार्यवाही कर लेंगे।

श्री दलपतसिंह (आबू): मैं यह पूछना चाहता हूं कि डीज़ल बीच में कम होने का क्या कारण है ?

श्री हरिश्चन्द्र : जहां तक मेरे पास सूचना आई है...............

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री सम्पत्तिलाल बोहरा।

नाला बांधने का कार्य

६७. **श्री सम्पत्तिलाल बोहरा** (मावली): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सच है कि ग्राम रखियावल, तहसील मावली में नाला बांधने का कार्य गत वर्ष चुनाव के पहले शुरू किया गया था ?

(श्री सम्पत्तिलाल बोहरा)

(२) क्या यह सच है कि यह कार्य अधूरा पड़ा है ?

(३) क्या सरकार इस नाले को बांधने का कार्य पूरा करना जरूरी नहीं समझती ?

(४) यदि जरूरी समझती है, तो कब तक पूरा हो जावेगा ?

(५) इस नाले को बांधने में अब तक कितना रुपया खर्च हो गया है व अब कितने रुपये का कार्य बाकी है ?

उप-मंत्री, सिंचाई (श्री दिनेशराय डांगी) : (१) जी हां ।

(२) जी नहीं ।

(३) व (४) कार्य पूरा किया जा चुका है, अतः ऐसा कोई प्रश्न नही उठता ।

(५) इस पर करीब तीन हजार रुपये का खर्चा हुआ है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह-नगर) : सुनाई नहीं दे रहा है ।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा): जो कम बोलते हैं उनका इस्तीफा जल्दी मन्जूर कर लिया जाये ।

श्री दिनेशराय डांगी : अध्यक्ष महोदय की अनुमति से फिर दोहरा देता हूं ।

(१) जी हां ।

(२) जी नहीं ।

(३) कार्य पूरा किया जा चुका है, अतः ऐसा कोई प्रश्न नहीं उठता । प्रश्न संख्या ३ और ४ का एक ही जवाब है ।

(५) इस पर करीब तीन हज़ार रुपये का खर्चा हुआ है ।

श्री विजयसिंह झाला : यह काम कब पूरा हुआ ?

श्री दिनेशराय डांगी : गत वर्ष हुआ ।

श्री विजयसिंह झाला : तारीख बता सकते हैं ?

श्री दिनेशराय डांगी : आपने चुनाव से पहले पूछा था, तारीख नहीं पूछी है ।

प्रश्न संख्या ६८

श्री अध्यक्ष: श्री रावतराम ।

श्री अब्दुलजब्बार ।

(अनुपस्थित)

तालाब की दुरुस्ती

६९. **श्री अब्दुलजब्बार** (निम्बाहेड़ा): क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या सरकार की जानकारी में है कि जिला चित्तोड़गढ़ में उदपुरा नामक गांव में एक पुराना तालाब है ?

(२) क्या यह सच है कि इस तालाब की दुरुस्ती करवा कर हजारों बीघा जमीन की सिंचाई की जा सकती है ?

(श्री अब्दुलजब्बार)

(३) यदि हां, तो क्या सरकार इस तालाब को दुरुस्त कराने का आश्वासन देगी ?

उप-मंत्री, सिंचाई (श्री दिनेशराय डांगी): (१) जी नहीं

(२) जी नहीं

(३) इस विभाग की जानकारी में ऐसा कोई तालाब नहीं है, अत: दुरुस्त कराने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

श्री अब्दुलजब्बार : क्या इस बात को सरकार जानती है कि सरकार की तरफ से प्रतिनिधि मंडल या रिप्रेजेन्टेटिव ग्रॉफ दी ईरिगेशन डिपार्टमेंन्ट वहां पहुंचा और उन्होंने बांध देखा है ?

श्री दिनेशराय डांगी : वहां इस नाम का कोई तालाब हो सकता है, इस विभाग को उसकी जानकारी नहीं है क्योंकि २५ हजार से कम वाले सारे तालाब पंचायत समिति के अन्डर में आते हैं ।

श्री अब्दुलजब्बार : सवाल इतना है कि मेरे प्रश्न पूछने का मतलब यह है कि वहां पर टूटा हुआ बांध बना हुआ है और वहां पैसा लगाया जाये तो आसानी से १० हजार रुपया लगाकर बांध को दुरुस्त कराया जा सकता है और उससे हजारों बीघा जमीन की सिंचाई हो सकती है । मैंने तो इसलिए प्रश्न पूछा था कि क्या सरकार इस सम्बन्ध में इतनी भी जानकारी प्राप्त नहीं कर सकी और जो प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से आया है तो हम उसको सही मानें या गलत ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न बिल्कुल स्पष्ट है कि अमुक गांव में क्या ऐसा तालाब है जिसकी दुरुस्ती करवा कर हजारों बीघा जमीन की सिंचाई की जा सकती है और आपने उत्तर में कहा कि इस विभाग की लिस्ट में ऐसा कोई तालाब नहीं है । पहले भी ऐसा ही प्रश्न आ चुका है । तो आप वहां इस प्रकार की जानकारी तो करें कि उसकी मरम्मत की जा सकती है या नहीं ?

सिंचाई मंत्री (श्री भीखाभाई) : अध्यक्ष महोदय जो डिपार्टमेंट से जानकारी आई है । वह यह है : "As per 1951 village Directory there is no village named Udaipura in Chittor District."

श्री अध्यक्ष : इसका मतलब यह है कि आपको पता नहीं चला कि किस जगह यह है । गांव का पता नहीं है और डाइरेक्टरी में भी नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : अब तो यह और भी मुश्किल हो गया, पहले तो तालाब का ही पता नहीं था और अब गांव का पता नहीं है । क्या मंत्री महोदय बतायेंगे की गांव है या नहीं, क्योंकि मंत्री महोदय तो कहते हैं कि नहीं है और माननीय सदस्य कहते हैं कि गांव है और तालाब है । इसकी आप जांच करेंगे कि कहीं गांव तो गायब नहीं हो जायेगा ?

श्री अध्यक्ष : श्री जुझारसिंह ।

श्री अब्दुलजब्बार : अध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा सा पता दे दूं, यह उदपुरा जिला चित्तोड़ में पड़ता है और वह दो पहाड़ियों के बीच में बसा हुआ है ।

Page No.29

श्री दिनेशराय डांगी : गांव है, तालाब इस तरह का नहीं है। संभव तो है।

श्री भीखाभाई : I am sorry. I have to explain this matter; यह मामला है कि उदयपुरा नाम का वह गांव नहीं है। मेरी इन्फोर्मेशन है कि There are three villages named Udaipura in Tehsil Bhansrorgarh and Chittor. यह इन्फोर्मेशन हमको डिपार्टमेंट से मिली है।

श्री अध्यक्ष : तो बिल्कुल यही उत्तर आपको देना चाहिए कि अमुक गांव में एक छोटा सा तालाब है और उससे हजारों बीघा काश्त नहीं हो सकती।

श्री भीखाभाई : उदयपुरा कोई गांव नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : On a point of privilege, अध्यक्ष महोदय, इस सदन में जो प्रश्न के उत्तर दिये जाते हैं वे सरकार की तरफ से दिये जाते हैं; तो उत्तर सही माने जाने चाहिए और सही ही दिये जाने चाहिये। एक विभाग के मंत्री तो कहते हैं कि गांव नहीं है और उसी विभाग के उप-मंत्री कहते हैं कि गांव है तो निश्चित् रूप से दोनों में से एक गलत जवाब दे रहे हैं। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस हाउस के अन्दर गलत बातें कहते हैं। मंत्री और उप-मंत्री ओन दी फ्लोर ऑफ दी हाउस एक दूसरे की बातों से डिफर करते हैं, यह असेम्बली में इस तरह की पहली नजीर है। इस प्रकार की कार्यवाही पर आपकी तरफ से बन्धन नहीं डाला गया तो मंत्री लोग सदन में गलत बातें कहने में किसी प्रकार का संकोच नहीं करेंगे और गलत बातें कहते रहेंगे और सदन को उनसे गुमराह करते रहेंगे। इसलिए दोनों ने गलत बात किसने कही इसको पोइन्ट आउट किया जाय और वे सदन में खड़े होकर माफी मांगें।

श्री भीखाभाई : अध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा सा ....

श्री अध्यक्ष : और कोई स्पष्टीकरण बाकी रहा है ?

श्री भीखाभाई : मैंने गलत बात गलत नहीं कही है और न उन्होंने गलत बात कही है। उदयपुरा और उदपुरा के नाम से, यह हुआ है। मेरी जो सप्लीमेण्ट्री इन्फोर्मेशन है, थी वह मैंने सदन में पढ़ दी है। जो मेरे पास इन्फोर्मेशन मौजूद है वही उनके पास मौजूद है।

श्री भैरोंसिंह : आपने खुद ने कहा है कि उनकी इन्फोर्मेशन से डिफर करता हूं। यह प्रोसीडिंग्ज में है जो आपने कहा है।

श्री भीखाभाई : डिफर करने का कोई प्रश्न नहीं है। उदयपुरा और उदपुरा में जो डिफरेंस है वह उसी बात पर है। इसलिए माननीय सदस्य का एतराज करना गैरवाजिब है। मैं निवेदन करूंगा कि हमारी तरफ से गलती नहीं हो सकती है। जहां तक हो सकता है हमारे डिपार्टमेंट ने फिर लिखा है :

"However the enquiry is being made where such a village stands."

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : On a point of information, Sir, आप जब सेटिस्फाइ हो गये हैं तो फिर गलत ढङ्ग से वक्त क्यों खराब किया है ?

श्री अध्यक्ष : श्री जुझारसिंह ।

श्री भैरोंसिंह : इतना कहने से आपकी दोस्ती में कोई अविश्वास नहीं करेगा ।

श्री अध्यक्ष : श्री जुझारसिंह ।

भूतपूर्व कोटा राज्य के समय बनाये गये चैकडैम की मरम्मत

७०. श्री जुझारसिंह (चेचट) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि ग्राम रीज्यां, तहसील मांगरोल से निकलने वाली चम्बल नहर के पूर्व से नाली नहीं बनाने का कारण बरसाती व झिरन का पानी स्वाभाविक ढाल की तरफ बहने लगा है और बहाव से भूतपूर्व कोटा राज्य के समय बनाया गया चैकडैम (बन्धा) टूट गया है व करीब २०० बीघा जमीन नष्ट हो गई है ?

(२) सरकार इस चैकडैम की मरम्मत कराने व जमीन के कटाव को रोकने के लिए क्या व्यवस्था कर रही है ?

(३) जिन लोगों की जमीन बहाव से नष्ट हो गई है उनको क्या मुआवजा दिया गया है या दिये जाने की व्यवस्था की गई है ?

उप-मन्त्री, सिंचाई (श्री दौलतराम सारण) : (१) गांव का यह बांध नहर बनने के पहले से ही टूटा हुआ था । नहर बनने से इसके टूटने व जमीन कटने का प्रश्न नहीं उठता ।

(२) नहर के पूर्व की ओर एक नाली बनाने की योजना बनाई गई है; जिसमें से होकर बरसात का पानी निकल जायगा और नाले कटाव को आगे बढ़ने से रोकेगा ।

(३) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री जुझारसिंह : आपने जमीन के बारे में कोई उत्तर नहीं दिया । जमीन जो नष्ट हुई है पानी बहने की वजह से और नाली नहीं खोदने की वजह से, उसके लिए सरकार ने क्या किया ?

श्री दौलतराम सारण : मैं स्थिति का विवरण दे चुका हूं कि बांध नहर बनने से पहले से ही टूटा हुआ था । नहर का इस पर कोई असर नहीं आया है । हो सकता है कि बरसात का पानी बहने से जमीन कट गई हो, लेकिन उसको भी रोकने के लिए अब नाली बनाई गई है ।

श्री जुझारसिंह : मेरा क्वेश्चन स्पष्ट है कि पानी के बहाव के कारण २०० बीघा जमीन खराब हुई है, उसका कोई जवाब नहीं दिया है ।

श्री दौलतराम सारण : मेरे पास जो उपलब्ध सूचना है उसके मुताबिक ग्राम रीज्यां और बेरूंद के बीच में बड़ी नहर के पूर्व नाली खोद दी है, उससे बरसात का पानी निकल जायगा और एक नाली और बनाई जा रही है; इससे आगे जमीन का कटाव नहीं होगा । पहले उससे कितनी जमीन कटी है और कितनी नहीं कटी है इसकी मेरे पास कोई सूचना नहीं है ।

Page No.31

श्री जुझारसिंह : नाली खोदने के पहले जमीन कट चुकी है तो उसका कम्पेन्सेशन देने के बारे में क्या आप विचार कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : श्री अमरसिंह ।

सरकारी बांधों से होने वाली सिंचाई की दरें

७१. **श्री अमरसिंह** (दूदू) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि सरकारी बंधों से होने वाली सिंचाई रेट्स में पहली व दूसरी दफा उसी खेत में पानी दिये जाने पर भिन्नता होती है ?

(२) अगर हां, तो वे रेट्स तहसील दूदू के लिए क्या क्या हैं ? तहसील दूदू के मीरापुरा बखेड़ी गांव के खेतों को जहां बांध छापरवाड़ा व बंध मौजमाबाद दोनों से एक एक पानी दिया गया है वहां पहली व दूसरी बार की रेट्स में फर्क क्यों नहीं रखा जाता है ?

(३) क्या सन् ६१—६२ की सर्दी में की गई पिलाई के लिये इन गांवों से दोनों पानी का पैसा एक ही सिंचाई रेट से वसूल भी हो चुका है ?

उप-मंत्री, सिंचाई (श्री दिनेशराय डांगी) : (१) जी हां । पुराने तालाबों में दरें पिलाई के ऊपर ली जाती हैं ।

(२) पहले पानी की रेट १.८० न० पै० तथा बाद के प्रति पानी दर १.०० न० पै० है । मौजा मीरापुरा व खेड़ी में बन्ध छापरवाड़े से एक पानी दिया गया है जो कि पहला था और उसकी रेट पहले पानी वाली लगाई गई है । बन्ध नया सागर मौजमाबाद की सिंचाई के एसेसमेंट का कार्य राजस्व विभाग द्वारा किया जाता है अतः इस विभाग को इसकी कोई जानकारी नहीं है ।

(३) वसूली का काम राजस्व विभाग द्वारा किया जाता है । इसकी जानकारी इस विभाग को नहीं है ।

श्री अमरसिंह : पानी की ये रेट्स अलग अलग क्यों हैं ? इनमें यह भिन्नता क्यों है ?

श्री दिनेशराय डांगी : मैंने आपको बताया था कि पुराने जितने भी तालाब हैं उनकी रेट्स के अन्दर भिन्नता है । पहले पानी पर १.८० न० पै० लेते हैं और फिर १.०० रु० लगाते हैं । आज-कल के जो डैम हैं उनमें यह भिन्नता नहीं है ?

श्री अमरसिंह : इन रेटस को एक क्यों नहीं किया जा रहा है ?

श्री दिनेशराय डांगी : अध्यक्ष महोदय, मैंने अर्ज कर दिया कि राजस्व विभाग का काम है, हमारे विभाग से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति को प्रोत्साहन देने के लिये विभिन्न कार्य

७२. **श्री गोविन्दसहाय** (गंगापुर) : क्या आयुर्वेद मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(१) उदयपुर अनुसंधानशाला में किन

Page No.32

(श्री गोविन्दसहाय)

रोगों पर अनुसंधान किया गया है तथा अब तक की रिपोर्ट क्या रही है।

(२) क्या यह सही है कि अनुसंधान शाला में स्थान रिक्त हैं ? यदि हां, तो कितने स्थान रिक्त हैं तथा नियुक्तियां नहीं हुई हैं।

(३) क्या यह सही है वैद्य श्री रूपशंकर, सीनियर प्रोफेसर, महाराणा आयुर्वेदिक कॉलेज, उदयपुर को पी० एस० सी० ने स्नाप्रविशेषज्ञ के पद पर चुन लिया है ? क्या उस पद पर उनकी नियुक्ति हो गई हैं ?

(४) क्या यह सही है कि वैद्य श्री प्रभुदत्तजी को पोलियों के लिए पी० एस० सी० ने चुना है ? यदि हां, तो उनकी नियुक्ति न होने का क्या कारण है ?

(५) क्या सरकार आयुर्वेद के शुद्ध पाठ्यक्रम के बारे में कोई विचार कर रही है ?

(६) क्या सरकार आयुर्वेद विश्वविद्यालय खोलने के बारे में विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक खोलने का विचार है ?

(७) सरकार ने किन किन आसवों पर कितनी कितनी एक्साइज ड्यूटी लगाई है और क्या इससे आयुर्वेद को प्रोत्साहन मिलेगा ?

उप-मंत्री, आयुर्वेद (श्री दौलतराम सारण): (१) बालपक्षाघात, स्नायुक चर्म रोग मधुमेह रोगों पर अनुसंधान हो रहा है। कोई रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है, अनुसंधान चालू है।

(२) उदयपुर अनुसंधानशाला में निम्न स्थान रिक्त हैं।

(१) बायोकैमिस्ट, (२) पैथोलोजिस्ट, (३) दार्शनिक विशेषज्ञ। चिकित्सकों में एक ही की नियुक्ति हुई है। स्थान पूर्ति के लिये रिक्वीजीशन जन-सेवा आयोग को भेजा जा चुका है।

(३) यह सही है। अभी नियुक्ति की आज्ञा जारी नहीं हुई।

(४) उनकी नियुक्ति की जा चुकी है।

(५) अभी कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न नहीं हुआ।

(६) अभी कोई विचार नहीं है।

(७) एक्साइज ड्यूटी केन्द्रीय सरकार द्वारा लगाई जाती है; अतः सरकार द्वारा लगाने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

श्री गोविन्दसहाय : पक्षाघात का अनुसंधान कितने अर्से से हो रहा है, और उसकी रिपोर्ट कब प्रकाशित हो गई ?

आयुर्वेद मंत्री (श्री भीखाभाई) : इस पर शीघ्र कार्यवाही की जायगी।

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या मंत्री महोदय ने आयुर्वेदिक सम्मेलन में भाषण देते हुए इस बात का आश्वासन दिया था कि राजस्थान में आयुर्वेदिक युनिवर्सिटी खोलने का विचार है और सरकार इस सम्बन्ध में शीघ्र निर्णय लेने वाली है।

श्री भीखाभाई : ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया गया।

प्रश्न संख्या ७३

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास ।

(अनुपस्थित)

जालौर उच्चस्तरीय माध्यमिक विद्यालय का हॉल

७४. श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सच है कि जालौर उच्चस्तरीय माध्यमिक विद्यालय के हॉल का गर्डर गिर गया था और उससे तीन आदमी मर गये थे ? अगर हां, तो ऐसा होने के क्या कारण थे और ऐसी घटना होने के जिम्मेवार कौन कौन हैं ? मरने वालों को सरकार ने क्या मुआवजा दिलाया ?

(२) क्या सरकार भवन-निर्माण करने वाले ठेकेदार के विरुद्ध कोई एक्शन लेने के बारे में सोच रही है ? अगर हां, तो ऐसा एक्शन कब तक ले लिया जावेगा ?

(३) क्या यह सच है कि विद्यालय का कार्य नये भवन में शुरू कर दिया गया था और अब शिक्षा विभाग ने नया भवन खाली कर दिया है और कार्य पुराने भवन में होता है ? अगर हां, तो ऐसा करने के क्या कारण हैं ?

(४) नये भवन में विद्यालय का कार्य वापिस कब तक शुरू होने की सम्भावना है ?

(५) क्या नया भवन भविष्य में गिरने का खतरा अब नहीं है ? अगर नहीं तो उसकी क्या गारन्टी है ?

उप-मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री भवानीशंकर नंदवाना) : (१) जी हां, गर्डर के नीचे की दीवार में कुछ खामियां थीं । जिसका ठेकेदार जिम्मेवार है । मुआवजा दिये जाने को कम्पेन्सेशन कमिश्नर को सूचित कर दिया गया है ।

(२) जी हां । ठेकेदार को नोटिस दे दिया है ।

(३) जी हां, अब पुनः विद्यालय ने नये भवन में कार्य प्रारम्भ कर दिया है ।

(४) प्रश्न नहीं उठता ।

(५) आकस्मिक घटना के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है । वैसे भविष्य में भवन के गिरने का कोई प्रश्न नहीं उठता ।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : तो इस ठेकेदार के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है जिसका कि दोष था कि गर्डर गिर गई और तीन आदमी मर गये । उसके खिलाफ क्यों कार्यवाही नहीं की गई इतनी देर तक ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : मामला अदालत में चल रहा है इसके सम्बन्ध में, इस लिए कुछ नहीं कहा जा सकता है ।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : अदालत में ठेकेदार के विरुद्ध कोई मामला ही नहीं है ।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : चल रहा है ।

Page No.34

श्री रघुनाथ बिश्नोई : अध्यक्ष महोदय, यह बिल्कुल गलत है। अदालत में मामला कहीं नहीं है।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : ठेकेदार के खिलाफ भी चल रहा है और दूसरे अफसरों के खिलाफ भी चल रहा है।

प्रश्न संख्या ७५

श्री अध्यक्ष : श्री भानुप्रसाद कराड़िया।

(अनुपस्थित)

श्री रामकिशन।

तहसील कामां में बंध

७६. श्री रामकिशन (वैर) : [श्री मुकट-बिहारीलाल गोयल (बयाना) द्वारा पूछा गया] : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) कामां तहसील में इस समय कितने बंध हैं जिनसे सिंचाई कार्य होता है ?

(२) ऐसे बन्धों की संख्या क्या है जो मरम्मत-तलब हैं और इन बन्धों की मरम्मत कब तक हो जायेगी ?

(३) क्या पंचायत समिति कामां ने कुछ नये बन्ध बनवाने का प्रस्ताव भेजा है ? यदि हां, तो सरकार इन बन्धों को कब तक बनाने का इरादा रखती है ?

उप-मन्त्री, सिंचाई (श्री दिनेशराय डांगी) : (१) १३ बांध हैं जिनसे सिंचाई की जाती है।

(२) ऐसा बांध केवल १ है। आशा है कि इसका कार्य १९६३-६४ में समाप्त हो जायगा।

(३) जी नहीं।

श्री अध्यक्ष : श्री हनुमानसिंह।

मारोठ व चितावा पुलिस थानों में दर्ज मुकदमे

७७. श्री हनुमानसिंह चौधरी (नावां) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

तहसील नावां में मारोठ व चितावा पुलिस थानों में गत दो वर्षों में घर फोड़ने व चोरियों के कितने मुकदमे दर्ज हुए ? कितने चालान किए गए ? कितने मुकदमों में चोरी गई सम्पत्ति बरामद की गई एवं कितनों की तफतीश जेर तजवीज है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उप-मन्त्री, गृह (श्री भीमसिंह) : श्री मारोठ व चितावा पुलिस थानों में जनवरी, १९६१ से जून, १९६३ तक घर फोड़ने व चोरियों के कुल ६८ मामले दर्ज हुए जिनमें से २९ का चालान हुआ और ९ जेर तफतीश हैं। २९ मामलों में माल मशरूका बरामद किया जा सका। सूची सदन की मेज पर रख रहा हूं।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

श्री हनुमानसिंह चौधरी : (अश्रव्य)

श्री भीमसिंह : पूरी एविडेन्स और पूरी जानकारी नहीं मिलने से।

श्री हनुमानसिंह चौधरी : (अश्रव्य)

श्री भीमसिंह : पूरी एविडेन्स और पूरी जानकारी नहीं मिलने से ।

श्री हनुमानसिंह चौधरी : (अश्रव्य)

एक माननीय सदस्य : यह आपस में बातचीत क्या हो रही है ?

श्री भीमसिंह : अभी कोशिश चालू है । जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी करेंगे ।

बिजली की दरें

७८. श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) राजस्थान में विभिन्न स्थानों पर बिजली की रोशनी और पॉवर के लिए अलग अलग क्या क्या दरें हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(२) क्या १ अप्रेल, सन् १९६१ से अभी तक किसी भी जगह की इन दरों में कमी या बढ़ौत्तरी की गई है ? यदि हां, तो कहां और कितनी ?

(३) रेट में इस परिवर्तन के क्या कारण थे ?

(४) क्या इस दौरान में किन्हीं स्थानों से बिजली की दरों में कमी करने की मांग आई जिसको सरकार ने मन्जूर नहीं किया ? यदि हां, तो कहां कहां से ? उन स्थानों में दर क्या थी और वे कितनी कमी करवाना चाहते थे ?

उप-मन्त्री, विद्युत (श्री परसराम मदेरणा : (१) सूची संलग्न हैं ।

(२) जी हां । सूची संलग्न है ।

(३) जल विद्युत योजना के विस्तार के कारण जहां जहां हाइडल पॉवर पहुंचती है वहां पर घोषित दरों के अनुसार परिवर्तन होता गया है ।

(४) जी नहीं ।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

श्री रामानन्द अग्रवाल : कॉमशियल लाइट, फेन और हीटर पॉवर के लिये चंबल और भाखरा, जहां दोनों ही जगह हाइडल पॉवर है वहां चंबल से मिलने वाली बिजली की रेट ३७ नये पैसे क्यों रह गई है जब कि भाखरा से मिलने वाली बिजली की दर ११ नये पैसे रखी गई है ; यह भेद क्यों है ?

विद्युत् मन्त्री (श्री हरिश्चन्द्र) : कोस्ट ऑफ जेनरेशन के अनुसार रेट फिक्स की जाती है, इसलिए टेरिफ में फर्क आता है, ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : और किसी में फर्क नहीं है, डोमेस्टिक लाइट के लिये फर्क नहीं है ; केवल पब्लिक लाइटिंग और पानी के लिये फर्क रखा गया है । कोस्ट ऑफ जेनरेशन का असर तो दूसरे मामलों पर भी पड़ेगा ?

श्री हरिश्चन्द्र : यह देख कर आपको बता दूंगा ।

Page No.36

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): अलग अलग टेरिफ रखने का क्या कारण है ? इन्टीग्रेशन क्यों नहीं करते ?

श्री हरिश्चन्द्र : सब जगह ही कोस्ट ऑफ जेनरेशन अलग है। हाइडल में भी दो किस्म का है ; चंबल का अलग है, भाखरा का अलग है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : राजस्थान में युनिफिकेशन क्यों नहीं कर दिया जाता ?

श्री हरिश्चन्द्र : राजस्थान में युनिफिकेशन ऑफ टेरिफ यदि किया जाता है तो उसके दोनों पहलू हैं ; अच्छाई भी है और बुराई भी है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जोधपुर में स्टीम एंजिन से पॉवर जेनरेट होती है,

जोधपुर में इतनी ऊंची रेट क्यों है ? एप्रोक्सीमेटली २२ पैसे है हीट एवं पावर के लिये डोमेस्टिक पर्पजेज के लिये......

श्री हरिश्चन्द्र : आप कहां पढ़ रहे हैं ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : स्टेटमेंट नं० १ में हीट एन्ड पॉवर के लिये जोधपुर में रखा गया, उसमें अलवर और भरतपुर के १९ नये पैसे के मुकाबले में २२ नये पैसे रख दिये हैं जब कि लाइट एन्ड फेन्स के लिये वही है ; तो हीट एन्ड पॉवर के लिये ३ पैसे ज्यदा क्यों है ?

श्री हरिश्चन्द्र : आप केम्पयर किससे कर रहे हैं ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : स्टीम एंजिन अलवर में है, भरतपुर में है और जोधपुर में है। अलवर और भरतपुर में १९ नये पैसे ले रहे हैं जबकि जोधपुर में २२ नये पैसे ले रहे हैं। ये ३ नये पैसे ज्यादा क्यों ले रहे हैं ?

श्री हरिश्चन्द्र : जोधपुर में २३ हैं, अलवर, भरतपुर में १९ हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : कोलम नं० ४ और ४ को कम्पेयर कीजिये।

श्री हरिश्चन्द्र : जोधपुर में २२ हैं और अलवर, भरतपुर में १९ नये पैसे हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जोधपुर में अलग क्यों है ?

श्री हरिश्चन्द्र : कभी कभी डीजल भी जलता है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : ऐसा अलवर, भरतपुर में भी है। मेन स्टीम एंजिन है और बड़ा है, फिर क्या वजह है कि जोधपुर में ज्यादा रेट ले रहे हैं ?

श्री हरिश्चन्द्र : इसको एग्जामिन करवा लेंगे।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : क्या सरकार समस्त राजस्थान में एक ही दर, एक सुविधाजनक नहीं हो तो अधिक से अधिक दो दरें युनिफॉर्म बेसिस कायम करने के सम्बन्ध में विचार नहीं करेगी ?

श्री हरिश्चन्द्र : मैं समझता हूं, इस समय राजस्थान के हित में नहीं होगा युनिफॉर्म टेरिफ लागू करना।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : राजस्थान के हित से आपका मतलब सरकार के हित से है या जनता के हित से ?

श्री हरिश्चन्द्र : जनता के हित है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आम तौर पर पब्लिक लाइट म्युनिसिपेलिटीज या पंचायतें इस्तेमाल करती हैं, उनकी रेट ऊंची क्यों है ?

श्री हरिश्चन्द्र : यहां टैरिफ डिस्कस करने का सवाल नहीं है। यहां न आप ही टेक्निकली क्वालिफाइड हैं और न मैं हूं। यह रेट कैसे रखी........

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह प्रश्न नहीं है कि हम लोग टैक्निकली क्वालिफाइड हों तभी जानकारी कर सकते हैं। यदि हरेक मेम्बर के साथ यह क्वालिफिकेशन होगी तो सदन का कार्य चलाने में मुश्किल पैदा हो जायेगी। इसलिये अध्यक्ष महोदय, आपके जरिये में मंत्री जी से कहूंगा कि आम पब्लिक इस्तेमाल में बिजली आती है उसकी रेट नोर्मली मिल ओनर्स को देते हैं उससे कम होनी चाहिये, उसके बजाय कॉमर्शियल रेट हीट एवं पॉवर के लिए है वह लोवर है और पब्लिक लाइटिंग की रेट ऊंची है, इसलिये कहना है कि यह बात अनुचित मालूम पड़ती है। इसका क्या आधार मानेंगे ?

श्री हरिश्चन्द्र : राजस्थान में जितने टैरिफ हैं वे प्रोवीजनल हैं। फाइनल करते समय इस पर विचार करेंगे।

श्री अध्यक्ष : यही कह दीजिये कि विचाराधीन है।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : On a point of privilege sir, मेरे प्रश्न का जवाब आयुर्वेद मंत्री जी को देना चाहिये था पर उनके बजाय पी० डब्ल्यू० डी० मंत्रीजी ने दे दिया और कहा कि जवाब नहीं आया।

श्री अध्यक्ष : इससे ब्रीच ऑफ प्रिवलेज हो गया ?

श्री विजयसिंह झाला : ४१ वें प्रश्न का जवाब आयुर्वेद मंत्रीजी को देना चाहिये था, पर उप मंत्रीजी, पी० डब्ल्यू० डी० खड़े हो गये और कह दिया कि जवाब नहीं आया।

श्री अध्यक्ष : आपको उत्तर मिला या नहीं ?

श्री विजयसिंह झाला : उन्होंने कहा कि उत्तर नहीं आया।

श्री अध्यक्ष : यह उत्तर दूसरों को देना चाहिये था क्या ?

श्री विजयसिंह झाला : जिन्होंने उत्तर दिया उनसे संबंधित नहीं था।

आयुर्वेद मन्त्री (श्री भीखाभाई) : आप खुद मौजूद नहीं थे।

श्री विजयसिंह झाला : पी० डब्ल्यू० डी० मंत्री खड़े हो गये और उन्होंने जवाब नहीं दिया। ७ दिन बाद देने का कहा।

श्री अध्यक्ष : स्थगन-प्रस्ताव।

श्री मजलिसखां (कामां) : मेरा एक प्रश्न रह गया है।

श्री अध्यक्ष : आपका आखिरी प्रश्न था। इसका भी उत्तर दे दीजिये।

प्रश्न संख्या ७९

श्री हरिप्रसाद शर्मा

(अनुपस्थित)

बांध की मरम्मत

८०. श्री मजलिसखां (कामां) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि तहसील कामां ग्राम पाछोल में पुराना बांध टूटी-फूटी हालत में है ?

(२) अगर हां, तो क्या सरकार उसकी मरम्मत कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो यह मरम्मत कब तक करा दी जावेगी ?

उप-मंत्री, सिंचाई (श्री दिनेशराय डांगी) : (१) ऐसा कोई बांध सिंचाई विभाग के अन्तर्गत नहीं है।

(२) प्रश्न नहीं उठता।

(३.४५ म. प.)

सार्वजनिक निर्माण विभाग के कर्मचारियों की मांग सम्बन्धी स्थगन-प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : श्री जोधसिंह चौहान, सदस्य विधान सभा ने पी. डब्ल्यू. डी. कर्मचारियों की मांग के ऊपर एक स्थगन-प्रस्ताव की सूचना दी है, जिसमें बताया है कि यूनियन की समस्या हल नहीं हो सकी इसलिये उसने सरकार को नोटिस दिया है कि २२-८-६३ तक मांगें नहीं मानी गई तो मजदूर हड़ताल करेंगे।

यह मामला लम्बे अर्से से चल रहा है और इतने अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है कि सदन की पूर्व निश्चित कार्यवाही स्थगित करके आज इस पर विचार किया जाय। अतः में इसकी अनुमति नहीं देता हूं। इस सम्बन्ध में और एक-दो प्रस्ताव आये हैं लेकिन देरी से आये इसलिये उनका उल्लेख नहीं किया गया।

श्री भैरोंसिह (किशनपोल, जयपुर) : इस पर मंत्रीजी कुछ बतायेंगे या नहीं ? यह मामला बहुत अर्से से पेन्डिग है। कई डेपुटेशन आ गये, कई बार आश्वासन दे दिये गये। जितने आश्वासन मंत्रियों ने दिये यदि उनकी गिनती की जाय तो इनका पहला नंबर आयेगा ? इसके बावजूद भी उनकी मांगों पर विचार नहीं किया जाय, बल्कि उनकी मांगों के कारण उनको परेशान कर रहे हैं और उसके कारण से हड़ताल करने का नोटिस दिया है। इस सम्बन्ध में मंत्री महोदय कोई स्टेटमेंट दें। उनके सामने मजबूरी क्या है ? वे स्टेटमेंट दे क्यों नहीं रहे हैं ?

श्री हरिश्चन्द्र (सार्वजनिक निर्माण मन्त्री) : वैसे लेबर प्रोब्लम के सम्बन्ध में जो जो मांगें आ रही हैं, जो जो बातें आ रही हैं उन पर विचार करके सरकार ने कदम उठाये हैं।

श्री भैरोंसिंह : कोई कदम नहीं उठाया है। मैंने बीसों बार आपको रिप्रेजेन्टेशन दिये हैं। लेकिन, आपने नहीं बताया कि आपने क्या कदम उठाया है।

श्री हरिश्चन्द्र : मैं अदब के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि आपको मालूम नहीं है, जो जो मांगे आई हैं उन पर वक्तन-फ-वक्तन विचार करने के लिए मीटिंगें हुई हैं और क्या कार्यवाही हुई है वह मैंने बताया है। आपका जो पॉइन्ट है उसमें वह कवर हो जाता है तो वह आप पर लागू हो गई। आपने कहा, उसके अलावा कोई और बात हो गई हो तो आप कहें।

श्री भैरोंसिंह : आज से बीस दिन पहले मैंने पी० डब्ल्यू० डी० सेक्रेटरी और मंत्री महोदय को बताया कि उदयपुर के पी० डब्ल्यू० डी० के कर्मचारी आये हुए हैं और उनकी मागों पर विचार नहीं किया जा रहा है। आपने कई बार कहा कि डिप्टी मिनिस्टर उदयपुर जायेंगे और जो कर्मचारी मांग कर रहे हैं उन पर विचार करेंगे। वे उस समय तक उदयपुर नहीं गये थे, इस प्रकार की जानकारी उन्होंने स्वयं ने मुझे दी। उस हालत में कैसे मान लूं कि मन्त्री महोदय ने उन मांगों पर विचार कर लिया, समय समय पर कार्यवाही हो गई, किसी मांग को मंजूर कर दिया, किसी मांग को मन्जूर नहीं किया और सब कुछ हो गया? सब कुछ कैसे हो गया? बीस दिन पहले नोटिस दिया गया है हड़ताल करने के बारे में, उस पर कुछ तो निर्णय हो।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय कह चुके हैं कि समय समय पर मीटिंगें हुई हैं उनमें विचार किया गया है............

श्री भैरोंसिंह : कुछ नहीं होता है। होता यह है कि नन्दवानाजी जायेंगे और उचित कार्यवाही कर देंगे। नन्दवाना जी जायेंगे, इसमें सब हो गया?

श्री हरिश्चन्द्र : जी नहीं। उचित कार्यवाही हुई है। सरकार द्वारा क्या कार्यवाही हुई, लेबर प्रोब्लम के बारे में, मैं बता दूं......

श्री भैरोंसिंह : आप बता दीजिये। उदयपुर के पी० डब्ल्यू० डी० के कर्मचारियों के सामने जो प्रोब्लम हैं और जिसके कारण उन्होंने हड़ताल करने का नोटिस दिया है-उसके बारे में बता दीजिये।

श्री हरिश्चन्द्र : आप चाहते हैं कि कोई ट्रान्सफर हो जाता है तो उसके लिए मैं वक्तव्य दूं। अध्यक्ष महोदय, अगर परमिट करेंगे तो मैं वक्तव्य दे दूंगा। वैसे लेबर प्रोब्लम के लिए आप चाहें तो मैं वक्तव्य दे सकता हूं। लेबर प्रोब्लम को वक्तन-फ-वक्तन हम डिस्कस करते हैं और जो जो प्रोब्लम्स आई हैं उन पर डेफीनिटली सरकार ने एक्शन लिया है।

श्री भैरोंसिंह : वे जो......

श्री हरिश्चन्द्र : इसके अलावा......

श्री भैरोंसिंह : यह ठीक है, लेकिन बीस दिन पहले जो उन्होंने नोटिस दिया और जो जो उनकी डिमाण्ड्स हैं, उनकी जो मांग आईं उन पर क्या एक्शन लिया है?

श्री हरिश्चन्द्र : मैंने २३, २४ और २५ को ऑलरेडी मीटिंग कॉल कर रखी है।

श्री भैरोंसिंह : जब बीस तारीख से वे हड़ताल कर रहे हैं, तो आपने उनको लिख कर भेजा है ?

श्री हरिश्चन्द्र : वे हड़ताल कर रहे हैं, यह क्या मेरा कसूर है ? वे हड़ताल कर रहे हैं तो करें अब २० तारीख से हड़ताल कर रहे हैं, I am already going to discuss this problem with P. W. D. on 23rd, 24th and 25th.

श्री भैरोंसिंह : हड़ताल वे कर रहे हैं, यह प्रश्न नहीं है। हड़ताल वे इसलिए कर रहे हैं कि आप उनकी मांगों के बारे में विचार नहीं कर रहे हैं। आप मीटिंग कॉल कर रहे हैं, इसकी आपने इन्टीमेशन दे दी है क्या कि २३, २४ और २५ को मीटिंग कॉल करने का विचार कर रहे हैं और उनके रिप्रेजेन्टेटिव को बुलाया है ? इस प्रकार की इन्टीमेशन जाय तो विचार किया जा सकता है।

श्री मानिकचंद सुराणा (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय, अजीब बात है, मंत्री महोदय कहते हैं कि कर्मचारी हड़ताल करते हैं तो मैं क्या करूं ?

श्री हरिश्चन्द्र : मैंने यह नहीं कहा।

श्री मानिकचंद सुराणा : आपने यह बताया कि वे हड़ताल कर रहे हैं तो मैं क्या करूं।

श्री हरिश्चन्द्र : मैंने कहा कि वे वेट (wait) नहीं कर रहे हैं तो मेरा कुछ कसूर नहीं है। अगर वे हड़ताल करना चाहते हैं तो........

श्री मानिकचंद सुराणा : आपसे निवेदन किया गया........

श्री हरिश्चन्द्र : मैं उस प्रोब्लम को, लेबर प्रोब्लम्स को २३, २४ व २५ को डिस्कस कर रहा हूं, मैंने यह अर्ज किया।

श्री मानिकचंद सुराणा : आप कर्मचारियों को एडवाइस करें कि आपकी समस्याओं को २३, २४ व २५ को टेक-अप किया जा रहा है, तब तक हड़ताल को रोकें।

श्री हरिश्चन्द्र : मैं क्यों कहूं ?

श्री मानिकचन्द सुराणा : इसलिए कहें कि आप जनता के प्रतिनिधि हैं, इसलिए कहें कि आपके ऊपर जिम्मेदारी है।

श्री हरिश्चन्द्र : जितनी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है उतनी ही जिम्मेदारी वर्कर्स के ऊपर भी है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : आप उस तरह से व्यवस्था को चलायें।

श्री हरिश्चन्द्र : उनको मालूम है। मैं खुद उदयपुर जाकर आया हूं, उनके सामने कह कर आया हूं कि मैं मीटिंग कर रहा हूं, बावजूद उसके अगर वे हड़ताल कर रहे हैं तो उनकी मर्जी है।

श्री जोधसिंह (गिरवा): मंत्री महोदय वहां उन लोगों से नहीं मिले। यह वहां के मंत्री को मालूम नहीं है। आपने आश्वासन दिया है

(श्री जोधसिंह)

कि वक्तन-फ-वक्तन आपने केसेज को फ़ाइनेलाइज किया है। मुझे निवेदन करना है कि बुलेटिन चार—पांच के उत्तर भेजे गये लेकिन आज तक उनके मंत्रियों और कर्मचारियों को उनके बारे में नहीं बताया है और सारे के सारे आर्डर और पेपर दबाये हुए हैं। मंत्री महोदय कहते हैं कि ट्रान्सफर का मामला है, यह ट्रान्सफर का मामला नहीं है, मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री प्रतापसिंह (राजाखेड़ा) : उनको तकलीफ है वह बताई जा रही है।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : अध्यक्ष महोदय, इस तरह बीच में नहीं बोलना चाहिए।

श्री जोधसिंह : यह मामला ट्रान्सफर का नहीं है। यह मामला बड़ा विषम है। यही नहीं, कई कर्मचारियों को मुअत्तिल कर दिया है। इन्टक बनाने के लिए सरकार परेशान हो रही है और वहां के अभियन्ता को तंग कर रही है कि यूनियन बनाई जाय और वहां एक अलग यूनियन बना दी गई है। उस यूनियन के आदमी जो पचपन वर्ष के हैं उनको नौकर रखा गया है और दूसरी यूनियन के आदमी जो पचपन वर्ष के हैं उनको निकाल दिया गया है। जिन जिन को निकाला है उनकी मेरे पास लिस्ट है।

श्री अध्यक्ष : लिस्ट पेश करने की आवश्यकता नहीं है। मंत्री महोदय ने स्पष्ट कहा है कि पहले भी समय समय पर जो जो कर्मचारियों और मजदूरों की मांग आती रही हैं उन पर वे विचार करते रहे हैं और यथासम्भव रियायतें देते रहे हैं। अब २३,२४ और २५ को और मीटिंग करके सारी बातों पर विचार किया जायगा। मेरे ख्याल से मंत्री महोदय के वक्तव्य से माननीय सदस्यों को सन्तुष्ट हो जाना चाहिए।

श्री भैरोंसिंह : उनको इत्तला क्यों न की जाय ?

श्री जोधसिंह : मंत्री महोदय उदयपुर गये हैं लेकिन उनसे नहीं मिले हैं। अगर वे कहते हैं कि उनसे मिले हैं तो कहां मिले और कब मिले हैं, यह बता दें ?

श्री रामानंद अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, यह तो इस सदन का प्रिसिडेंट होना चाहिए कि जब ऐसा मजदूर वर्ग अपनी समस्याओं के प्रति हताश होकर इस कदम को उठाने के लिए मजबूर होते हैं और हड़ताल के लिए उन्हें जाना पड़ता है तो कम से कम यह प्रिसिडेंट इस सदन में होना चाहिए कि उनकी क्या मांगें हैं, गवर्नमेंट का उनके बारे में क्या स्टेंड है, इस बाबत इस सदन को कॉन्फिडेन्स में लिया जाय। मैं समझता हूं कि इस प्रश्न पर माननीय मंत्री महोदय की ओर से स्टेटमेंट दिया जाना निहायत जरूरी है ताकि सदन को पूरी तरह जानकारी मिल सके कि क्या बात है और जो भी बातें इस बारे में हो रही हैं उनमें उनके रिप्रेजेन्टेटिव को बुलाया जाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय स्वीकार कर चुके हैं कि क्या क्या रियायतें दी हैं, इसके बारे में इस सदन में बहस हो और वे उत्तर देने को खड़े हों।

श्री जोधसिंह : २३, २४ और २५ की मीटिंग करने का निर्णय ले लिया है, इसकी इत्तला दे दें।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बमाना) इसका आश्वासन भेज दें वहां।

श्री प्रतापसिंह : माननीय सदस्य ने वहां पर कुछ आश्वासन दिये हैं और वे पूरे नहीं हुए हैं इसलिए कह रहे हैं।

श्री विजयसिंह झाला : अध्यक्ष महोदय खड़े हैं इसलिए आप बैठ जाइये।

श्री प्रतापसिंह : वे आश्वासन पूरे नहीं हुए हैं इसलिए चिल्ला रहे हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): गेहूं की आड़त का सवाल नहीं है।

श्री विजयसिंह झाला : आपका नये मंत्रिमंडल में नाम आ रहा है।

जयपुर नगर स्थित सिंधी कैंप सम्बन्धी स्थगन-प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : एक स्थगन प्रस्ताव और है जयपुर नगर स्थित सिन्धी कैम्प, चांदपोल दरवाजे बाहर में पुरुषार्थियों को अलॉट किये गये प्लॉट्स का अभी तक कब्जा न दिलाये जाने एवं वहां पर बिजली के खम्भे उखाड़े जाने, पानी के कनेक्शन काट देने आदि से उत्पन्न स्थिति से सम्बन्धित एक स्थगन-प्रस्ताव श्री भैरोंसिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिया गया है।

यह मामला भी इतना अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है कि सदन की पूर्व निश्चित कार्यवाही स्थगित की जाकर आज इस पर विचार किया जाये। अतः मैं इसे सदन में प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं देता हूं।

और यह भी स्पष्ट नहीं है कि कौन मंत्री महोदय इससे सम्बन्धित हैं।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : मैंने लिखा है कि इन पी. डब्ल्यू. डी. मिनिस्टर जो रोडवेज के मिनिस्टर भी हैं, उनके ऑर्डर से पाइप लाइन काटी गई है, बिजली के खम्भे उखाड़े गये हैं और स्कूल के सामने खड्डे खोदे गये हैं, उन लोगों का जीवन दूभर बना दिया गया है। इस सदन के सदस्य और मंत्री महोदय जाकर देखें तो वे आश्चर्य करेंगे कि इस प्रकार की बस्तियों में लोग रहते हैं और उन्हें वहां से डंडे के बल से बाहर निकाला जायगा। मैं समझता हूं, यह सरकार के लिए शोभा की बात नहीं है। एक आदमी की झोंपड़ी जला दी गई है और उसके जले हुए कपड़े वगैरह विधान सभा भवन के बाहर पड़े हैं। उनको सदन के माननीय सदस्य और मंत्री महोदय जाकर देखें। उन गरीबों की झोंपड़ी जला दी, उनके साथ सब कुछ करें, उसके लिए मंत्री महोदय को कई बार कहा और कार्यवाही की मांग की। वे लोग वहां हैं, यह उनका दोष नहीं है, सरकार का दोष है। सरकार उनसे पैसा लेती है और प्लॉट अलॉट नहीं करती है और उनको वहां से हटने को मजबूर किया जा रहा है कि सारा सामान लेकर वे जंगल में चले जायं और रोडवेज के लिए स्थान दें। रोडवेज के स्थान का मामला इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि उन १३४ आदमियों का जो पाकिस्तान से भाग कर आये हैं और परेशान हैं। मंत्री महोदय मौके पर जाकर देखें।

श्री हरिश्चन्द्र (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : समस्या यह है, कि जो प्लॉट दिये गये हैं उन पर अधिकार....

श्री भैरोंसिंह : समस्या यह नहीं है कि स्वायत्त शासन मंत्री ने इस सदन में आश्वासन दिया था कि जिन लोगों को प्लॉट अलॉट हो जायेंगे इसके बाद ही उनको वहां से हटाया जायगा और जब तक उनको रहने के लिए स्थान नहीं मिल जाता है तब तक उनको वहां से नहीं हटाया जायगा। एक मंत्री महोदय आश्वासन देते हैं और दूसरे मंत्री उसके विपरीत आचरण करते हैं और डंडे के बल पर उनको हटाने की कार्यवाही करते हैं, इससे लोग परेशान हो रहे हैं उसके ऊपर मैंने एडजोर्नमेंट मोशन दिया है।

श्री हरिश्चन्द्र : अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहूंगा माननीय सदस्य से, कि आपने किस तरह से कहा कि मैंने इन्स्ट्रक्शन्स दी हैं ?

श्री भैरोंसिंह : मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज सुबह मैं उस स्थान पर गया था। लोगों से पूछा।

श्री हरिश्चन्द्र : आप बताइये कि आपके पास कोई इन्फोर्मेशन है जिससे आपने मेरे ऊपर मोटिव इम्प्यूट किया ?

श्री भैरोंसिंह : मैं साफ बतलाना चाहता हूं कि पी. डब्ल्यू. डी. मिनिस्टर के हैं।

श्री हरिश्चन्द्र : आपने कहा कि मैंने ऑर्डर्स दिये हैं।

श्री भैरोंसिंह : पी. डब्ल्यू. डी. मिनिस्टर के आदेश हुए हैं।

श्री हरिश्चन्द्र : मैंने नहीं दिये हैं।

श्री भैरोंसिंह : पी.डब्ल्यू.डी. मिनिस्टर के ऑर्डर्स हुए हैं। एक महीना पहले भी मैंने कहा था। बताइये किसके ऑर्डर्स से हुआ है ? रोडवेज का कन्स्ट्रक्शन किसके ऑर्डर्स से हो रहा है ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य का यह मतलब नहीं है कि व्यक्तिगत तौर से मंत्री महोदय ने इस विषय में कोई ऑर्डर्स दिये हैं। संभवतः माननीय सदस्य के कहने का मतलब यह है कि जो सारी कार्यवाही की जा रही है निश्चित रूप से सरकारी आदेशों से की जा रही है।

इसलिए माननीय सदस्य ने माननीय मंत्री पर कोई आक्षेप लगाया हो, ऐसी स्थिति नहीं है। इसलिए माननीय मंत्री महोदय को उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न केवल यह है कि कोई सरकारी नीति के अनुसार वहां जो कन्स्ट्रक्शन चल रहा है, उससे कुछ व्यक्तियों को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, जैसे माननीय सदस्य ने कहा। अब उसका निराकरण किस तरह से आप कर सकेंगे, इस विषय पर आप प्रकाश डालें।

श्री हरिश्चन्द्र : आप जो फरमा रहे हैं, आपका जो हुक्म है, मैं मानने के लिए तैयार हूं; लेकिन जिस तरीके से आपने सदन के अन्दर इस बात को रखा, उसका मैं सीरियस ऑब्जेक्शन लेता हूं। आपने जिस तरह रखा कि पी. डब्ल्यू. डी. मिनिस्टर के हुक्म से नल काटे गए, मैं समझता हूं मेरे ऊपर एक रोंग मोटिव लगाया है, उसका मैं सीरियस ऑब्जेक्शन लेता हूं।

श्री भैरोंसिंह : मैं इस बात का सीरियस ऑब्जेक्शन लेता हूं कि पी.डब्ल्यू.डी. मिनिस्टर,

(श्री भैरोंसिंह)

या उनके नीचे वालों ने या सरकारी आज्ञा देने वालों ने नल बिजली काटने....

श्री हरिश्चन्द्र : अब कह रहे हैं और जो पहले कहा, उसमें अन्तर है।

श्री भैरोंसिंह : पी.डब्ल्यू.डी. मिनिस्टर के हुक्म से, उसके विभाग के हुक्म से, सरकार के हुक्म से....

श्री प्रतापसिंह (राजाखेड़ा): पी.डब्ल्यू.डी. मिनिस्टर ने ऐसा हुक्म दिया या उसके विभाग ने दिया, इसमें बहुत डिफरेंस है।

(शोरगुल)

श्री रामानंद अग्रवाल (अलवर) : क्या नया परिवर्तन....

श्री भैरोंसिंह : आपकी आज्ञा के अनुसार निराकरण की व्यवस्था पीछे रह गई।

श्री रामानंद अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जिस तरीके से माननीय सदस्य के कहने को आक्षेप माना है, उसमें बात साफ हो गई कि जो कुछ भी कार्यवाही वहां विभाग की तरफ से हो रही है वह निन्दनीय है। उसे मंत्री महोदय अपने नाम के साथ जोड़ना नहीं चाहते। इसलिए मंत्री महोदय इतने निन्दनीय काम को, जो उनके जरिए नहीं हो रहा है, उनके विभाग में हो रहा है, उस काम को स्टोप करने का सदन में आश्वासन दे दें।

श्री हरिश्चन्द्र : स्टोप करने का सवाल नहीं उठता। आज सुबह माननीय सदस्य ने मुझे फोन किया था। मैंने कहा कि जो कुछ वे कह रहे हैं, उससे मेरी सहमति है; इसके लिए उनको अलग प्लॉट्स मिलने चाहिए। लेकिन आप यदि कहते हैं कि वे नहीं हटने चाहिए तो....

श्री भैरोंसिंह : मैंने यह कभी नहीं कहा। पर उनको उठाकर और प्लॉट्स दिए जायें तब तक उन्हें नहीं उखाड़ा जाय। उनको घरों से मत निकालिए। बरसात और गर्मी का मौका है, मेरा कहना केवल इतना है। अध्यक्ष महोदय जाकर देखें, टूंटियां काटी गईं, पानी निकल रहा है, बिजली के खम्भे उखाड़ दिये गये, स्कूल जाने वाले छोटे छोटे बच्चों के सामने गड्ढे खोदे गये, तो वे किसको बद्दुआ देंगे ?

श्री मुकटबिहारीलाल गोयल (बयाना) अध्यक्ष महोदय, ऐसा तातारी जुल्म क्यों हो रहा है ? घरों में आग लगा दी है, यह कलम (धारा) ४३६ का अपराध बनता है।

श्री भैरोंसिंह : आपने निराकरण के संबंध में आदेश दे दिए, इसके बारे में मंत्री महोदय जबाव दें।

श्री अध्यक्ष : मैं संबंधित मंत्री महोदय से....

श्री हरिश्चन्द्र : कानून के अनुसार कार्यवाही होगी।

श्री भैरोंसिंह : क्या उन्हें हटा दिया जायगा, जब तक प्लॉट्स नहीं मिलते हैं ? जब तक प्लॉट्स के ऊपर पजेशन नहीं दिलाते, आप उन्हें हटायेंगे या नहीं, इसका जवाब दीजिए ? सारे के सारे लोग इन्तजार में खड़े हैं।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय का मतलब है कि प्लॉट्स देने की जिम्मेदारी उनके विभाग की नहीं है। जिस मंत्री महोदय की जिम्मेदारी है, वे यहां पर नहीं हैं और उनके पास स्थगन-प्रस्ताव की सूचना भी भेज देंगे और मंत्री महोदय आपस में मिलकर तय करेंगे।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि जब संबंधित मंत्री यहां नहीं हैं, उनसे बात करके ही देखा जा सकता है और निश्चित रूप से कहा जा सकता है। अगर उनका ऑथोराइज्ड पजेशन है तो ऑल्टर्नेटिव प्लॉट्स के बारे में निश्चित तौर से व्यवस्था की जायगी, लेकिन अगर ऑथोराइज्ड पजेशन है तो उसके बारे में विचार करना होगा।

श्री भैरोंसिंह : क्लैरिफिकेशन कर दूं। उनका ऑथोराइज्ड पजेशन था इसलिए उन्हें ऑल्टर्नेटिव प्लॉट्स मिले हैं। सवाल प्लॉट्स देने का नहीं है, प्लॉट्स दे दिए हैं। आपने उनको १६४८ में सिंधी कैम्प में बसाया। वे जबरदस्ती जाकर नहीं बसे हैं। सरकार ने इनको दूकानें दीं, पानी के नल दिए, तो अनऑथोराइज्ड होने का सवाल नहीं है। तो ऑथोराइज्ड होने की स्थिति में आप आश्वासन देना चाहते हैं कि जब तक प्लॉट्स का पजेशन उन्हें नहीं मिलता, उस समय तक निकालने के बारे में जो कार्यवाही चल रही है वह नहीं होगी ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मुझे मालूम नहीं कि उन प्लॉट्स पर दूसरे काबिज....

श्री भैरोंसिंह : १३३ आदमियों को प्लॉट्स अलॉट किए हैं। उनमें ३३ ऐसे हैं जो काबिज हैं। आप आश्वासन दीजिए कि जब तक सब पर पजेशन नहीं होता तब तक आप उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : माननीय सदस्य चाहते हैं कि सरकार आश्वासन दे। मैं निवेदन करूंगा कि सरकार इस संबंध में विचार करके जल्दी से जल्दी निर्णय लेगी।

श्री रामानंद (अग्रवाल) : अध्यक्ष महोदय, यह तो बहुत क्लीयर-कट मामला है। उनका उनके पास ऑथोराइज्ड पजेशन है। आप यह कर दें कि जब तक पजेशन नहीं दिलवाएंगे तब तक उन्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अब यह पोजीशन सदन के सामने आ गई कि जहां उनको प्लॉट्स देने हैं वहां कुछ लोग हैं। जहां तक उनको हटाने का सवाल है एग्ज़ामिन करेंगे, सारे सवाल को पूरी तौर से एग्ज़ामिन करेंगे।

श्री भैरोंसिंह : आपकी बात को स्वीकार करता हूं, लेकिन आश्वासन चाहता हूं कि उनको तब तक नहीं हटाया जायगा।

श्री अध्यक्ष : सारे मामले पर विचार किया जावेगा।

श्री भैरोंसिंह : उनको निकालने का मामला चल रहा है।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय, एक माननीय मंत्री महोदय ने पहले ही इसके सम्बन्ध में आश्वासन दे

(श्री माणकचन्द सुराणा)

दिया है। जब एक मंत्री ने आश्वासन दे दिया है और वह आश्वासन भी एक तरह से सरकार की तरफ का ही आश्वासन है, इस लिये दुबारा आश्वासन चाहते हैं तो दे दिया जावे तो कोई बात नहीं है।

श्री हरिश्चन्द्र : The Government will seriously consider the question.

श्री मानिकचन्द सुराणा : Sympathetically.

श्री हरिश्चन्द्र : Seriously. सीरियस आप फरमाते हैं।

श्री मुकटबिहारीलाल गोयल : जिनके घरों में आग लगा दी गई है.........

श्री मथुरादास माथुर (गृह मन्त्री) : आग नहीं लगाई गई है।

श्री मुकटबिहारीलाल गोयल : समाज के किसी व्यक्ति के घर में आग लगाना बहुत बड़ा अन्याय है।

श्री मथुरादास माथुर : आग लगाने की कोई रिपोर्ट नहीं है।

(व्यवधान)

श्री सम्पत्तिलाल वोहरा (मावली): जब तक आप पूरे मामले को एग्जामिन न कर लें तब तक स्टे जारी किया जाए।

श्री अध्यक्ष : श्री बालकृष्ण कौल।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, केवल इतना सा एश्योरेन्स चाहता हूं कि जब तक अन्तिम निर्णय नहीं ले लिया जावे, उनको निकाला नहीं जावेगा।

श्री अध्यक्ष : इस आश्वासन के काफी नजदीक पहुँच चुके हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, केटेगोरिकली नहीं कहा है।

श्री हरिश्चन्द्र : आपने एश्योरेन्स दिया है। हम एग्जामिन करेंगे।

श्री भैरोंसिंह : किन बातों को एग्जामिन करेंगे ?

श्री हरिश्चन्द्र : जिन बातों को आपने सामने रखा है।

श्री भैरोंसिंह : मैं एक बात आपके सामने रखता हूं कि जब तक उनको पजेशन नहीं मिलें तब तक उनको बेदखल नहीं किया जाए।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : सरकार सम्भवतः यह उचित समझे तो एक सप्ताह के लिये रोक दे और तब तक मामले को एग्जामिन कर ले। मैं यह कोई उत्तर की आशा से नहीं कह रहा हूं। लेकिन यह बात सरकार के विचारार्थ कहता हूं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : लीडर ऑफ दी ऑपोजिशन ने जो बात रखी है उस पर ध्यान रखेंगे।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं ऐसा समझता हूं कि यह मेरा अकेले का कोई प्रश्न नहीं।

(श्री भैरोंसिंह)

यह १३७ परिवारों का प्रश्न है। यह न तो मेरा प्रश्न है, न इस सदन के किसी माननीय सदस्य का, न चीफ मिनिस्टर का है, न किसी मंत्री महोदय के परिवार का प्रश्न है। यह प्रश्न १३७ परिवारों को बेदखल करने का है। सरकार या तो यह कह दे कि उन लोगों को बिना प्लॉट मिले निकालेगी या सरकार यह कह दे कि हम विचार कर रहे हैं और जब तक अन्तिम निर्णय न ले लें तब तक उनको नहीं निकला जावेगा। हमें दोनों बातों में से एक बात स्पष्ट कह देनी चाहिये।

श्री हरिश्चन्द्र : अध्यक्ष महोदय ने अभी कह दिया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : केटेगेरिकली अभी तक नहीं कहा है। जब तक केटेगेरिकली आप यह न कह दें कि उनको अन्तिम निर्णय तक बेदखल नहीं किया जावेगा........

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ने जो बात रखी है व लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने जो बात रखी है उन पर बहुत ही जिम्मेदारी से विचार किया जावे। माननीय सदस्य,लीडर ऑफ दी ऑपोजिशन ने जिस विश्वास से, जिस भावना से व जिस तर्क के द्वारा, जिस भाषा के आधार पर जो बातें सदन के समक्ष रखी हैं, उसका मैं समझता हूं कि अवश्य ही सरकार के सामने असर है।

श्री भैरोंसिंह : भाषा के आधार पर नहीं, भावना के आधार पर ऐसा करेंगे।

श्री अध्यक्ष : यही बात है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : यह जो स्थिति है उसके बारे में स्पष्ट हो जावे कि उनको हटाया न जावे। यह कह दीजिये, यह नहीं कहें कि हम सिम्पेथेटिकली विचार करेंगे। आपने यह नहीं कहा कि हम उनको नही हटावेंगे।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अध्यक्ष महोदय, अभी एक स्थगन-प्रस्ताव आया और अभी का अभी उसके बारे में आप चाहते है कि कह दिया जाए तो उचित नहीं होगा कि क्योंकि उसके कई पहलू हो सकते हैं। हमें मालूम नहीं क्या परिस्थिति है, हमें उसे एग्ज़ामिन करना है। वहां पी. डब्लू. डी. का काम हो रहा है और ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेन्ट ने अभी उसको अपने हाथ में लिया है। उन प्लॉटों पर गवर्नमेंट का अधिकार है, कन्ट्रक्शन चालू है। अगर अधिकार नहीं है तो सिविल कोर्ट में जाकर इंजंक्शन ला सकते हैं। नहीं ला रहे हैं, इसका मतलब यह है कि गवर्नमेन्ट का अधिकार उन पर है। उनको प्लॉट्स दिये गये या नहीं, वे वहां गये या नहीं। जिस जगह उनको जाना था जो प्लॉट्स ओक्युपाइड हैं उन पर उनका पजेशन वेलिड है या नहीं; इन सब बातों पर विचार किये बिना एक स्थगन-प्रस्ताव पर यह कह दिया जावे कि सब काम बन्द कर दिया जावे, उचित नहीं होगा। केवल प्रश्न यहां तक सीमित नहीं रह गया कि ऑल्टर्नेट प्लॉट दिये जावें। आपके द्वारा आश्वासन यह चाहा जाता है कि काम बन्द कर दिया जावे। क्यों ऐसी परिस्थिति पैदा हुई है, इसको तो देखा जावे।

श्री भैरोंसिंह : उनके घर वहां से हटाये जा रहे हैं, उनको नहीं हटाया जावे।

श्री अध्यक्ष : काम बन्द करने का प्रश्न है।

श्री भैरोंसिंह : उन्होंने उस जमीन पर अपने मकान भी बनाये हैं। उनके घरों को तोड़ कर रास्ता भी निकाला जा रहा है, उसको बन्द करने की बात है ! आज यह कहा जाता है कि पी. डब्लू. डी. की जमीन है, रोडवेज की जमीन है; मगर मैं यह कहूंगा कि ये लोग उस जमीन पर काबिज हैं। सन् ५२ से पहले से सरकार के बसाये हुए बसे हैं, अपने आप मर्जी से नहीं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इतनी बात कह देने के बाद क्या बाकी रह जाता है; सिवाय इसके कि अभी का अभी कह दें ?

श्री मानिकचन्द सुराणा : मैं माननीय मुख्य मंत्री से निवेदन करना चाहूंगा कि उनको सारी बातों को देखने में ५-७ दिन का समय लग सकता है तब तक आप इस सम्बन्ध में इन्टेरिम स्टे ऑर्डर जारी कर दें तो उचित होगा।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैंने कहा था कि एक-आध सप्ताह के लिये काम रोक कर मैटर को एग्जामिन किया जावे।

विनियोग लेखे एवं वित्त लेखे (६१–६२) सदन की मेज पर रखना

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नांकित पत्र सदन की मेज पर रखता हूं :

(१) राजस्थान राज्य के विनियोग लेखे, १९६१—६२

(२) राजस्थान राज्य के वित्त लेखे, १९६१—६२

(३) अंकेक्षा प्रतिवेदन, १९६३.

कार्य-सलाहकार समिति के दसवें प्रतिवेदन का उपस्थापन एवं उस पर सहमति

श्री मथुरादास माथुर (गृह मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सलाहकार समिति के दसवें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

(विराम)

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के दसवें प्रतिवेदन से अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत): अध्यक्ष महोदय, जो कार्य सलाहकार समिति के दसवें प्रतिवेदन में मंत्रिमंडल के प्रति अविश्वास के प्रस्तावों पर बहस करने के लिये ३ दिन का समय रखा गया है यह बहुत कम है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि कम से कम चार दिन का समय रखा जावे और इस समय में सरकार के द्वारा जवाब का समय है वह शामिल नहीं किया जावे।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य को सम्भवत: मालूम ही है कि कार्य सलाहकार समिति में सभी दलों के सदस्य होते हैं और उनसे विचार-विमर्श करने के बाद ही समय निर्धारित किया जाता है, इस परम्परा को माननीय सदस्य तोड़ना चाहें तो उनकी मरजी है। लेकिन मैं समझता हूं कि जो परम्परा अभी तक सदन में चलती रही है उनको हमें स्वीकार करना चाहिये। सभी पार्टीज और ग्रुप्स के सदस्यों की सलाह से जो समय निर्धारित किया है उसे सदन को स्वीकार करना चाहिये।

(श्री अध्यक्ष)

अगर इसमें कोई संशोधन होगा तो और भी कई माननीय सदस्य यह भी कहेंगे कि इसके लिये ज्यादा समय दिया गया है कम दिया जाना चाहिये, जिस तरह आप कहते हैं कि ज्यादा समय रखा जाना चाहिये। इस तरह से कई प्रकार की स्थिति पैदा हो सकती है। इसलिये यह जो मौजूदा स्थिति है यह अच्छी और ज्यादा सैद्धान्तिक है। इसलिये मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि उन्होंने जो आपत्ति उठाई है उसे वे वापिस ले लें ताकि मतदान हो सके।

श्री कुमारानन्द (ब्यावर) : Point of information. I had given a notice of adjournment motion.

श्री अध्यक्ष : आपका बहुत लेट आया था, आपने बहुत देरी से दिया था।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : मैं अपने प्रस्ताव को वापिस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव सदन के सामने है उसे स्वीकार किया जाए।

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

(४.२० म० प०)

राजस्थान भूमि सुधार तथा भू-स्वामियों की भू-सम्पदा अवाप्ति विधेयक, १९६३
(अग्रेतर विचार-विमर्श)

श्री अध्यक्ष : राजस्थान लैंड रिफॉर्म्स एन्ड एक्विजिशन ऑफ लैंड ओनर्स एस्टेट्स बिल, १९६३।

श्री मुकुटबिहारीलाल, कृपया संक्षेप में भाषण समाप्त कर दें, आप कल भी काफी बोल चुके हैं।

एक माननीय सदस्य : कल तो भूमिका मात्र रखी थी।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना): अध्यक्ष महोदय, मैंने कल आसन के द्वारा यह निवेदन किया था कि जो माननीय सदस्य इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं वे कम से कम समय की गति को नहीं जानते। आज यह समय की पुकार है उसकी तरफ मैंने उनका ध्यान आकर्षित किया था। हमारे विरोधी दल के नेता की ओर से बहुत ही भावनामय अभिव्यक्ति की गई थी कि सरकार इस विधेयक के द्वारा अन्याय कर रही है, यह मैं नहीं मानता। यह ऐसा सवाल है जिसके द्वारा हमें भावी हिन्दुस्तान के निर्माण को दृष्टि में रख कर विचार करना है। मैंने कल यह भी निवेदन किया था कि राजाओं ने देशी रियासतों के एकीकरण के सम्बन्ध में बड़ा त्याग और बलिदान किया, त्याग और बलिदान का एक उद्दात्त उदाहरण पेश किया था। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उस उदाहरण को वे अब भी रखें और ऐसी बातें न कहें जैसा कि उन्होंने आपने भाषण के दौरान में कहा कि इससे आगे अप्रिय घटनाए होंगी। इस प्रकार की चेतावनियों और धमकियों से जनता की पुकार, समय की पुकार को बदला नहीं जा सकता। फ्यूडेलिज्म गये बीते जमाने की बात थी; उसे एक बन्द चेप्टर मानना चाहिये, उस अध्याय को बन्द ही मानना

(श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल)

चाहिये। उसको जीवित रखने की बात करना समय के खिलाफ बात होगी, जो इस जमाने में टिक नहीं सकेगी।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा अत्यन्त विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि जब यह बिल प्रवर समिति के सुपुर्द किया था तो दकियानूसी, अमानवीय तत्व उसमें जानबूझ कर जोड़ दिये गये। मैं नहीं जानता कि सरकार की ओर दूसरे माननीय सदस्यों की क्या क्या भावनाएं थीं, पर मैं उनका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि इसके क्लॉज ८ में कुछ प्रोवीज़ो जोड़े गये हैं। (२) (सी) में यह बात रखी गई है :—

"Nothing contained in this section shall [c] [i] affect the existing shikar rights of the landowner in the shooting preserves or areas, and

[ii] the existing fishing rights of the landowner in waters, specified in the inventory".

तो प्रश्न यह है कि इसके माने यह हुए कि जीव-हत्या के मामले में प्राणीमात्र जीवधारियों के खिलाफ हत्या के मामले में इनको संरक्षण प्रदान किया गया है। उदाहरण के तौर पर बताऊं भरतपुर में एक बड़ा असाइलम है, चिड़ियों के संरक्षण की जगह है। इसके माने यह हुए कि हम विश्व भर की चिड़ियाओं के लिये शरण देते हैं कि हमारे यहाँ शरण ग्रहण कर लीजिये। केवला देव के घने के अन्दर रूस तक की चिड़ियाएं आती हैं। टन्ड्रा आदि के अन्दर जब भीषण बर्फीली आंधियां चलती हैं तो केवला देव के घने के अन्दर दूर दूर की चिड़ियाएं आकर शरण ग्रहण करती हैं। इस क्लॉज़ के लग जाने के यह माने हुए कि वहां के राजा के लिये इस बात की छूट होगी कि वह अपनी बन्दूक चला कर अपनी और अपने साथियों की, पालतू सेवकों की, बन्दूकों के निशानों से इन आये हुए मेहमानों को, चिड़ियाओं को, जिनको हमने शरण दी है उनको मरवायेंगे, यह मानवीय प्रश्न है, जिसकी ओर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। जो मूल बिल था उसमें ये शब्द नहीं थे। मैं नहीं समझता कि प्रवर समिति ने कौन से ऊंचे आदर्शों को सामने रख कर इस प्रकार का प्रोविज़न आधारभूत सिद्धान्त को रख दिया कि इनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। मैं धार्मिक बातों में नहीं जाना चाहता। आज जिन बुनियादी सिद्धान्तों पर, पुरखाओं के आदर्शों पर समाज का ढांचा स्थापित है, वह यह है कि हम शरण में आये हुओं को संरक्षण दें। पर इस प्रकार का बिल लाकर हम पशु-पक्षियों के साथ न्याय नहीं कर सकते। एक तरफ तो संरक्षण की बात कहते हैं और दूसरी ओर इनकी हत्या की छूट देते हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि सवाईमाधोपुर की सेंक्चुरी है, जंगल है, वहां हजारों रुपया सरकार द्वारा खर्च किया जाता है। वहां वन्य पशुओं का वध नहीं करेंगे, इस प्रकार का संरक्षण का दिखावा करते हैं। पर साथ ही साथ अगर यह प्रोविज़न रहता है तो इसका मतलब यह होगा कि जयपुर के राजा के लिये वहां पशु हत्या करने का लाइसेंस मिला हुआ है; उसके ऊपर सदन छाप लगा देता है और इस कानून के द्वारा हम फिर छाप लगा देवें। हम क्यों इन फ्यूडेलिज्म के तत्वों का पोषण

Page No.51

(श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल)

करना चाहते हैं ? आखिर सरकार इस तरह के कानून लाकर क्या चाहती है ? वह जनता के सामने अपनी साफ नीति रखे ।

यह पीछे ले जाने वाला प्रोविजन है मैं प्रभारी मंत्री महोदय से, जो इन्चार्ज ऑफ दी बिल हैं, निवेदन करना चाहूंगा कि वे इन बातों को वापिस ले लें; वर्ना एक तरफ तो इन जानवरों पर हजारों रुपया खर्च करते हैं, इनको चारा डलवाते हैं; इनके आराम का खाने-पीने का इन्तजाम करते हैं और दूसरी तरफ जयपुर नरेश को इजाजत दे देते हैं कि जयपुर का राजा उसके लड़के, वन्य पशुओं का हनन करें । मैंने पहले भी कहा था कि जयपुर का राजा बिजनेस (व्यापार) करता है, होटल चलाता है इनके होटल में बाहर के बड़े बड़े विदेशी यात्री ठहरते हैं । उनसे सौदे होते हैं कि हमें आप १० हजार रुपये दे दो तो हम आपको शेर का शिकार करा देंगे, क्योंकि हमें लाइसेंस मिला हुआ है कि रॉयल फेमिली और उनके दोस्त हत्याएं कर सकते हैं । यह हुआ तो कम से कम समाजवादी सरकार का या समाजवादी ढांचे की सरकार का उदाहरण नहीं होगा, यह तो १४ केरट की सरकार का भी उदाहरण नहीं होगा, यह तो होक्स पोक्स उदाहरण हो जायगा । अतः इस ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिये विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय, मैं इसको बहुत जल्दी में ही समाप्त कर रहा हूं । क्योंकि यहां पर इसलिए खड़ा नहीं हुआ हूं कि सदन का समय बर्बाद करूं ।

एक बात इसमें यह कही गई है कि इस कानून का असर २६ जनवरी, सन् १९५० से लागू होगा । इसका मतलब क्या होगा ? इसका मतलब यह होगा कि मैं इसके संबंध में आपको भरतपुर का उदाहरण देता हूं भरतपुर के महाराजा साहब हमारे सदन समाननीय सदस्य की 'कुरोंचा' के अन्दर जमीन थी । उन्होंने यह देख कर कि सीलिंग आ रहा है, यह देखकर कि आगे चलकर यह सिस्टम चलने वाला नहीं है, चाहे उसके विषय में उनकी कोई भी नीयत रही हो, भरतपुर में भूमिहीन किसान अधिक हैं, वहां पर जमीन कम है, जमीन पर प्रेशर अधिक है, वहां के भूमिहीन किसान जमीन चाहते हैं, उनके सामने बेचैनी की अवस्था है, उस गरीब जनता का, उन भूमिहीन लोगों की बेबसी का फायदा उठा कर उनसे ऊंची-ऊंची कीमतें लेकर उनको वह जमीन उन्होंने बेच दी । किसी ने पच्चीस बीघा खरीदी, किसी ने पांच बीघा खरीदी, किसी ने दस बीघा खरीदी और उन लोगों का आज सन् पचास से, ५१, ५२, ५३ व ५४ से लगातार उन जमीनों पर कब्जा है । इस विधेयक के द्वारा यह जरूर कहा गया है कि जो उसकी जोत है उसका उनको खातेदारी राइट्स देंगे । जहां तक लगान वसूली का सवाल है या दूसरे-दूसरे सवाल हैं, सरकार में यह जमीन वेस्ट करेगी, free from all encumbrances. हर एक भारों से रिक्त होगी । ऐसी स्थिति है तो इससे बड़ी पेचीदगियां पैदा हो जावेंगी । इससे यह हो जायगा कि वह भूमि हीन किसान, शान्त कस्टीवेटर, जोता, एक बेबसी की हालत में पड़ जायगा । जनता को राहत देने के लिये, देश में समाजवाद को आगे

(श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल)

बढ़ाने के लिए इस उत्साह में कहीं गरीब का खून न कर दें। उसके संरक्षण के लिए प्रोपर व्यवस्था इस कानून में होनी चाहिये।

तीसरी बात है मुआवजे के लिए। जहां तक मेरा और मेरी पार्टी का ताल्लुक है आम जनता के हित में हम इस मुआवजे के पक्ष में नहीं हैं। मैं यह भी पसन्द नहीं करता कि जयपुर जैसे राजा के लिए जिनका करोड़ों रुपयों का बैलेन्स बड़े बड़े बैंकों में स्टेन्ड करता है, मैंने कल भी नम्र निवेदन किया था कि इन बड़े-बड़े राजा-महाराजाओं को लाखों रुपया जनता की गाढ़ी कमाई का प्रिवी-पर्स के जरिये से दिया जाता है उसके लिए फिर मुआवजा देने का सवाल क्यों पैदा हो? जो मजबूरियां हैं, सदन की मजबूरियां हैं, यह हमारा दुर्भाग्य है कि जो हमारा संविधान बना, जैसा तैसा जिस स्थिति में बनाया गया कि किसी की सम्पत्ति को बिना मुआवजा दिये नहीं लेंगे। मैं देशी नरेशों से, महारावल साहब से नम्र निवेदन करूंगा कि उन्होंने पुरानी परम्परा रखी है, देशी राज्यों को छोड़ कर उनका विलय करवा कर जो त्याग और बलिदान दिखाया है वे स्वयं ही कपेम्न्सेशन की बात को त्याग करके बतायें। लेकिन मुझे आशा नहीं।

महारावल साहब ने बात कही। मेरे तीन गांव हैं उनमें एक पैसा भी लगान का वसूल नहीं करता। अगर ऐसी बात है, गत पन्द्रह वर्षों में कोई लगान वसूल नहीं किया है, किसी को बेदखल नहीं किया है, तो यह बड़ी अच्छी बात है। अगर ऐसा काम करते हैं तो वे सदन में यह घोषणा कर दें कि मैं अपनी जमीन का, जो अब उनके लिए बेकार है, खातेदारी अधिकार दे रहा हूं। यह सदन मजबूर है, जो अधिकार हैं वगैर मुआवजा दिये नहीं ले सकते हैं, इसके लिए इसमें भी प्रोविजन किया गया। मैं उनसे नम्र निवेदन करूंगा कि एक टोकन तरीके से एक गुना या आधा गुना- मुआवजे का विधान कर देना चाहिये। क्योंकि भार में भार डालने से क्या मतलब? एक तरफ तो हम देखते हैं कि लोग फटे-हाल हैं- अजहद गरीब हैं, जिनके पास पहिनने के लिए कपड़े नहीं हैं, इस तरह के लोगों को तो उखाड़ा जा रहा है, जो अपने को एक चहार दीवार में रख लेते हैं, एक झोंपड़ी में काली रात में अपने शरीर को छिपाते हैं। एक तरफ तो उनकी यह हालत है और दूसरी तरफ उन लोगों की विशाल अट्टालिकायें हैं, हजारों लाखों की जिनके पास सम्पत्ति है। इस प्रकार के दुनियां के अन्दर के इस प्रकार के जो कठोर तथ्य हैं उनको ओझल करके न चलें। इस बात को तूल न देकर कहना चाहूंगा कि एक तरफ झोंपड़ी है, सुन्दर शरीर पर फफोले पड़ गये हैं, एक तरफ तो यह गरीबी और दूसरी तरफ विशाल अट्टालिकायें हैं, यह जो हिन्दुस्तान के अन्दर गरीब और अमीर का करिश्मा है, उसके लिए सदन के भारी जिम्मेदारी है। भावी हिन्दुस्तान के और राजस्थान के निर्माण के लिए इन कठोर तथ्यों को लेकर चलें। यदि मानवीय दृष्टिकोण से विचार करेंगे तो मुआवजे के घपले में नहीं पड़ेंगे। मैं भावनाओं के वश नहीं, सिद्धान्तों और उसूलों की बात कह कर कांग्रेस सरकार ने जो यह विधेयक लाकर आदर्श का काम किया है, देर आये दुरुस्त आये, १४ साल पहले जो चीज कर देनी चाहिये थी, कभी भी सही, पर

(श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल)

जो की है, जो इस प्रकार का कदम उठाया है उसका हम स्वागत करते हैं। देशी नरेशों से निवेदन करूंगा कि वे उस त्याग की परम्परा को कायम रख कर किसी प्रकार की कड़वाहट या धमकी न देकर, उससे दूर हट कर, उनको खुले हृदय से आना चाहिये ताकि विशाल राजस्थान का अच्छी तरह से निर्माण कर सकें, जनता का हित कर सकें। देश के अन्दर जो दूसरा अध्याय खोलने जा रहे हैं उसका स्वागत करते हुए इन शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री बृजसुन्दर शर्मा।

श्री बृजसुन्दर शर्मा (बूंदी) : माननीय अध्यक्ष, कल विधेयक के कॉन्स्टीट्यूशन के बारे में, कन्सीडरेशन में लिया जाय या नहीं, इस पर बहस हुई। हमारे माननीय सदस्यों ने इस विधेयक में खामियां बतला कर, कुछ गलतियां बतला कर, कुछ कमियां बतला कर इस विधेयक को वापिस प्रवर समिति के सुपुर्द करने की मांग की। उन्होंने अपनी दलील में इस बात को तो माना है कि यह विधेयक बिलकुल प्रोग्रेसिव है, जल्दी से जल्दी इसको पारित करना चाहिए और अब तक क्यों नहीं पारित हुआ, इस पर भी उन्होंने एतराज किया। मैं नहीं समझ पाता कि जब यह विधेयक प्रोग्रेसिव है; इसकी आवश्यकता है और इसको जल्दी से जल्दी पास किया जाना उचित है तो फिर किस तरह से इसको वापिस प्रवर समिति में भेज कर वे इसको पास करवाने से रोकने के बजाय इसको पारित करने में किस तरह से सहायता करेंगे? हो सकता है विधेयक में कुछ खामियां हों और मैं भी मानता हूं कि कुछ खामियां रह गयी हैं, हो सकता है उसमें कुछ कमियां भी हों, लेकिन उन कमियों और उन खामियों को इस सदन में हमारे माननीय सदस्य अपनी तरमीम लाकर ठीक करवा सकते हैं, जो खामियां हैं उनको दुरुस्त करवा सकते हैं। सदन में जब यह विधेयक है, जिन खामियों को वे दुरुस्त करवाना चाहते हैं, वे इनको यहां रख कर उसमें प्रावधान करके कर सकते हैं, सदन उसको पास कर सकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे सम्माननीय सदस्य जिन्होंने इस विधेयक को अच्छा मानते हुए भी प्रवर समिति को पुन: भेजने और दूसरी प्रवर समिति के सुपुर्द करने की मांग की है वे स्वयं उस मांग को अनुचित मानेंगे और वे उन प्रस्तावों को वापिस लेने की महरबानी करेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय सन् १९४७ में जब भारत आजाद हुआ और जब हम अंग्रेजी राज से निकले उस वक्त जो रियासतें जो पेरामाउन्डसी के अन्दर थी जो ब्रिटिश हुकूम को पेरामाउन्ट मानती थी उन्होने इन्स्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेसन के जरिये एक्सीड किया और अपनी सॉवरिनटी को मर्ज किया। इन्स्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के जरिये अपने जो तमाम अधिकार थे वे सारे के सारे डोमीनियम ऑफ इन्डिया को दिये। उसके बाद मर्जर हुआ छोटी रियासतों का बड़ी रियासतों में और उसके बाद रियासतों का विलिनीकरण हुआ उसके इतिहास को सब जानते हैं। एक कॉवेनेन्ट भारत सरकार यानि गवर्नर जनरल ऑफ इन्डिया के बीच और जो राजप्रमुख थे रियासतों के उनके बीच में दस्तखत हुआ। वह कॉवेनेन्ट विधान के आ जाने के बाद वह

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

भी उसमें शामिल किया गया। दलील यह दी जाती है कि जो शर्तें उस समय कॉवेनेन्ट में थी जो एग्रीमेंट के अन्दर मौजूद हैं उनको आज माना नहीं जाता और इस बारे में विधान की दुहाई दी जाती है; मैं समझता हूं वह बिलकुल सही नहीं है। आज जिस तरह का हमारा कॉन्स्टीट्यूशन बना हुआ है, उसकी जो धारायें है उनको हम मानते हैं। उसके प्रतिकूल नहीं जा रहे हैं। जो दर्जा प्रिवीपर्स के बारे में उसके प्रतिकूल हम नहीं जाते। आर्टिकल ३६२-६३ जिसके अन्तर्गत राजाओं के प्रीविलेजेज़ और उनके राइट्स दिये गये हैं उसको तसलीम किया गया है, उसको न मानने की बात नहीं कही जा सकती न हम जो प्रोपर्टी का सेटलमेंट हुआ है उनसे पीछे जाना चाहते हैं, जहां तक इस बिल का ताल्लुक है।

मैं चाहता हूं कि जिन माननीय मित्रों ने इस बात की दलील दी वे यदि इस बिल में जो लैण्ड की डेफिनिशन दी हुई है उसको उन्होंने अच्छी तरह कहीं देखा है। मैं इस सदन के सम्मुख इस बिल का क्लॉज २ है उसका जो (एफ) पार्ट है उसकी तरफ तवज्जोह दिलाना चाहता हूं, जिसमें यह साफ तौर से लिखा हुआ है।

"......but does not include forts, palaces, buildings and building plots specified in the inventory;" इसमें साफ है कि जो लैंड की परिभाषा दी गई है उसमें जो जायदाद आती है वह स्पेसिफाइड है। इानवेन्टरी में वह लैंड इन्क्लूड नहीं होती है। लेकिन इस बिल में जिस चीज की मांग की गई है वह यह है कि हजारों बीघे की तादाद में जो जमीन खाली प्लॉट्स के रूप में राजा-महाराजाओं के पास में है, जिनसे वे पैसा कमाते हैं क्या आप यह भी नहीं चाहते कि जहां एक गरीब काश्तकार जो खेती करता है उससे तो उस जमीन का लगान लेते है दूसरी तरफ हजारों बीघा जमीन अपने पास में लिये हुए हैं, जिन्होंने बड़े बड़े फार्म बना रखे है और बड़ी बड़ी जमीन खाली रख छोड़ी है जो खाली घास चराने के लिये हैं; क्या बड़े बड़े जंगल, बड़े बड़े तलाब जिनके पास हैं, जो शिकार के काम आते है उसके सारे के सारे अधिकार उनके पास रहें और जमीन का लगान ही न दें? ऐसी कोई शर्त भारत सरकार ने कॉवेनेन्ट में एन्टर नहीं की, न इस प्रकार की शर्त उसमें मौजूद ही है। जो कॉवेनेन्ट की धारा १२ के सब-क्लॉज़ ३ का जो हवाला दिया गया उस क्लॉज तीन को अच्छी तरह से पढ़ें तो उसमें यह तो कहा गया है कि जोइनवेन्टरी भारत सरकार ने फाइनल कर दी वह फाइनल समझी जायगी। भारत सरकार ने यह कहीं नहीं कहा उन जायदादों को जिनको इनवेन्टरी में नहीं लिया उन पर लगान न लिया जाय। जो जायदाद उनके पास में है उनको ऑर्डिनेरी लॉज़ से वंचित रखा जाय, यह कहीं पर भी नहीं है। जो भारत सरकार ने व्हाइट पेपर में स्पष्टीकरण किया है उस व्हाइट पेपर के पैरा ७, पेज ६४ की तरफ मैं सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं, जिसमें साफ तौर से दर्ज है :

Rulers who were interested in farms and in forming Horticulture have been allowed to retain reasonable areas of land in their possession. This land will be held subject to the ordinary revenue laws and to the payment of assessment.

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

इसमें साफ चीज है, भारत सरकार ने स्पष्टीकरण किया है व्हाइट पेपर का विश्लेषण इससे ज्यादा अधिक नहीं हो सकता। जो फार्म्स या बगीचे उनके पास रखे गये हैं वे किसी भी तरह से ऑर्डिनेरी लॉज़ से एग्जेम्प्ट नहीं हो सकते, असेसमेन्ट उन पर लागू होगा। इस क्लॉज़ की तहत यह आपत्ति बिल्कुल निराधार है कि उन पर लगान नहीं लगाया जाय। इसके साथ ही मैं इसके नीचे और क्लॉज़ है उसकी तरफ भी सदन की तवज्जोह दिलाना चाहता हूं :

"The Rulers have, also in a number of cases, been allotted grazing areas. The land so held is liable to assessment".

जो बीड़ है या ग्रेजिंग एरिया हैं उन पर भी असेसमेन्ट होगा : "Generally the areas have been given to the rulers with limited rights of grazing".

भारत सरकार के इस स्पष्टीकरण से यह बिल्कुल साफ है। उनमें जो अधिकार दिया है कॉवेनेन्टिग रूलर्स को कॉवेनेन्ट के जरिये वे अधिकार बहुत सीमित अधिकार हैं और वे अधिकार किसी भी तरह से इस हद तक नहीं जाते कि उनको किसी प्रकार सेस या लैण्ड रेवेन्यू या असेसमेन्ट न लिया जाय। यह दलील देना कि यह हम बिल जो पेश कर रहे हैं वह कॉवेनेन्ट के और स्टेट के साथ जो एग्रीमेन्ट हुआ उसके खिलाफ है, यह वाजिब दलील नहीं है।

हमारे एक मित्र ने कहा, सुप्रीम कोर्ट की ऑथोरिटीज़ का हवाला दिया। सुप्रीम कोर्ट को अच्छी तरह से पढ़ा जाय वह भी इस बात को मानते हैं। इस बात को १६६१ में उड़ीसा में मान लिया गया है। वह इजाजत नहीं देता किसी तरह उनकी प्राइवेट जमीन मानकर मर्जी आये उस तरह से किसी को दे या किसी को निकाल दे।

१६६१ उड़ीसा में सवाल आया था किसी टीनेन्ट को बेदखल करके उसको निकाल दिया गया। बेदखल जिसको किया गया उसने दावा किया। उस पर यह दलील दी कि यह हमारी जमीन है कॉवेनेन्ट में जो प्रावधान है उसके अनुसार हमारे पर किसी प्रकार का सिविल कोर्ट में दावा नहीं किया जा सकता। लेकिन इस पर जो निर्णय हुआ उसमें यह साफ है कि सिविल कोर्ट को अख्त्यार है कि वह जमीन जो ऑर्डिनेरी लॉज़ से गवर्न होती है उस पर किसी प्रकार का दावा किया जाय तो यह सिविल कोर्ट में सुना जा सकता है।

इसी तरह से १६५८ सुप्रीम कोर्ट का भी हवाला दिया गया है वह सीमेंट कम्पनी के इनकमटैक्स से ताल्लुक रखता है वह इससे ताल्लुक नहीं रखता है।

इसके अलावा १६५८ का दूसरा इजेक्टमेंट का केस है। उसमें काश्तकार गये थे। सिविल कोर्ट को अख्त्यार नहीं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि यह प्रिविलेज नहीं है। कॉवेनेन्टिग एग्रीमेंट में यह जायदाद कवर नहीं होती है, इसके खिलाफ दावा ले सकते हैं।

तो यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि जो

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

हाउस के सामने यह बिल कन्सीडरेशन के लिये आ रहा है उसमें किसी प्रकार से कोई कानूनी अड़चन या वैधानिक अड़चन नहीं है। इस बारे में हमारे एडवोकेट जनरल को भी कन्सल्ट कर लिया गया है और उनकी राय, मैं समझता हूं, जैसी सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट में दर्ज है, यह है कि यह बिल यहां आ सकता है। तो अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिये इसको पारित करने में। इसको जल्दी से जल्दी पारित किया जाय।

हमारे माननीय सदस्य महारावल साहब ने त्याग और बलिदान की भावना का जिक्र किया और कहा कि हमने बड़ा त्याग किया है सारी की सारी रियासतें देकर। लेकिन यह बात आज राजस्थान में सर्व विदित है कि किस प्रकार से उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी जायदाद और जमीन रखकर गरीब जनता का शोषण किया है राजनैतिक दृष्टि से और किस तरह उन पर अनड्यू इन्फलुएन्स डाला है। बेचारे काश्तकारों को जब उनकी मर्जी हुई कह दिया कि तुम हमारे जंगल में से लकड़ी ले सकते हो और जब नाराज और रुष्ट हो गये तो कह दिया आज से लकड़ी ले जाना बन्द है। कह दिया राजी हो गये तो कि आज से हमारी जमीन जोतो और कल जब रुष्ट हो गये तो कह दिया निकल जाओ। इस तरह से गरीब आदमियों का शोषण करना और बड़ी बड़ी जायदादें अपने पास रखना आज के युग में कहां तक उचित है? इन राजा-महाराजाओं ने लोगों को डराया है, धमकाया है और अपना राजनैतिक स्वार्थ सिद्ध किया है। यह बिलकुल स्पष्ट है।

आज अगर इनके पास की लम्बी-चौड़ी जमीनों को और जायदादों को देखा जाय, उनकी गिनती की जाय तो मालूम पड़ेगा कि इनमें से कितनी बेकार पड़ी हैं और उनसे राष्ट्र को कितना नुकसान हो रहा है। वे अपने जंगलों का घास लकड़ी का किस तरह गलत उपयोग कर रहे हैं और किस तरह से इन जायदादों का और जमीन का उपयोग कर रहे हैं, यह मालूम हो जाय तो स्पष्ट हो जावेगा कि आज जनता इस अपव्यय को बर्दाश्त करने को कतई तैयार नहीं हो सकती।

वह जमाना लद गया जब थोड़ा बहुत लिहाज रखा और लिहाज रखते हुए कुछ कम्प्रोमाइज़ के जरिये हमारे नेताओं ने ये कॉवेनेन्ट एग्री किये और यह भी बड़ी बात थी उस जमाने के लिहाज से कि जो राजी से दिया वह ठीक था। राजनैतिक दृष्टि से यह हुआ, चाहे त्याग से हुआ चाहे साम, दाम, दण्ड भेद से हुआ हो, पर हो गया। आज इतने साल गुजर जाते हैं। हम इस बात को देखते हैं कि जहां तक हमारे रेवेन्यू लॉज़ का ताल्लुक है राजस्थान के टीनेन्सी एक्ट को लीजिये इसमें भी आखिर अगर हम चाहते तो उनकी जमीनों का भी असेसमेन्ट किया जा सकता था। वहां पर भी कोई एग्ज़ेम्प्ट नहीं किया गया है। पर डबली क्योर होने के लिये कानून लाया गया है तो बड़ी अक्लमन्दी का काम किया है यह सरकार ने। स्पेशल लॉ इसके लिये लाया गया है ताकि किसी तरह आगे जाकर झगड़ा न पड़े। इसलिये यह कहना कि इससे मुकदमेबाजी होगी, सुप्रीम कोर्ट तक मामला जावेगा, उचित नहीं है और फिर जाने वाले जावेंगे। जागीरदारी एक्ट पास होने पर भी हम लोग जो

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

यहाँ थे कानून बनाने में, कहते थे कि कानून में तो ऐसी कोई खामी नहीं है, पर आखिर इन्सान हैं, खामियां रह जाती हैं, अनुभव से बाद में ठीक करते हैं। जागीर रिजम्पशन में लोग सुप्रीम कोर्ट तक गये पर आखिर में नतीजा यह हुआ कि जागीरें रिज्यूम हुईं। तो डरना इस बात से कि कहीं मुकदमेबाजी हो जावेगी यह उचित नहीं है। कोर्ट से जो फैसला होगा सबको मान्य होगा। खामी रह गई होगी तो फिर तरमीम होगी। पर इस डर से, इस दलील से कोई यह कहे कि इसे पास ही न किया जावे तो यह सदन स्वयं समझ सकता है।

आज के दिन यह कहना कि हमारे प्रिविलेजेज कायम रहें, यह कहना कि कॉन्स्टीट्यूशन ने हमको रूलर्स रखा है। और यहां हमको लैंड ओनर बना दिया गया तो इससे घबराना नहीं है। जब रूलर रूलर नहीं रहे तो लैंड ओनर नहीं रहेंगे इसमें लेंड ओनर रखा गया है इसके बजाय दूसरा शब्द रखा जाता तो ठीक होता। एस्टेट होल्डर रख देते, यह बिलकुल ठीक था, जिसमें कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आ सकती थी। लैंड ओनर में थोड़ी दिक्कत है। माननीय मन्त्री महोदय इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करेंगे।

जो आज के दिन यह कहा गया कि प्रिविलेज्ड क्लासेज हैं और हमको भी प्रिविलेज्ड क्लासेज में शामिल किया गया। हरिजनों को, शिड्यूल कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स को भी और दूसरी अनुसूचित शिड्यूल्ड ट्राइब्स को भी प्रिविलेज्ड क्लास में शामिल किया गया तो आज के दिन....

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : मन्त्रियों को भी किया है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : तो आज के दिन आपके राज में सबको प्रिविलेज्ड क्लास किया गया है। तो जो १४-१५ रियासतों के रूलर्स हैं उनको ही क्यों खत्म किया जा रहा है जिनके प्रिविलेजेज को तो कॉन्स्टीट्यूशन में भी गारन्टी दी गई है। जो गारन्टी हो चुकी है वह तो खत्म नहीं हो सकती, अलबत्ता नाम में फर्क पड़ सकता है। जब रियासतें नहीं रहीं तो फिर "रूलर" शब्द नहीं रहने से प्रिविलेज में फर्क नहीं पड़ता। इसलिये इस बात का गम नहीं करना चाहिये।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर): मैंने तो यह नहीं कहा कि 'रूलर' शब्द रहे या न रहे। विधान के अनुसार 'रूलर' शब्द अब भी जीवित है। विधान परिवर्तित होता है तो 'रूलर' शब्द को निकालिये। बहुमत के द्वारा यह चीज हो सकती है, मैं इससे इन्कार नहीं करता, लेकिन जो वस्तु-स्थिति आज के दिन है उस पर मैंने प्रकाश डाला है केवल मात्र।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : तो जो आज की परिवर्तित स्थिति है और जो इस बिल का ताल्लुक है वहां तक उस परिभाषा में चाहे रूलर हों, क्योंकि अब रूलर ही रह गया है जिनके लैण्डस का असेसमेन्ट नहीं हुआ है ...

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : यह मिसनोमर है, लेकुना है, अब भी है वह शब्द कॉन्स्टीट्युशन में।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : कॉन्स्टीट्यूशन में प्रिविलेजेज और राइट्स के बारे में इस शब्द का यूज किया गया है। लैंड के बारे में कोई यूज नहीं किया गया है।

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

मैं कहूंगा, युग बीत गये। १५ साल का बहुत बड़ा युग होता है। बहुत बड़ी जमीनों पर आपने अपना अधिकार रखा, लेकिन आज के दिन वे प्रिविलेजेज़ आम जनता पसन्द नहीं करती और इस प्रिविलेज के लिये हम कहें कि रोकना चाहिये, रखना चाहिये तो एक दिन ऐसा आने वाला है जब जनता स्वयं इनको खतम कर देगी और कोई भी बात इस प्रकार की नही रहने वाली है आज के जमाने में। वह जमाना आ रहा है, उससे कहां तक बचेंगे? जैसे हमारे एक माननीय सदस्य ने कहा कि यह बिल आज जो आ रहा है यह तो जागीर रिज़म्पशन के पहले आ जाना चाहिये था। जहां तक जागीर रिज़म्पशन का सवाल है वह कॉवेनेन्ट में है ही नहीं। जो कॉवेनेन्ट में गारन्टी थी उसमे यह नहीं था कि असेसमेन्ट नहीं किया जावे। जब राजा की और जमीन पर असेसमेन्ट नहीं था तो उनके राज्यों के विलनीकरण के पश्चात् यह कोई दलील नही रहती कि उनकी जमीनों का भी असेसमेन्ट नहीं किया जावे।

मैं समझता हूं कि जिस रोज से राज्यों का विलीनीकरण हुआ, रियासतों ने और उनके रूलर्स ने अपनी सॉवरेन्टी को इन्टीग्रेट कर दिया और डोमीनियन ऑफ इण्डिया के मातहत हो गये।

(५ म० प०)

उस तारीख से इन जमीनों के ऊपर लगान वाजिब है। जो इस एक्ट में कहा गया कि २६ जनवरी, १९५० से लगान लिया जाना चाहिए, मैं तो उससे भी आगे जाता हूं कि २६ जनवरी, १९५० से क्यों लिया जाये? मैं समझता हूं कि १० मई, १९४९ से इन जमीनो के ऊपर लगान लिया जाय....

श्री भैरोंसिंह : राजाओं का जिस दिन जन्म हुआ है उस दिन से लिया जाये तो बहुत अच्छा हो।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, सन् १९४६–४७ आमदनी का बेसिक ईयर माना गया है, जब तो विलीनीकरण भी नही हुआ था और भारत भी इन्डिपेन्डेन्ट नहीं हुआ था और रियासतें भी कायम थीं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : तो मैं तो यहां तक जाता हूं कि जिस दिन से सॉवरेन्टी खत्म हुई उस दिन से लैण्ड के ऊपर जिस तरह से ऑर्डिनेरी आदमी का अधिकार है और जहां लैण्ड स्टेट की है और स्टेट को बिलोंग करती है उसी तरह से प्राइवेट आदमी का जिस तरह से अधिकार है उसी तरह का अधिकार सबका होगा और जब सबको लैण्ड रेवेन्यू देना पड़ता है तो इनको क्यों एग्जेम्प्ट किया जाये? यह मेरी दलील है जिसके ऊपर सदन में विचार किया जाये और यह विचार किया जाना चाहिए कि यह २६ जनवरी, १९५० से हो या मर्जर की डेट से, इनके ऊपर लैण्ड रेवेन्यू का असेसमेन्ट किया जाये।

अध्यक्ष महोदय, यहां कई बातें इस बारे में कही गयी हैं। कम्पेन्सेशन के बारे में भी कहा गया। दूसरे लोगों के राइट्स के बारे में भी कहा गया और एक्वीजीशन के बारे मे भी कहा गया। यह कहा गया कि एक्वीजीशन के बारे में जब लॉ मौजूद हैं लैण्ड एक्वीजीशन एक्ट तो इस बिल को क्यों पारित किया

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

जाता है ? अगर एक्वीजीशन करना है तो लैण्ड लैण्ड एक्वीजीशन एक्ट के तहत में एक्वायर कर लेना चाहिए। विधान हमको अधिकार देता है, इस सदन को अधिकार देता है कि वह जमीन के बारे में, अपने राज्य की जमीनों के बारे में लॉ पास कर सके। उसके बारे में जब हमको अधिकार है, हमने पास किया लैण्ड रिजम्पशन ऑफ जागीर एक्ट और अब एक्वीजीशन ऑफ लैण्ड ओनर्स एस्टेट बिल पास करेंगे। जब हमको स्पेशल लॉ बनाने की जरूरत है तो स्पष्टीकरण इस बात का है कि जनरल लॉ अगर लागू होता है तो उसके अन्दर बहुत लचरपन आ जाता है और अगर स्पेशल लॉ होता है तो वह जनरल लॉ के ऊपर प्रिवेल करता है। हम इस पचड़े में क्यों फंसें कि लैण्ड एक्वीजीशन एक्ट के तहत में जमीनें एक्वायर की जायें ? मैं समझता हूं कि एक्वीजीशन शब्द का जो प्रयोग किया गया है इस बारे में भी विचार किया जाये कि यहां पर एक्वीजीशन ऑफ लैण्ड ओनर्स एस्टेट बिल न होकर एस्टेट रिजम्पशन एक्ट पास होना चाहिए और इस बारे में मैं समझता हूं कि सरकार गंभीरता-पूर्वक विचार करेगी कि इसको एस्टेट होल्डर्स लैण्ड रिजम्पशन एक्ट नाम दिया जाना चाहिए। तो इससे सारे का सारा सवाल आसान हो जाता है और कानूनी पेचीदगियां खत्म हो जाती हैं और इसका मतलब बिल्कुल साफ हो जाता है जो और दूसरे ऑर्डिनेरी काश्तकार हैं उनके बराबर ही उनको ट्रीट करना चाहिए और अब वह एक प्रिविलेज क्लास की तरफ से एन्जोय नहीं कर सकते।

जो तीसरी दलील दी गयी है कम्पेन्सेशन के बारे में, वह यह कहा गया है कि इसमें कई बातें हैं और कम्पेन्सेशन दिया जाना चाहिए, नहीं दिया जाना चाहिए; कोई कहता है इतना दिया जाना चाहिए और कोई कहता है बिलकुल नहीं दिया जाना चाहिए। मैं समझता हूं कि इस हाउस को पूरा अख्तियार है कि वह इसके बारे में निर्णय करे कि कितना कम्पेन्सेशन मिले और कितना कम्पेन्सेशन इनको दिया जाना चाहिए। इसलिए कि कम्पेन्सेशन इसमें जो तय किया गया है वह ज्यादा किया गया है और इसी के लिए इसे सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाये, यह कोई दलील नहीं है। सदन को अधिकार है कि वह तय करे कि कितना कम्पेन्सेशन दिया जाये। हमारे माननीय सदस्य जो इसको इसीलिए प्रवर समिति में भेजना चाहते हैं, मैं समझता हूं कि यह ठीक नहीं है और हम चाहें तो इसको चाहें जितना कर सकते हैं कि यह कम्पेन्सेशन दुगुना होना चाहिए या तिगुना होना चाहिए और आठ गुना नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार से दूसरे काश्तकारों को जो जमीनें बेची गयी हैं या किसी प्रकार से अधिकार स्थानान्तरित किये गये हैं उनके बारे में भी इस सदन को कानून बनाने का पूरा अधिकार है और यदि गलत तरीके से मुनाफा कमाने की गरज से कोई मेलाफाइडी ट्रान्सफर्स हुए है तो उनको इल्लीगल अ र वोइड करने का अधिकार इस सदन को है।

(५.०५ म० प०)

(राव श्री नारायणसिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

इसके लिए इसी में तरमीम पेश की जा सकती है कि इस तरह के जो ट्रान्सफर्स हुए हैं वे इनवेलिड हैं और यह सदन के

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

अधिकार क्षेत्र में है। जब हमने मान लिया है कि जमीन टिलर की होनी चाहिए तो चाहे कुछ भी हो, चाहे किसी तरह से भी हो ट्रान्सफर्स के जरिये काश्तकारों के पास जो, कि बोनाफाइड काश्तकार हैं, तो उनके पास जमीन रहने देने में इसमें कोई रुकावट नहीं है। अगर उस चीज का एक्वीजीशन होता है तो उसका अधिकार बाकायदा रहेगा। हां, मेला-फाइडी ट्रान्सफर्स जितने भी हुए हैं वह इस चीज में नहीं रहेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार को मैं इस बात के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद पेश किया चाहता हूं कि उन्होंने इस प्रकार का बिल इस सदन में रखा। इससे साफ जाहिर है कि हम किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं और यह कहना कि आज के १५ साल पहले क्यों नहीं रखा तो यह एक पॉलिसी की चीज है और हम सब तरह से ट्रबल्स क्रियेट नहीं करना चाहते थे। पहले हमने जागीरदारों को लिया और उनको रिज्यूम किया, अब राजाओं का नम्बर है और आगे पता नहीं और किस किस का नम्बर आने वाला है। धीरे धीरे सबका नम्बर आ जाने वाला है। इसमें शंका करने की जरूरत नहीं है कि जिस समाजवादी समाज को हम बनाने के लिए जा रहे हैं ऐसे लोगों के लिए कि जो प्रिविलेज्ड क्लास में हैं उनके लिए अब कोई स्थान नहीं है। कोई भी आदमी प्रिविलेज्ड नहीं रहेगा सब हम भारत के नागरिक हैं और हर एक के साथ उसी तरह का व्यवहार होगा जैसा कि दूसरों के साथ होता है। आज के दिन यह कहना कि जितनी हमारी जायदाद है सब रख लें और प्राइवेट प्रोपर्टी सब की सब रख लें तो आज तो प्राइवेट प्रोपर्टी का कन्सेप्शन बदलने आ रहा है। अगर कोई भी व्यक्ति इतनी प्राइवेट प्रोपर्टी रखता है तो वह अब आगे नहीं रख सकेगा और वह भी किसी न किसी दिन चाहे एक्वीजीशन से हो, चाहे किसी तरह से भी हो, वह रहने वाली नहीं है, न सम्पत्ति रहने वाली है, न महलात रहने वाले हैं। हम समाजवादी समाज चाहते हैं और समाजवादी ढंग के ऊपर अपने राज्य का निर्माण चाहते हैं तो हमें यह चीज खतम करनी होगी। इन शब्दों के साथ मैं, हमारे मित्रों को जिन्होंने इसको प्रवर समिति में भेजने के लिए प्रस्ताव रखा है, यह निवेदन करूंगा कि इसको जल्दी से जल्दी पास करें और इसमें विलम्ब न करें। इसमें विलम्ब करने के लिए जैसा आपका सुझाव है कि इसे पब्लिक ओपीनियन के लिए भेजा जाये जिसे एक माननीय सदस्य ने रखा इसका मतलब यह होगा कि साल, छः महीने और डिले हो और थोड़ा बहुत इसका साथ हो गया तो कॉन्फिडेन्स मोशन की वजह से........

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : नेहरूजी से पता कर लें कि वह समझौता न कर लें। उनकी मीटिंग हो रही है राजा-महाराजाओं से।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह से गुमराह किया जा रहा है इसके पीछे क्या फैक्ट्स हैं, माननीय सदस्य जरा इसको सफाई के तौर पर कहें........

श्री रामानन्द अग्रवाल : (अलवर) क्या गवर्नमेंट डिनाई करती है कि इस तरह से डेफर किया जा रहा है या इस तरह की बातचीत चल रही है ?

श्री भैरोंसिंह : इस बात को गम्भीरता से लेते नहीं हैं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मैं इनकी सद्-भावना में विश्वास करता हूं और उम्मीद करता हूं, इसलिए निवेदन करता हूं कि जो कुछ भी कमी है और खामी है उसमें एमेंडमेंट के जरिये उस चीज को यहां पूरा करके जल्दी से जल्दी इस चीज को पारित करवायें वर्ना आम लोगों को शक होगा कि आखिर क्या वजह है कि डिले की जाय, क्योंकि १० दिन में रिपोर्ट नहीं आ सकती और न इस सदन में वह पब्लिक ओपीनियन के बाद में आ सकता है, इसलिए डिले तो निश्चय ही होगी इस प्रस्ताव के जरिये। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि इस पर गम्भीरता से विचार करके मेरी राय से सह-मत होंगे और इसी सदन में इस बिल को पारित करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान लैण्ड रिफॉर्म्स एण्ड एक्वीजिशन ऑफ लैण्ड ओनर्स एस्टेट्स बिल, १९६३, सिलेक्ट कमेटी द्वारा पेश किया गया है और उसमें संशोधन के रूप में जो प्रस्ताव मूव किये गये हैं, एक प्रस्ताव मेरे समाजवादी मित्र द्वारा जनमत जानने के लिए, दूसरा जनसंघ के हमारे एक मित्र द्वारा सिलेक्ट कमेटी को दुबारा पेश किये जाने के लिए और तीसरा एक दूसरे प्रजा समाजवादी सदस्य द्वारा जो भी दुबारा सिलेक्ट कमेटी को पेश किये जाने को है, इन तीनों प्रस्तावों का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, जब मैं इन तीनों महानुभावों के अपने प्रस्तावों के पक्ष में उनकी दलीलें सुन रहा था तो ऐसा आभास हो रहा था जैसे कि उनकी एक ऐसे वकील की सी दशा हो जिसे प्रोफेशनल मिसकन्डक्ट न हो जाय, इस वजह से मुकदमा तो लेना पड़ता है, लेकिन उनकी आत्मा उसके साथ है नहीं, और इसलिए वह इस किस्म के कहने को, चूंकि पार्टी का फैसला है इस दृष्टिकोण से इस प्रस्ताव के पक्ष में हैं। इस प्रकार की बात तो बाइ दी वे कहते हैं, लेकिन दूसरे कन्सीडरेशन्स से, चाहे वे इलेक्शन के कन्सीड-रेशन्स हों जयपुर के और बीकानेर के, चाहे और दूसरे कन्सीडरेशन्स हों, लेकिन उनमें ज्यादा जो जोर उनकी इस बात पर रहा, और अब भी बराबर इन्टरप्शन के दौरान में वह दिखाई पड़ता है कि उनकी आत्मा से यह बात निकल रही है कि इनके साथ जुल्म हो रहा है, इनके साथ २६ जनवरी, सन् ५० से जो लैण्ड रेवेन्यू लगाने की बात कही जा रही है, यह एक बहुत ही अन्याय की बात है। मुझे आश्चर्य हुआ। आखिर जनसंघ के भाई इस प्रकार की बात कहें जैसे कि उनके नेता यह कह रहे थे चढ़ाकर जब कि अभी एक माननीय सदस्य बोल रहे थे कि इन्टीग्रेशन की डेट से लगाना चाहिए तो बहुत दुःख हुआ वाजिब भी था, क्योंकि चुनाव लड़ने में महारानी की महरबानी रही है........

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : अलवर में जो सेठों की मदद ली है वह नहीं लेनी चाहिए थी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : कन्सीडरेशन्स से लाजिमी बात थी कि उनकी चाकरी थोड़ी

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

बहुत करनी पड़ती है। लेकिन फिर भी मेरे समाजवादी मित्र ने इस बात को दिखाया जो कि उन्होंने बहुत जोर के साथ में कि यह एक बहुत ही भारी अन्याय होगा कि ऐसा कानून होगा कि इस कानून में जो सिलेक्ट कमेटी ने संशोधन किया है कि २६ जनवरी, सन् ५० से जब कि हिन्दुस्तान में रिपब्लिक का कॉन्सटीट्यूशन लागू किया गया है तब से इनकी लैण्ड रेवेन्यू का एसेसमेंट किया जाय। उसका उन्होंने बड़े तीव्र शब्दों में विरोध किया।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि ये तीनों ही प्रस्ताव चाहे बाई दी वे कुछ भी कहा गया हो, इनका मकसद इस कानून को डिले करने का है। एक तो साफ कहते ही हैं कि तीन महीने तक जनमत जाना जाय। आज भी जनमत इस बारे में कोई भ्रम में है कि लोग नहीं चाहते हैं कि राजाओं की इस प्रकार की सम्पत्ति जो उन्हें प्राइवेट दे दी गई है उसको वापिस ले लिया जाय।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (बांसवाड़ा): उपाध्यक्ष महोदय,....

श्री रामानन्द अग्रवाल : I don't want any interruption. There is no point of order...........

अभी तक आज भी मौजूदा सरकार लगातार रियायतें देती जा रही हैं और रियायतें दी हैं। अपने हाथ में शासन रखने के लिए अलग अलग समझौते किये हैं कॉवेनेन्ट्स को मुख्तलिफ तरीके से वायोलेट करके जो कॉवेनेन्ट में नहीं लिखा है वे भी रियायतें दी हैं, जैसा कि इस सदन में कितनी ही बार आ चुका है, बिजली और पानी की रियायतें मुफ्त में जयपुर, बीकानेर और जोधपुर के राजाओं को आज भी दी जा रही हैं। ऐसी सरकार इस प्रकार के कानून लाये जिससे कि उम्मीद नहीं की जा रही है, जो कि अपना पोलिटिकल जोकिंग १५ साल से कर रही है और उसको समाजवाद में विश्वास करने वाले, समानता में विश्वास करने वाले, हिन्दुस्तान में प्रिविलेज्ड क्लासेज को खत्म करने वाले लोग भी यह कहें कि इसको जनमत जानने के लिए भेज दिया जाय तो मैं यह कहूंगा कि समाजवाद की डेफिनिशन को दोहरा लेना चाहिए या उन्हें किसी अपनी पार्टी के लेबल को ही बदल लेना चाहिए, वर्ना इस बारे में जनमत में कोई सन्देह हो। हिन्दुस्तान में आजादी आने से पहले हिन्दुस्तान में पूर्ण स्वराज्य का स्वरूप क्या होगा, उस बात में साफ तौर से डिक्लेअर कर चुके हैं कि हिन्दुस्तान के तमाम नागरिकों को समान अधिकार दिये जायेंगे, आगे बढ़ने के समान अधिकार दिये जायेंगे। इस प्रकार की स्वतन्त्रता आन्दोलन की घोषणाएं हैं जिसकी बुनियाद पर हिन्दुस्तान के आम आदमी, हिन्दुस्तान की आम मेहनतकश जनता ने इतनी कुर्बानी की है जिसके कारण सन् ४७ में हमें देश में स्वराज्य लाने का अवसर मिला।

उपाध्यक्ष महोदय, इस कानून की बहस में बोलते हुए स्वतन्त्र पार्टी के नेता श्री लक्ष्मणसिंहजी ने शायद अपनी पार्टी की नेतागिरी छोड़कर अपने वर्ग की नेतागिरी सम्हाल ली है और साफ तौर से वह स्वतन्त्र

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

पार्टी के नेता के तौर पर नही बोलकर राजाओं के हित में राजाओं के नेता के रूप में वह काम उन्होंने किया जो आजादी आने से पहले....

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : राजाओं के सेवक के नाते कुछ किया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं कहता हूं कि आपने काफी कुछ दलीलें दी हैं, कुछ इस हाउस की सिम्पेथीज भी गेन करने की कोशिश की है, इस हाउस में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने की भी कोशिश की है, कुछ चेतावनियां भी देने की कोशिश की है और इस प्रकार का एक नक्शा सामने इस सदन में रखने की कोशिश की है कि जिससे इस सदन में जो इतना बिलेटेड बिल है, इतनी देरी से जो कानून लाया गया है, उस कानून को या तो पास ही नहीं किया जाय या अगर पास किया जाय तो इसकी आत्मा को निकाल लिया जाय और फिर इस तरीके से पेश किया जाय, तो मुझे हंसी आई इस बात पर खैर, मैं मौजूद नहीं था, लेकिन मैंने सुना दूसरे मित्रों द्वारा कि उन्होंने बड़ी दलीलें दीं अपनी कुर्बानी की, राजाओं के त्याग की और उस बुनियाद पर इस सदन से यह अपील करने की कोशिश की कि उन त्यागों और बलिदानों को ख्याल में रखते हुए इस किस्म का कानून लाकर अन्याय उनके साथ नहीं किया जाय। उन्होंने कुछ कॉवेनेन्ट की भी दलीलें दीं जिनके बारे में मैं कहूंगा, लेकिन अगर वे पिछले इतिहास का दोहराना ही चाहते है, पिछले इतिहास की बिना पर आज के हिन्दुस्तान से कुछ फैसला करने की मांग करते हैं तो हमें भी इसमें कोई गिला नहीं, लेकिन वे शायद इस बात को भूले नहीं हैं। क्योंकि वे तो खुद इसके पार्टिसिपेन्ट रहे हैं। लेकिन हिन्दुस्तान के राजाओं का और राजस्थान के राजाओं का क्या रोल था जबकि हिन्दुस्तान की ४० करोड़ जनता अंग्रेज साम्राज्यवाद के खिलाफ अपने जीवन की लड़ाई लड़ रही थी? लोग फांसियों के तख्तों पर चढ़ रहे थे, उस वक्त इन राजाओं का क्या रोल था, उस वक्त आप लोगों का क्या रोल था? आप लोग हिन्दुस्तान की इस जनता के साथ में....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : उस वक्त आपका रुख क्या था? कम्युनिस्ट पार्टी का रोल क्या था?

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप जानते हैं, आपकी समझौते की बातों का क्या मतलब था....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आपका क्या था? आप अंग्रेजों की मदद कर रहे थे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अच्छा हो कि आप उन बैन्चेज को छोड़ कर इन साथियों के साथ रहें तो अच्छा रहे। छुपे छुपे रहते हैं, अच्छा हो सामने आ जांय।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : सबको अपनी बात कहने का अधिकार है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्योंकि त्याग और बलिदान पर कहा गया है कि राजाओं का त्याग और बलिदान का इतिहास रहा है रहा है, इसलिये राजस्थान की जनता को उनके त्याग और बलिदान को भुलाना नहीं चाहिये। यह बात सही है कि हम एहसान फरामोश नहीं

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

हैं, राजस्थान की जनता एहसान फरामोश नहीं है। हिन्दुस्तान की जनता लोगों की कुर्बानियों की परवाह नहीं करे, इस प्रकार की राजस्थान की जनता नहीं है। लेकिन राजस्थान की जनता, चाहे नेता कुछ भी कहते फिरें, वे कुछ भी समझौते करते फिरें, कॉवेनेन्ट पर दस्तखत करें, लेकिन जनता का जहां तक सवाल है उनसे पूछा जाय तो राजस्थान के राजाओं का हिन्दुस्तान की जनता के प्रति, आजादी के संघर्ष के प्रति, उनके डेमोक्रेटिक राइट्स के प्रति जो इतिहास रहा है वह राजाओं के इतिहास में सबसे बड़ा काला धब्बा है, वह दूषित इतिहास है, देश के साथ गद्दारी का इतिहास है....

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : यह यहाँ की जनता कहेगी कि आप गद्दार हैं या हम हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जिन लोगों ने देश की सेवा की, जो लोग बहादुरी के साथ देश की आजादी के लिये लड़े हैं, उन बहादुरों को जिन्होने फांसियों पर चढ़ाया उनके साथ कंधे से कंधा लगाने का आपका इतिहास रहा।

(दोनों एक साथ बोलते हैं)

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : हमारे साथ एक हजार वर्ष का इतिहास है, आप झूठी बात कह रहे हैं। आपका इतिहास यह रहा है कि आप देशद्रोहियों के साथ और चीन के साथ मिल कर रक्त रंजित क्रान्ति यहां पर लाकर इस विधान को समाप्त करना चाहते हैं........

श्री रामानन्द अग्रवाल : नहीं नहीं, हिन्दुस्तान की जनता में इतनी ताकत है कि हिन्दुस्तान की जनता अपनी संगठित शक्ति से आपको बढ़ने नहीं देगी, हिन्दुस्तान की जनता इस तरह की जनता नहीं है कि आप १८ लोगों ने डरा कर किसी के दस्तखत करा दिये, उससे घबराने वाली नहीं है। आप कहते हैं कि हजार वर्ष पूर्व की बात मत करो। मैं हजार वर्ष पूर्व की बात नहीं करता। जबकि हिन्दुस्तान की जनता अपने हाथ में आजादी का झंडा संभालने वाली थी, जबकि अंग्रेज का आखिरी फैसला होने वाला था, जबकि हिन्दुस्तान का हरेक नागरिक और दुनियां का हरेक नेशन और खुद अंग्रेज महसूस कर गये थे कि अब हिन्दुस्तान में रहना नामुमकिन है उस वक्त राजाओं ने क्या रोल प्ले किया ? उस वक्त राजाओं ने कहा कि हमारे स्टेट्स अलग होने चाहिये........

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : उस वक्त हमने देश की आजादी में हाथ बढ़ाया लेकिन आप उस वक्त क्या कर रहे थे ? ट्रावनकोर के दीवान के साथ सांठगांठ कर रहे थे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप बैठ जाइये। Don't disturb me. आप अपने पुराने इतिहास को इस तरह से भुलाना चाहते हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : You have played with the country.

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : Order ! Order Please!! Kindly preserve the decorum of the

(श्री उपाध्यक्ष)
House and have patience to listen others.

श्री रामानन्द अग्रवाल : Thank you, Sir.

मैं यह निवेदन कर रहा था कि इस बात की दलील दी जाती है कि एक हजार वर्ष पहले की बात को याद मत करो। यदि बात इस किस्म की है कि कोई बात तो कल ही भुला दी जाती है और कोई बात इस प्रकार की है कि वह जिन्दगी भर नहीं भुलाई जा सकती; बल्कि इतिहास उसका बन जाता है जिससे आने वाले लोग उससे सबक सीखें; इसलिये जब भी हमें इस इतिहास को याद दिलाना पड़ता है तो इसलिये कि आगे गलती नहीं करें, इसलिये कि अभी जो कदम उठा रहे हैं उसको सोच समझ कर उठावें और इस तरह से जिस तरीके से बिल्ली हज करके कहने लगे कि अब मैं हज करके आई हूं इसलिये चूहे खाने छोड़ दिये हैं, इस तरह ...

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : एक हजार वर्ष पुराना इतिहास दोहराकर क्या चाहते हैं ? चाइनीज एग्रेशन के समय आपका क्या रोल रहा है, उसको भुलाना चाहते हैं....

श्री रामानन्द अग्रवाल : चाइनीज एग्रेशन के नाम पर आप चाहते हैं कि इसको पास नहीं किया जाय, चाइनीज एग्रेशन के नाम पर आप चाहते हैं कि आपकी प्रिविलेजेज कायम रखी जायेंगी, पर याद रखें यह देश चाइनीज का मुकाबला करेगा और आपके प्रिविलेजेज को भी खत्म करेगा तभी चाइनीज एग्रेशन खत्म हो सकता है। अगर ज्यादा पुरानी बातों में नहीं जावें तो जिस समय देश की आजादी टेक ओवर करने की बात हो रही थी उस समय आपका क्या रोल रहा ? अलवर के महाराजा आखिरी दिन तक नेगोशियेशन करते रहे पाकिस्तान गवर्नमेन्ट से कि उनको ज्यादा प्रिविलेजेज हिन्दुस्तान की गवर्नमेन्ट देती है या पाकिस्तान की। उन्होंने यहाँ से अपने मिलिटरी मिनिस्टर को हवाई जहाज से पाकिस्तान भेजा। अलवर के महाराजा को और उनकी देश भक्ति को तथा उनके त्याग और बलिदान को नजदीक से देखने का हमको मौका मिला। आपके त्याग को डूंगरपुर की जनता जानती है या दूसरी जगह की जनता जानती है जो अच्छी तरह से बता सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में जब आजादी ली जा रही थी उस वक्त भी इनको यह समझ नहीं आई कि अब तो उनके आका अंग्रेज जा रहे हैं और अब तो ४० करोड़ लोगों के साथ में रहना है इसलिये अब तो उनमें बनाकर चलें। फिर भी आखिरी दम तक कोशिश करते रहे कि पाकिस्तान से ज्यादा सहूलियतें मिल जांय। काश्मीर के महाराजा ने इस प्रकार की कोशिश की, जिसका नतीजा है कि अब भी हमारी हिन्दुस्तान की जनता को उलझन में पड़ना पड़ता है। हम भूले नहीं हैं, जब अलवर में गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया की फौजें टेक ओवर करने आई तब वहां के राजा ने बगावत करके मुकाबला करने की कोशिश की। जब सुपीरियर फोर्सेज के आगे उनका बस नहीं चल सका तो आज वे कहते हैं कि हमने त्याग किया, हमने बलिदान किया। इस बात को हम भूले नहीं हैं। इस बात को यह सदन भली प्रकार जानता है कि

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

उस जमाने में सेन्ट्रल गवर्नमेंन्ट की तरफ से इस बात के लिये कहा गया कि आओ हम हिन्दुस्तान में सब एक साथ मिलकर रहेंगे इन्स्ट्रूमेन्ट ऑफ एक्सेशन सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट के साथ साइन कर दिया जाय तब कितने दिन लगे, कितने महीने लगे, कितनी कोशिश करनी पड़ी, इस बात को कराने के लिये और जब यह बात हो चुकी, राजाओं ने अपनी सब शक्ति को अपना लिया, इकट्ठे होकर चेम्बर ऑफ प्रिन्सेज़ में प्लान बना लिया, अंग्रेजों से, अपने जाते हुए मालिकों से कह दिया कि मालिक, हमको किसके भरोसे छोड़कर जा रहे हो, हमारा क्या होगा ? उन्होंने बफादार मालिक की तरह चाकरों की बात को निभाया और हिन्दुस्तान को ऐसे मेन्डेट्स दे दिये जिससे तीन हिस्सों में हिन्दुस्तान बंट गया । हमारे इन त्यागी राजाओं के बलिदानी और त्यागी दिलों में उस वक्त देश भक्ति की भावनाएं नहीं फूटीं । वे उस वक्त अंग्रेजों से कहते कि जिन ४२ करोड़ लोगों पर सैकड़ों वर्षों तक आपने जुल्म किया है उसको देखकर हम एक मिनट भी तुमको हिन्दुस्तान में बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, हम अपना फैसला आप करेंगे, आप यहां से निकल जाओ, हम तुम्हारा मुंह नहीं देखना चाहते । लेकिन वास्तविकता यह है कि यदि किसी राजा ने, चाहे किसी एक राजा का या सामूहिक तौर से राजाओं को रिप्रेजेंट किया था–अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद यह प्रिविलेज भी हमारे लक्ष्मणसिंहजी साहब को ही उस वक्त हासिल हुआ था कि किसी न किसी स्टेज में इस प्रकार के नेगोशियेशन्स हों, इस प्रकार इकट्ठे होकर हित की बात करें । इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि जो त्याग और बलिदान की बात कही जाय और त्याग और बलिदान की बुनियाद पर इस सदन से रियायत मांगने की बात की जाय, अगर वास्तविकता होती और हिन्दुस्तान का इतिहास इस बात का साक्षी होता तो हम इस बात को कुबूल करते, उस बात का कन्सीडरेशन करते । अगर आप इतिहास की बात बताते हैं तो इतिहास में डेबिट–साइड में इतना लम्बा जा रहा है कि इसका हिसाब करने लगें तो आपको जो कुछ मिला है इसका भी कहीं हक नहीं मिलेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके बाद दलील दी जाती है कॉवेनेन्ट की । इसके बाद कहा जाता है कि कॉवेनेन्ट के अन्दर आर्टीकल १२ में इस बात को कहा गया है कि राजाओं की जो प्राइवेट प्रोपर्टी मिलेगी उस पर उनका फुल ओनरशिप का राइट होगा और उस बात की दुहाई देकर इस बात को कहा जाय कि यह सरकार अपने किये गये वायदों को भी आज नहीं निभा रही है और उस वायदे की बिना पर, उस कॉवेनेन्ट की बिना पर कहा जा रहा है कि यह कानून उस कॉवेनेन्ट के खिलाफ है । वैसे एडवोकेट जनरल ने भी राय दी और और लोगों ने भी राय दी हैं । परन्तु कानूनी तौर पर मैं यह समझता हूं कि उस स्टेट मिनिस्ट्री के व्हाइट पेपर में जो उसका इन्टरप्रिटेशन किया गया है इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि 'subject to the State Laws' होगा, असेसमेंट इसमें होगा और रेवेन्यू लॉज़ से लागू होंगे । लेकिन मैं इससे भी आगे जाऊं । आप कहते हैं कॉवेनेन्ट की बात ! कॉवेनेन्ट में कुछ लिखा है और उसके लिए जिम्मेदार यह कांग्रेस

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

गवर्नमेंट हो सकती है और है। लेकिन अगर आप हिन्दुस्तान की जनता की बात करना चाहते है तो हिन्दुस्तान की जनता उस कॉवेनेन्ट से कभी हरगिज पाबन्द नहीं है। जो कॉवेनेन्ट आपसे किये गये, जो आपसे एग्री किये गये, जिस कॉवेनेन्ट पर दस्तखत किये गये वह कॉवेनेन्ट हैं; लेकिन दरअसल जो पूर्ण स्व-राज्य का वायदा कांग्रेस में हिन्दुस्तान की जनता के साथ किया है वह कॉवेनेन्ट है। अब वह कॉवे-नेन्ट आपने चाहे राजाओं के साथ किया, चाहे वह एग्रीमेंट अंग्रेजों के साथ किया गया, चाहे आई. सी. एस, सर्विस के साथ किया गया— वह कोई कॉनेवेन्ट हो, कोई एग्रीमेंट हो—वह हिन्दुस्तान का दिया गया कॉवेनेन्ट, दिया गया वायदा वेटिलियेट था और जब तक ये लोग हैं, किसी न किसी तरह यह सरकार मौजूद है वह उसे ओनर करती रहे लेकिन जनता ओनर नहीं करेगी। और जिस दिन जनता के हाथ में ताकत आयेगी उस दिन उस कॉवेनेन्ट को फाड़ कर फेंक दिया जायगा और इस कॉवेनेन्ट के नीचे जो प्रिविलेज चल रहे हैं, कॉवेनेन्ट के कवर में जो रियायतें दी जा रही हैं वे इतिहास के पर्दे में धीरे धीरे चली जायेंगी....

श्री प्रतापसिंह (राजाखेड़ा): जनता का राज्य अब नहीं है क्या ?

(शोरगुल एवं व्यवधान)

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय,........

श्री प्रतापसिंह: आज जनता का राज्य नहीं होता तो आप यहां नहीं आते। यह जनता का राज्य है इसलिये यहां हैं।

(शोरगुल एवं व्यवधान)

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह जनता कौन है, यही मैं पूछना चाहता हूं कि........

श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा) : जनता सिर्फ कम्युनिस्ट है।

(शोरगुल एवं व्यवधान)

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं कहना चाहता हूं कि अगर आज भी रेफरेन्डम लिया जाय कि क्या राजाओं के प्रिवीपर्स कायम रहने चाहियें, क्या राजाओं को जो रियासतें दी हैं वे कायम रहनी चाहिए, जो राजाओं को बिजली व पानी मुफ्त दे रहे हैं वह कायम रहना चाहिए, तो आपको पता लग जायगा कि जनता किधर है, जनता का क्या रुख है; जनता क्या चाहती है। यह बात अलग है कि जनता अपने स्वयं के विचार संगठित तौर पर प्रगट करने में अपने आपको असमर्थ पा रही हो। अगर यह कहें कि यह बात गलत है तो जिन बैंचेज पर आप बैठे हुए हैं उनका फ्री वोटिंग कराया जाय सीक्रेट बैलट से तो आपकी पार्टी को पता लग जायगा कि जनता क्या चाहती है– वह प्रिवीपर्स के पक्ष में है या खिलाफत में, वह राजाओं को प्रिविलेज देने के पक्ष में है या खिलाफत में,—यह आपको पता लग जावेगा। फिर किस वजह से, किस ग्रुप पोलिटिक्स से, किस कारण से, आप ओनर करना चाहते हैं ? यह कौनसी वजह से करना चाहते हैं, जिसकी वजह से आप कायम रहें। लेकिन आपके सामने भी यह सवाल है।

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

आपके नेता ने यह पोज कर दिया है सवाल– या तो राजाओं को दिये गये कॉवेनेन्ट को ओनर करेंगे या जनता को दिये गये कॉवेनेन्ट को ओनर करेंगे। दोनों को दिये गये कॉवेनेन्ट को आप ओनर नहीं कर सकते। जनता आपको तभी ओनर करेगी जब राजाओं को दिये गये कॉवेनेन्ट को फाड़ कर फेंक देंगे, वेस्टेड इन्ट्रेस्ट को दिये गये कॉवेनेन्ट को फाड़ कर फेंक देंगे और जनता को दिये गये कॉवेनेन्ट के बारे में आप विश्वास दिलायें– वह शब्दों में नहीं, अपने कर्तव्य से, अपने कार्य से, अपने एक्शन से। जनता ने बहुत आपके भाषण सुने है, जनता ने आपके अबाड़ी रिजोल्यूशन को कई बार सुना है। आपके खुद के नेता उससे निराश हो सकते हैं, आपके नेता पण्डित जवाहर लाल नेहरू कहते हैं कि इस प्रकार की बात है कि हम समाजवाद की बात करते करते इस हिन्दुस्तान में क्या कायम करते जा रहे हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि यह........

श्री प्रतापसिंह : आप हिन्दुस्तान में चीन की बात कर रहे हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप खुद विचार करना चाहते हैं........

(शोरगुल एवं व्यवधान)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप क्यों चिल्ला रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : order please !

श्री प्रतापसिंह: आप हिदुस्तान की बात कर रहे हैं या किसकी कर रहे हैं ?

(शोरगुल एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : Order please !

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि जो अपने पुराने बलिदान और त्याग की बात करते हैं, जो पुराने त्याग और बलिदान की बुनियाद पर दलीलें दी जाती हैं कि यह कानून न लाया जाय और कॉवेनेन्ट की बिना पर यह बात कही जाती है कि यह कानून न पास किया जाय– मैं समझता हूं कि ये दोनों दलील तथ्यों के आधार पर, कानून के आधार पर, सामाजिक न्याय के आधार पर और हिन्दुस्तान के राष्ट्रीय आंदोलन के ट्रेडीशन के आधार पर गलत है और इस बुनियाद पर, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता कि इस कानून को न लाया जाय या इस कानून को लाने में देरी की जाय। दरअसल इस बात के लिए यह गवर्नमेंट जनता के प्रति अकाउन्टेबल है, जनता के प्रति जवाबदेह है कि जिस कानून को आज इसलिए स्वीकार किया है कि यह कॉन्सटीट्यूशनल है, जिसके लिए आपने स्वीकार किया है कि यह कानून पहले ला सकते थे तो इतने दिनों तक इस कानून को आप लाये नहीं और अनुचित रूप से जनता के धन का, जनता की सम्पत्ति का आपने प्रिविलेज क्लास को भोगने दिया। यह हिन्दुस्तान की जनता के प्रति इसकी जिम्मेदार है और हिन्दुस्तान की जनता, हम यहाँ जो कर रहे हैं उसको बहुत बखूबी देख रही है। आपके भाषणों को भी सुन रही है और आपके एक्शन्स को भी देख रही और उसी बुनियाद पर हिन्दुस्तान की जनता आज अपना फैसला

(श्री रामानंद अग्रवाल)

करेगी और कर रही है। लेकिन फिर भी किसी आदमी ने या किसी गवर्नमेंट ने अगर इसको बिलेटेड किया है और देरी से इस कानून को लाई है तो यह उनके लिए वाजिब था कि कानून बनाने से पहले कानून के पहले पैरेग्राफ में क्षमा मांगते इस सदन से, राजस्थान की जनता से कि उन्होंने भूल से, पोलिटिकल नासमझी से देरी लगाई इस कानून को लाने में। लेकिन इतनी फ्रैंकनैस, इतनी स्पष्टवादिता अगर इस दल में आ जाती तो शायद वह जो आज अपने सुधार की बात सोच रही है कोई दूसरा ताबीज बांध कर उसके बजाय साइन्टिफिकली एनेलेसिस अपना कर पाती। लेकिन यह उनके समझने की बात है, अपना अनुसंधान चाहे ताबीज से करें, चाहे साइन्टिफिक इलाज वे सोचें, लेकिन बहरहाल हमारे लिए विचार करने के लिए जो इस सदन में कानून पेश हुआ है उससे, उसकी बुनियाद से और उसके प्रिन्सिपल से और इसमें जो प्रतिपादन किया है उससे हम सहमत हैं। हम समझते हैं कि यह बहुत पहले आना चहिए था और आज भी जो कुछ रखा जा रहा है यह बहुत कुछ अधूरा है। हम यह मानते हैं कि जब हिन्दुस्तान का लक्ष्य, हमारे हिन्दुस्तान की बहुमत जनता का लक्ष्य सामजवाद है, जब यह कांग्रेस कहती है, प्रजा समाजवादी पार्टी कहती है, सोशलिस्ट पार्टी यह कहती है, कॉम्युनिस्ट पार्टी कहती है और बहुत से इन्डिपेन्डेन्ट लोग कहते हैं कि हिन्दुस्तान में समाजवाद कायम होना चाहिए तो इसका मतलब यह है कि हिन्दुस्तान में वेस्टेड इन्ट्रेस्ट नहीं होने चाहिए, हिन्दुस्तान में प्रिविलेज्ड क्लास नहीं रहनी चाहिए और हिन्दुस्तान में तमाम लोगों को आगे बढ़ने का समान अवसर मिलना चाहिए। अगर यह बुनियाद है हमारे हिन्दुस्तान को बनाने की, अगर यह बुनियाद है जिस पर हमारा लक्ष्य जब विश्व क्रांति से है तो फिर न एग्रीकल्चरल लैंड के बारे में आपकी कोई दलील रहे, लेकिन इसकी कोई दलील नहीं है कि राजाओं को इतना प्रिविपर्स क्यों दिया जाय, राजाओं को इतने महल क्यों दिये जायं, इतनी ज्वेलरी क्यों दी जाय, सारी की सारी जो चीजें दी हुई हैं वे क्यों दी जाती? अगर आप एक कॉन्स्टीट्यूशन में अमेंडमेंट ला सकते हैं इस मौजूदा कानून को लीगल बनाने के लिए, तो आप हिन्दुस्तान की जनता की शक्ति को महसूस करते हों, उनकी आर्थिक कठनाइयों को महसूस करते हों और आप कानून ला सकते हैं इस कॉन्स्टीट्यूशन को अमेंड करने का, कॉवेनेन्ट्स १९४७ में इन्टर किए गये थे उन कॉवेनेन्ट्स का ख्याल न रखकर यदि कानून बनाया जा सके तो हिन्दुस्तान की जनता के करोड़ों रुपये मिल सकें हिन्दुस्तान के निर्माण के लिये।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि इस प्रकार की जो गवर्निङ्ग पार्टीज हैं, रूलिंग पार्टीज हैं उनके पास कोई दलील नहीं है कि क्यों इस प्रकार के ये अधूरा कानून लाते हैं और इस प्रकार से जो अनुचित तरीके से संपत्ति राजाओं को दे दी गई उसे उस संपत्ति को क्यों जनता को करार दिया जाय।

मैं समझता हूं कि यह बात आम जानकारी की है कि राजाओं को जो प्राइवेट प्रोपर्टी दी गई वह राजाओं के अपने श्रम से,

(श्री रामानंद अग्रवाल)

अपनी मेहनत से इस प्रकार से क्रिएट की गई कोई संपत्ति हो, वह बात नहीं है। वह तमाम स्टेट संपत्ति थी, जिसको स्टेट्स मिनिस्ट्री ने और उसके सेक्रेट्री ने ऐसा बुनियाद दिया जिससे उनकी बनादी। मैं निवेदन करूंगा कि जहां और मसलों पर इस सदन की राय ली जाती है, इस सदन से पूछा जाता है, इस मामले में राजस्थान की जनता को कॉन्फिडेन्स में नहीं लिया गया, इस सदन को कॉन्फिडेन्स में नहीं लिया गया और जिस तरीके से फाइट आउट करना चाहिए, उन केसेज को फाइट आउट नहीं किया गया। राजाओं को उस संपत्ति की न रिहाइश के लिए जरूरत है, जितना दुनिया का ऐशोआराम है कहा जा सकता है उन सब की पूर्ति की गई है, तब भी इस प्रकार की संपत्तियां राजाओं को प्राइवेट तौर पर दे दी गई।

इसलिए हमारा तो दृष्टिकोण यह है कि इन तमाम संपत्तियों पर पुनर्विचार हो जाना चाहिए, इनको एक्वायर किया जाना चाहिए और जनता के काम में उनको लिया जाना चाहिए। लेकिन आज जब यह कानून बिलेटेड तौर पर लाया जाय तो इसके अन्दर भी किसी तरह से और देरी की जाय तो हम इसके कतई पक्ष में नहीं हैं। हम समझते हैं कि हमारे दोस्त इस कानून की ओर धक्का देने के पक्ष में हैं, जो ऊपर से कुछ भी कहें लेकिन दरअसल अपना एक तरीके का वायदा निभा रहे हैं और उन प्रतिक्रियावादियों का, उन सामन्ती तत्वों का साथ दे रहे हैं। जब राजस्थान के अन्दर जागीरदारी एबोलिशन हो गया, बिस्वेदारी एबोलिशन हो गया, उन तत्वों ने कोशिश भी की उनको फेल करने की, उनका विरोध करने की।

आज इन लोगों के पास खाने-पीने के लिए बैंक बैलेन्सेज हैं, प्रोपर्टी है, जवाहरात हैं, प्रिवी पर्सेज हैं। सब कुछ होते हुए भी आज मुझे ताज्जुब होता है स्वतन्त्र पार्टी के लीडर का। उन्होंने अपने दल के लोगों की भावनाओं का ख्याल नहीं रखा कि वे लोग सोचते होंगे कि हमारा लीडर है, हमारा सब कुछ छिनवाया और अपना बचाना चाहता है।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : आप अपने आदमियों को बचाने की कोशिश करें, हमारी परवाह न करें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : हमारे लोगों में..........

श्री मानसिंह महार : Point of order Sir, मैं समझता हूं कि हम लोगों पर जो आक्षेप लगाया कि हमारा सब कुछ छिनवाया, बिल्कुल गलत है।

श्री उपाध्यक्ष : That is no point of order.

श्री रामानन्द अग्रवाल : This is no point of order. Please don't interrupt.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : It is a point of absolute disorder.

श्री रामानन्द अग्रवाल : तो मैं निवेदन कर रहा था कि जो सामाजिक न्याय के आधार पर आप करें, इस बात की दलील

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

दी जाय कि हमारा यह टेक ओवर न किया जाय, यह असेसमेंट न किया जाय, तो भी उनकी खुद की पार्टी के अन्दर शायद अलग अलग विचार देखेंगे। तो जब औरों के साथ उनसे जो थोड़ी सी प्रोपर्टी थी वह टेक ओवर की गई तो वे अपनी सम्पति को बचा कर रख सकें, यह बात कोई मुमकिन नजर नहीं आती।

मैं यह कहना चाहता था एक बात और जो विशेष देखने में आयी राजस्थान में। लोग यह कहते थे कि स्वतन्त्र पार्टी को हमने चुनकर भेजा ४० की तादाद में, लेकिन यह तो मुर्दा पार्टी है, कुछ बोलते नहीं हैं, कुछ शोर नहीं मचाते, कुछ हंगामा नहीं करते और पिछले तीन-चार अधिवेशनों में हमको देखने के अवसर भी मिले। इनको बोलना भी नहीं आता, किसी को दिलचस्पी नहीं।

श्री केसरीसिंह (पाली) : Point of order, Sir, how is it connected with the present Bill which is before the House?

श्री रामानन्द अग्रवाल : I have just explained the relationship. Your objection is premature.

श्री केसरीसिंह (पाली) : Let the Speaker decide it.

श्री निरन्जननाथ आचार्य (उप-मंत्री, शिक्षा) : I would like to support the point of order,

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि जिन लोगों ने कल स्वतन्त्र पार्टी की तरफ से इस बिल के खिलाफ आवाज उठाई, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या रिलेशन है उसका इस बिल से ? जब जनता के ऊपर टैक्स लगाये गये, सेल्स टैक्स बढ़े, तब हमने इनको प्रदर्शन करते नहीं देखा, जब पुलिस के अत्याचार हुए, हमने स्वतन्त्र पार्टी को प्रदर्शन करते हुए नहीं देखा। जब किसानों को बेदखली हुई, मजदूरों के साथ अन्याय हुआ, तब प्रदर्शन करते हुए नहीं देखा, लेकिन जब राजाओं की जमीन एक्वायर करने का प्रश्न आया, जब राजाओं को मिली जमीन पर लगान लगाने का प्रश्न आया, तो मुर्दा स्वतन्त्र पार्टी जिंदा हो गई।

५०० आदमी कहीं से ले आये और यहां पर प्रदर्शन करके जिसका इजहार किया और उनके लीडर ने कहा कि अगर यह नहीं किया तो उसके भयानक नतीजे होंगे। आप इन ५०० लोगों को लेकर राजस्थान की दो करोड़ जनता को डराना चाहते हो। राजस्थान का किसान और मजदूर उस दिन भी नहीं डरा जब आपके पास तोप और तोपखाने थे।

आप हर तरह से अत्याचार करके राजस्थान की जनता को डराना चाहते हो। आप आज ५०० लोगों की ताकत पर यह करना चाहते हो। राजस्थान के किसान यह देखते हैं कि उनके हित में आज कौन लड़ रहा है। वे इस तरीके से आप लोगों के भुलावे में नहीं आ सकेंगे। यह किसकी ऑपोजीशन पार्टी है, ऑपोजीशन ऑफ दी पब्लिक। मैं समझता हूं कि कल जो प्रदर्शन किया गया,

Page No.72

(श्री रामानंद अग्रवाल)

वह राजस्थान की जनता के खिलाफ प्रदर्शन था, राजस्थान की जनता के हकों के खिलाफ था।

आप अपने चेहरे से उस नकाब को उतार दीजिये जिसको आपने अभी तक लगा रखा है। आपने जिस नकाब से अपने चेहरे को ढक कर रखा है उस नकाब के जरिये आप यह जाहिर करना चाहते हैं कि जनता के हित में आप यहां आये हैं और जनता के हित के लिये यहां लड़ना चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि जिस प्रकार हो सके, जिस तरीके से हो सके आप यह चाहते हैं कि इस बिल को रोका जाय। आप यह चाहते हैं यह जो बिल यहां पर लाया गया है उसको पोस्टपोन किसी न किसी तरह से कराया जाय और उसके लिये आप बातें कहते हैं या आप यह चाहते हैं कि इस बिल को बिल्कुल ही हमेशा के लिये दफना दिया जाय या इसको बिल्कुल ही स्टेच्यूट बुक से हटा दिया जाए। यह वेस्टेड इन्टरेस्ट वालों का स्लोगन है। हमारे कुछ समाजवादी भाई जो समाजवाद में विश्वास करने वाले हैं इस प्रकार के भुलावे में और चक्कर में आ सकते हैं। इस वजह से वे इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं। वे भी तो कॉन्फिडेन्स मोशन लाये हैं, मगर आपके खिलाफ कुछ कहना नहीं चाहते। आपका भी नो कॉन्फिडेन्स सरकार के प्रति है। हम भी आपके खिलाफ नो कॉन्फिडेन्स रखते हैं और हमारा सरकार के प्रति नो कॉन्फिडेन्स इसलिये है कि सरकार जागीरदारों का साथ देती है। आपका नो कॉन्फिडेन्स इसलिये है कि राजाओं के राज्य क्यों छीने गये, जागीरदारों की जागीरदारियाँ क्यों छीनी गई? हमारा नो कॉन्फिडेन्स इसलिये है कि आपको प्रिवीपर्स सरकार क्यों देती है, आपको प्रिवीपर्स क्यों मिलता है? आपको इतनी जागीर और जमीन और हीरे-जवाहरात और प्रोपर्टी क्यों मिली है? आप इसके लिये सेन्स जानना चाहते हैं कि जनता की क्या सेन्स है। मैं कहूंगा कि जनता अब इतनी भोली नहीं है कि वह आपकी बातों में आ जावे। आपने बहुत समय तक जनता को भुलावे में रखा और अब जनता को आप भुलावे में नहीं डाल सकते हैं। आप हिन्दुस्तान की आजादी के बाद आज भी जनता को गलत हाथों में डालना चाहते हैं, मगर हिन्दुस्तान और राजस्थान की जनता अब कभी कुबूल नहीं करेगी।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, अभी मैं चन्द मसलों की ओर इस सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं जो इस बिल से सम्बन्धित कुछ मुद्दे हैं। सबसे पहले....

श्री उपाध्यक्ष : Hon'ble Member has taken 35 minutes.

श्री रामानन्द अग्रवाल : I will take only one point. I will leave all other points.

मैं केवल एक कम्पेन्सेशन के पोइन्ट को ही लेना चाहता हूं, जिसका बड़ा भारी विरोध किया गया, जिसके लिये हमारे उधर से और

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

समाजवादी दल की ओर से और शायद हमारे जनसंघ की ओर से भी जो अपने आपको इस बिल के पक्ष में कहते हैं, कहते हैं कि २६ जनवरी, ५० से उन पर यह लगान लगे इस बात को किसी ने क्रुअल माना है और किसी ने कुछ आपत्तिजनक माना है। किसी ने इस कानून को ठीक होते हुए भी अनुचित माना है। अब रहा सवाल यह कि उनको ये सहूलियतें दे दी जावें; मैं समझता हूं कि अगर सिलेक्ट कमेटी ने इस बिल में कोई अक्लबन्दी की बात की है और कोई बात की है तो इस क्लॉज में वह एमेन्डमेंट करके जोड़ा है, यह बहुत ही ठीक किया है। हमारे बहुत से साथी इसके लिये यह कहते हैं कि आज सरकार इस कानून को क्यों लाई है? १५ वर्षों पहले इस कानून को क्यों नहीं लाया गया? मैं यह कहूंगा कि अगर १५ वर्ष पहले यह कानून लाद दिया जाता तो इस कानून के जरिये से एसेट्स की वसूली भी हो जाती। आज १५ वर्ष के बाद सरकार यह कानून ला रही है तो १५ वर्षों तक तो उन्होंने इसका मीन प्रोफिट का फायदा उठाया है। मैं यह कहूंगा कि इसकी जिम्मेदारी सरकार की है। इसलिए मैं मेरे दोस्तों से कहूंगा अपने सरकारी दोस्तों से जो उनके प्रति हमदर्दी दिखाना चाहते हैं, उनको सेन्सर किया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में सरकार से जवाब तलब किया जाना चाहिए कि उसने इतने साल तक यह कानून नहीं लाई। यह नहीं कि उनकी इस गलती की वजह से आपको उनको तरजीह देनी चाहिये या कोई इनाम देना चाहिये। यह कहाँ की ईमानदारी और जनता के हितों की बात है? फिर भी हमारे दोस्त कहते हैं कि हम इस कानून के पक्ष में हैं।

जब जागीरदारों के बारे में नेहरू एवार्ड हुआ, भू-स्वामियों का आन्दोलन हुआ, छोटे जागीरदारों को मुआवजा दिलाने की बात थी तो क्या उस समय हमारे श्री लक्ष्मणसिंहजी, हमारे डूंगरपुर से आने वाले माननीय मित्र ने रीहेबिलिटेशन ग्रान्ट की बात की? क्या वे रीहेबिलिटेशन ग्रान्ट की बुनियाद पर इस चीज को कहना चाहते हैं कि प्रोपरली रीहेबिलिटेटेड राजा लोग नहीं है? मैं उनसे कहूंगा कि आप कॉवेनेन्ट को देखें। राजाओं को रियायतें दी हैं उसके बारे में सब बातें कॉवेनेंट में हैं। राजाओं को जो भी प्रोपर्टी दी गई है वह सब कॉवेनेन्ट में मौजूद है। ये जो राजाओं को रियायतें दी हैं वह हिन्दुस्तान की भूखी नङ्गी जनता के साथ खुला ब्रिट्रेयल है आपके कॉवेनेन्ट को मंजूर करते समय हिन्दुस्तान की भूखी नङ्गी जनता और भूखे नंगे लोगों की बातों को भूल गये और आपने उनको इस प्रकार कॉवेनेन्ट को मंजूर करके क्रूश किया है। इसमें ऐसी बातें रखी गई हैं जो हिन्दुस्तान के लिए परेशानी का कारण बन गई है।

आज जब कम्पलसरी डिपोजिट स्कीम देश में सरकार ने सहायता के लिये लागू की है और १२५) रुपये पाने वाले लोगों से ३ प्रतिशत वसूल करने का कानून बनाया जिसका विरोध डूंगरपुर से आनेवाले माननीय सदस्य करते हैं और उनका विरोध करना सही भी है और इसका विरोध होना भी चाहिये। जब वे इसका विरोध करते हैं तो उनको यह सोचना चाहिये कि आखिर स्टेट के कोफर में पैसा कहां से आएगा। आप इसका भी

(श्री रामानंद अग्रवाल)

विरोध करें और अपनी प्राइवेट प्रोपर्टीज और जायदादों को भी कायम रखना चाहते हैं। ये दोनों बातें एक साथ मेल नहीं खातीं। यही बात है कि आप इस प्रकार की बातें सुनने से घबराते हैं।

इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि जब २६ जनवरी, ५० से लैंड रेवेन्यू एसेस करने की बात कहते हैं तो इसका विरोध करते हैं। मैं कहूंगा कि जब राजा लोगों ने एक बात स्वीकार कर ली कि हमने जितने अर्से तक राज्य करना था कर लिया और अब वे ऑर्डिनरी सिटीजन्स की तरह से ही रह सकते हैं, किसी के स्पेशल प्रोविलेजेज कायम नहीं रहने दिये जावेंगे। अब वे ऑर्डिनरी सिटीजन के तौर पर कायम रह सकते हैं। मैं यह कहूंगा कि आपने कितने किसानों को लगान एग्जेम्पट कराने के लिये लड़ाई लड़ी। आपने जो यहां प्रदर्शन किया...........

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह एवं श्री रामानन्द अग्रवाल, दोनों माननीय सदस्य, एक साथ बोलने लगे)

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : माननीय उपाध्यक्ष, सरकार का यह मत है, सरकार कहेगी तो लगान दे देंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह कम से कम आप इस बात को सोचने वाले हैं।

मैं इसके सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं कि यह कानून देरी से आया है, पहले से आना चाहिये, राजाओं पर शुरू से लगान लगना चाहिये। यह लगान कांग्रेस सरकार ने नहीं लगाया, इसलिये यह जिम्मेदारी कांग्रेस सरकार की है कि जिस लगान को आज से १५ वर्ष पहले लेना चाहिये था उसको हमने नहीं लिया, आपने एक्वायर नहीं किया इसलिये पिछले १५ साल के मीन प्रोफिट तो वे खा गये जो हम ले सकते थे। अब जिस तरह से कॉन्स्टीट्यूशन बनाया गया है उसमें अब वह मुमकिन नहीं। इसमें राजा लोग यह महसूस करें कि........

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, चीन का कॉन्स्टीट्यूशन बना कर इन नरेशों को Arabian Sea में फेंक दीजिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह हमारे बस का नहीं है, हमारी सरकार होती तो वैसा ही करते।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं।

(श्री लक्ष्मणसिंह एवं श्री रामानन्द एक साथ बोलते रहे)

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : आप यह क्यों नहीं कहते कि कम्पेन्सेशन नहीं देना चाहते? कम्पेन्सेशन भी नहीं, यह भी नहीं, तो फिर सब को खत्म करो; "न रहे बांस न बजे बांसुरी।"

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री रामानन्द अग्रवाल : एक बात में कम्पेन्सेशन की कहना चाहता हूं। इसमें जो

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

क्लॉज रखा है उसमें ७ गुना कम्पेन्सेशन नेट की बात कही गई है, वह बिल्कुल........

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : आपको कम्पेन्सेशन की बात अखरती है तो साफ कह दीजिये कि कम्पेन्सेशन नहीं दिया जावे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : हमने इसके लिये राह भी बताई है। हम दोनों तरह से तैयार हैं।

(६. म. प.)

तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि जागीरदारों या बिस्वेदारों को मुआवजा देने की बात की गई वह समझ में आ सकती है, उनको कोई आधार देना है बसाने के लिये, पर राजाओं के लिये तो यह बात भी नहीं है। उनको प्रिवी पर्स दे रहे हैं, उनको पेलेसेज, फोर्ट्स और न जाने क्या क्या दे दिया है, क्योंकि पराई चीज देने वाले के बाप का क्या बिगड़ा ? इस तरह लेने और देने वाले दोनों इक्विटेबल होंगे।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : आपकी चीनी सरकार, वचन क्या है यह भी नहीं जानती; वचन-भंग करने में बिल्कुल कुख्यात हो चुकी है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : वचन भंग करने की बात वे जानें। हम तो हिन्दुस्तान की जनता की बात करते हैं.......

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : हिन्दुस्तान के साथ, हिन्दुस्तान की जनता के साथ आपकी चीनी सरकार ने वचन-भंग किया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अन्त में मैं यही निवेदन करना चाहता हूं, जो इस नये सदन के प्रारम्भ में मैंने निवेदन किया था, कि जो यह चोर लड़ाई लड़ने की बातें की जाती हैं, इधर भी राजा लोग और उधर भी राजा लोग १५ वर्ष से कानून नहीं लाये, ऐसी बात नहीं कि कांग्रेस को पता नहीं था। दोस्ती win over करने की, सौदेबाजी की बातें बराबर होती रही हैं और जब जब वे समझौते हुए, राजस्थान की दो करोड़ जनता के साथ बिट्रेयल किया गया। आज भी वही खतरा है। गवर्नमेंट इस बिल का जवाब नहीं देना चाहती, समझौता करना चाहती है। एक ने शय दी तो दूसरे ने दूसरी शय दी। एक बिल के ज़रिये शय देता है, दूसरा डिमॉन्स्ट्रेशन के जरिये शय देता है। इसके पीछे मतलब गरीबों को राहत पहुंचाने का नहीं, करप्शन को रुकवाने का नहीं, मतलब इस कानून को रुकवाने का है, रियायतें लेने का है। क्या सरकार इस बात से इन्कार कर सकती है कि कांग्रेस के नेताओं और राजाओं के नेताओं के बीच जनता के पर्दे के पीछे पीछे आज समझौते की बातें चल रही हैं, जनवरी १९५० से लगान नहीं लगाया जाय इस बात की खुफिया-खुफिया साजिश चल रही है ? किस तरह आप अपने लोगों को राजी करना चाहते हैं ? जो लोग जनता में रहते हैं, जो किसान मजदूरों में से आये हैं उन्होंने सरकार को मजबूर किया कि इस कानून को लाओ। पर आज एमर्जेन्सी का नाम लेकर कि राजा लोग नाराज हो जायेंगे, समझौते की बातें की जा रही हैं। एक तरफ तो कॉन्फिडेन्स है, किसी न किसी तरह इनको ढीला करें, आपकी बातें हो चुकी

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

हैं। बिज़नेस एड्वाइजरी कमेटी में इसके जवाब की तारीख नहीं रखी। इससे साफ जाहिर है कि आज फिर राजस्थान में उसी इतिहास की पुनरावृत्ति होगी। इस तरह एक तरफ यह कानून लाकर और दूसरी तरफ से प्रदर्शन का हुजूम लाकर, नो कॉन्फिडेन्स का मोशन लाकर जनता की आंखों में धूल झोंकी जाती है कि देखो हम सरकार के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव ला रहे हैं। आपकी नीयत भी साफ है और इनकी नीयत भी साफ है। ये इस कानून में रियायत मांगना चाहते हैं, ये साम, दाम, दण्ड और भेद से अपनी बात मनवाना चाहते हैं, जिस तरह की आपकी परम्परा रही है, जिस तरह जनता के आन्दोलनों के साथ आप लोगों ने बिट्रेयल किया है वही बिट्रेयल का इतिहास दुबारा दोहराने का सवाल आ रहा है....

(शोरगुल)

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : हमारा इतिहास एक शानदार इतिहास रहा है, बिट्रेयल का नहीं......

(शोरगुल)

श्री रामानन्द अग्रवाल : जितने बिट्रेयल हुए राजस्थान की जनता के साथ में, यह गवर्नमेंट रहे, न रहे पर जो सामन्ती तत्वों को इस तरह की रियायतें दी गईं, चाहे वे इधर बैठे हों या उधर बैठे हों उनकी रियायतें खत्म होनी चाहिये। पर आज निहित स्वार्थों के साथ मिल कर साजिश की जाती है, निहित स्वार्थ दोनों ओर मिल कर अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। कितनी ही गुप्त मीटिंगें राजाओं की हुई हैं। सुनते थे सत्याग्रह होगा। हमने भी देखा राजा लोग जेल जायेंगे। सत्याग्रह का पहला खिलाड़ी कौन होगा? वह तो सुना कि कोटा नरेश ने बीच में पड़ कर, कुछ कांग्रेस में भी साख है, कुछ रिश्तेदारी की साख है, ऊपर की लड़ाई लड़ते रहें पर हमारा-तुम्हारा हित एक है। मैं सदन को आगाह करना चाहता हूं, इस तरह का षड्यन्त्र नहीं होने पाये, इसके लिये आपको सचेत रहना चाहिये।

(अनेक माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री उपाध्यक्ष : श्री ज्वालाप्रसाद।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, भू-सम्पदा अवाप्ति विधेयक पर कल से बहस चल रही है। जो वातावरण सदन में बनाया गया है वह वातावरण इस तरह का है जिसका दिग्दर्शन अभी सदन में हो चुका है। मैं इससे पहले कि इन सब बातों पर अपने विचार प्रस्तुत करूं, मैं एक बात रखना चाहता हूं कि आज देश किन स्थितियों में से गुजर रहा है, आज किस तरह की स्थिति है। इसके बैक ग्राउन्ड में हमको इस पर बहस करनी चाहिये। एमर्जेन्सी जो आज देश के ऊपर है, जिन चीजों की तैयारी के लिये देश खड़ा होना चाहता है उसमें इस तरह के विविक्त विचार पैदा करना कहां तक ठीक है। एक साधारण सी बात थी। एक विधेयक आया और वह भी ऐसे वक्त आया जबकि देश को जरूरत है ऐसी चीज की। इस तरफ निगाह गई और सरकार ने सोचा कि हमारी योजनाओं के लिये, हमारी दूसरी बातों के लिये हमको पैसे की जरूरत है, हमें अपने राजस्व को बढ़ाना है, उनके

Page No.77

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

लिये हमारी निगाह जाती है कि हम क्या ले सकते हैं ?

फिर आइयें इस बात पर कि एक तरफ वे लोग हैं जो इन चीजों का उपभोग कर रहे हैं, जो चीजें जनता की थीं और हैं उनके ऊपर अंगुली उठाई जाती है तो वे तड़फड़ाते हैं। उनका तड़फड़ाना हमारी समझ में आता है; पर आप इनको पहिचान लीजिये, ये आपको अरब समुद्र में डुबाना चाहते हैं। कांग्रेस ने शान्तिमय उपायों से आजादी लाकर देश को अपनी कुर्बानियों के बल पर खड़ा किया है। वह यह भी नहीं सुनना चाहती कि कोई यह कहे कि उसको समुद्र में डुबो दिया जायगा; हमारी पार्टी आयेगी तो इन राजाओं को समुद्र में डुबो दिया जायगा, इस तरह की बातें सदन में कही जाती हैं। उनके इरादों से देश को आगाह होना चाहिये, इस तरह के लोगों से देश की रक्षा करनी है।

उपाध्यक्ष महोदय····

श्री हरिराम चौहान (तिजारा): हमको यह भी देखना है·······

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आप तशरीफ रखिये।

उपाध्यक्ष महोदय, सदन में कितनी गर्मी पैदा हुई। मुझे दुख हुआ। कांग्रेस वालों को दुख हुआ। देश के लोग हैं। आप राजाओं के खिलाफ हैं लेकिन इन्सान की तरह से हम इनका भी हक समझते हैं। जहां तक व्यक्तित्व का सवाल है, इन्डिविजुअल का सवाल है, वे भी इस देश के उतने ही मालिक हैं जिस प्रकार की इस देश का एक सिटीजन मालिक होता है। हमको इसकी रक्षा करनी है, सब की रक्षा करनी है। मैं विरोध करता हूं जब इस प्रकार की बातें हमारे दूसरी ओर बैठे साथियों की ओर से रखी जाती हैं। मैं सेठ साहब रामानन्दजी से कहना चाहता हूं, अगर आपका जबर्दस्ती से पैट्रोलपम्प छीन लिया जाय तो आपकी क्या हालत होगी ?

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : जरूर छीनना चाहिये, समाजवाद तब ही आवेगा।

श्री हरिराम चौहान : अगर सरकार में हिम्मत है तो इस वक्त ही सरकार कानून लाये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : जमीन छीनने की ताकत होनी चाहिये, आपमें ताकत नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : Order ! Order please !!

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, अगर व्यक्तिगत बात महारावल के लिए कही जा सकती है तो आपकी तरफ साम्यवादियों के लिए कही जा सकती है कि आपकी जमीन क्यों नहीं छीन ली जाय, आप भी तो एक बहुत बड़े जमींदार हैं ?

(शोरगुल)

श्री हरिराम चौहान : आपको भी हम बता देंगे; इसी वक्त कीजिये, हिम्मत चाहिये।

श्री मुकटबिहारीलाल गोयल : ये कुछ चीन के मित्र हैं जो सदन में गड़बड़ी कर रहे हैं, सदन में उनसे व्यवस्था करायी जाय ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : ये अमेरिका के चाचा भुस-भुस कर रहे हैं ।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : इस प्रकार के देशद्रोहियों को सेंसर करना चाहिये ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इस प्रकार के देशद्रोहियों को पूंछ पकड़ कर बाहर निकाल देना चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! Please continue.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : कांग्रेस की तरफ से विचार रख रहा हूं । मेरा किसी भी तरह से किसी का भी दिल दुखाने का विचार नहीं है । सिर्फ समझाना चाहता हूं, जो आप कहना चाहते हैं दूसरों को,कोई बात व्यक्तिगत रूप से कही जाय, आप चाहे जितने प्रोग्रेसिव बनें, उस प्रोग्रेसिवनेस के साथ जो ह्यूमन नेचर है उस तरफ आपकी निगाह खींचना चाहता हूं । यह कोई बड़ी बात नहीं है । जो ट्रान्सफर आॅफ पॉवर हुआ, पीसफुल ट्रान्सफर हुआ वह कांग्रेस ने अपने सिद्धान्तों के बल पर किया, उस पर हमें गर्व है । हमने कोई वायोलेन्स नहीं किया । आज किसान और मजदूर कांग्रेस के साथ हैं । आज कांग्रेस सरकार सारे हिन्दुस्तान के अन्दर कायम है । तो हमने वह जो चीज की वह कन्सेन्ट से की, बिना किसी वायोलेन्स के की । हमने यह जोर जबर्दस्ती से नहीं की । हमने बुराई को बुरा समझा । गाँधीजी ने हमको यही सिखाया कि आदमी को बुरा नहीं समझो, बुराई को बुरा समझो । हमने इसको बराबर समझा । आज हमको यह कहा जाय कि आपने उसके अन्दर क्या कर दिया, उसको क्या प्रोपर्टी दे दी । आपकी उंगली नहीं चिरी है-फटी है और उसके बाद आप उपदेशक बन गये जिसको आप गद्दार कहते हैं उस गद्दारी का नमूना यह दिखाया है, उससे ज्यादा गद्दार आप हैं ।

उनकी साफ बात थी । उनके बाप-दादा-राजाओं का सम्बन्ध था अंग्रेजों से; उन्होंने उनसे समझौते किये थे । वे जो करते थे उनका भी हमने मुकाबला किया, किसी को मार कर नहीं, अपनी गर्दनें देकर, उन देशी राज्यों की जेलों में जाकर । हमने उनको फिर भी विदेशी नहीं समझा । लेकिने आपने क्या किया,इन्टरनेशनल के नाम पर ? तुम्हारा एक एक पलटा लेना जैसा होता था । १९४२ में अंग्रेजों के साथ मिल जाना, उस तरह की गद्दारियां करना, उनको आज नहीं भुलाया जा सकता ।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : शर्म शर्म ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं आपको कहूं । मैं आपसे दूर नहीं था । मेरठ के अधिवेशन में........

श्री श्योपतसिंह (हनुमानगढ़) : अपने कारनामे तो देखिये........

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : जमीदार साहब ! बैठे रहो ।

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज कर रहा था कि कांग्रेस में एक मर्तबा कम्युनिस्ट थे और यह बात सही है कि कांग्रेस को मजबूर होकर उनको अलग रखना पड़ा; ऑल इन्डिया कांग्रेस के मेरठ अधिवेशन के वक्त आचार्य कृपलानी जिस समय प्रेसीडेन्ट थे उस वक्त, कम्युनिस्टों को निकाल देना चाहिये, इस प्रकार का निर्णय लेना पड़ा। उनको निकाला गया। उनके कारनामे ही ऐसे थे। मजबूर होना पड़ा, कुछ स्थितियां थीं। आज जो मैंने उनकी तकरीर सुनी........

श्री श्योपतसिंह : आपको.......

(शोरगुल)

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : जितनी दफा आप बोलेंगे आपको नहीं छोड़ूंगा।

श्री मुकटबिहारीलाल गोयल : इनको कन्सेन्ट्रेशन कैम्प में भेज दीजिये।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आपकी रहम पर नहीं बैठे हैं। मैं आपको कहता हूं की यदि आप दूसरे मुल्क में होते तो आपको नेस्तनाबूत कर दिया जाता।

श्री हरिराम चौहान : जनता के वोट हैं, आपकी सरकार की महरबानी नहीं है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आपके अधिकार क्या हैं? वे ही अधिकार हैं जैसे दूसरे के हैं।

यह कांग्रेस की सत्ता ही है जिसके कारण आप यहां बैठे नजर आते हैं।

श्री श्योपतसिंह : आपकी महरबानी नहीं चाहिये।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आप चाहो या न चाहो, हम महरबानियां करना चाहते हैं आपके ऊपर।

श्री श्योपतसिंह : आपके चाहने से क्या होता है?

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : लेकिन जो उन गद्दारों पर महरबानी करते है उनको भी हम नहीं चाहते, उनको भी निकाल देना चाहिये।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : वे सौ डिग्री के हैं तो ये ८० डिग्री के बोल रहे हैं। ज्यादा फर्क नहीं है, उस्ताद; आप क्या बात करते हैं? आपको भी उसी तरह जिन्दा रखना चाहते हैं जिस तरह राजाओं को और उसी तरह जिन्दा रखना चाहते हैं जिस प्रकार आपके दोस्त आपके पड़ौस में बैठे हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : तुम कौन से ईश्वर हो कि खुद जिन्दा रह जाओगे।

(शोरगुल)

गरीब किसान तुमको कुचलकर फेंक देगा।

श्री उपाध्यक्ष : Order please !

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : क्या मुश्किल बात हो गयी है? आप जिन्दा रहो।

श्री उपाध्यक्ष : Order ! Order please !!

Page No.80

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : रेंगते फिर रहे हो। तुम्हारा प्रोटेक्शन हमको क्या जिन्दा रखेगा ? खुद ही जिन्दा रह जाओ। हिन्दुस्तान की जनता तुमको निकाल बाहर करेगी।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : Order please !

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : हम चाहते हैं, दोनों ही खत्म हो जाओ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : Order please !

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : उपाध्यक्ष, इस सदन के सामने हांडा साहब का इजहार है, उनकी कद्र करता हूं ....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : तुम कद्र करोगे और सिर झुकाओगे, वह दिन आने वाला है।

श्री उपाध्यक्ष : Hon'ble Members, this is not the right method of debate.

श्री श्योपतसिंह : उनका पेशा ही यह है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय........

श्री हरिराम चौहान : यह तो कांग्रेस की ओर से........

(शोरगुल)

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : ये जजबात इसलिए कह रहा हूं.........

(शोरगुल)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : कांग्रेस ने रखा है, बजाओ ढोल........

श्री उपाध्यक्ष : Order Hon'ble Members !

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इसीलिए जमीन दी।

श्री उपाध्यक्ष : Personal names may not be mentioned.

श्री केशरीसिंह (पाली) : Point of order, Sir, I breach you to maintain the decorum and dignity of the House.

श्री उपाध्यक्ष : I am sure the Hon'ble Members are themselves responsible and they will maintain it.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय........

श्री मानसिंह महार : The Chair is not responsible for maintaining order ?

श्री उपाध्यक्ष : The Chair is responsible and it relies on the Hon'ble Members.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इतना दिल दुखाना किसी का नहीं चाहता।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : तुम दुखाओ। इसीलिए तुमको जमीन दी गई है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : न तो मेरे पास दो मुरब्बा है और मैं यह भी नहीं कहता कि आप दो मुरब्बा क्यों लिये बैठे हो........

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : हम तो कहते हैं लो लो। तुम्हारी ताकत होनी चाहिए। सीलिंग का कानून पास किया, किन्तु उसको लागू नहीं कर रहे हो, क्योंकि पैसे खा बैठे हो।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य को क्षमता होनी चाहिए। वाद-विवाद के जो नियम हैं उनका उल्लंघन नहीं होना चाहिये। यदि आपको कुछ सुनाना ही है तो आपको भी समय मिलेगा उस समय आप कह सकते हैं। शान्तिपूर्वक तकरीर को आप सुनें और उसके बाद जब आपको समय दिया जाय आप कहें ताकि सदन की व्यवस्था कायम रह सके।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : Point of order, Sir, he is casting aspersions and making personal remarks. So long he continues to make aspersions and personal remarks, I will continue to reply.

श्री मानसिंह महार : उपाध्यक्ष महोदय, सदन की यह इन्सल्ट है कि हमारे साथी को इस प्रकार बोलने नहीं दिया जा रहा है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपके साथी हैं। सच्चाई बोली है कि आपके ये साथी हैं।

श्री मानसिंह महार : तुम जैसे गुण्डों से तो ये साथी अच्छे हैं। तुम बदमाशों की औलाद हो।

श्री श्योपतसिंह : तुम बदमाश हो।

श्री मानसिंह महार : तुम बदमाश हो, राजाओं के टुकड़ों पर पले हुए कुत्ते हो।

श्री उपाध्यक्ष : Order! Order please!!

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अंग्रेजों के तुम कुत्ते हो।

श्री मानसिंह महार : तुम चीनी कुत्ते हो।

श्री उपाध्यक्ष : Order! Order please!!

श्री मानसिंह महार : I take strong objection; ये चीनी कुत्ते हमारे को यह कहें।

श्री उपाध्यक्ष : Hon'ble Members, please don't use such language.

Shri Jawala Prasad to continue.

And I hope the Hon'ble Members will not interrupt the speech, and the Hon'ble Member giving the speech will also please preserve the decorum of the House and couch his speech in as nice words as possible.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत धीरज से और बहुत अदब के साथ माननीय सदस्यों से अर्ज करना चाहता हूं कि यहां पर हम साथी हैं और जिन जज–बातों के साथ मैं बोल रहा हूं उनसे किसी की दिल-सिकनी हो, यह मैं नहीं चाहता। मेरी

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

कतई यह मन्शा नहीं रही कि मैं परसी कि व्यक्तिगत आक्षेप करूं। मैंने, सदन में जो जजबात और गर्मी से भाषण दिए वे सुने। उस गर्मी को देखकर मुझे यह कहना पड़ता है किसी के मुंह से इतने जजबात उछलते हैं। तो उनको चाहिए कि आज देश के लिए जो आवश्यक है, जिस चीज की जरूरत है वह सहर्ष उसको मिलनी चाहिए। यह हमारे विरोधी दल के नेता भी मानते हैं। कांग्रेस सरकार भी यह चाहती है कि जो कॉवेनेन्ट या दूसरे शर्तनामे हुए हैं उनको भी जनता के हित में इण्टरप्रेट किया जाय, किसी व्यक्ति-विशेष के हित में इण्टरप्रेट न किया जाय इस पर कांग्रेस को इन दोनों के मध्यम मार्ग से चलना पड़ता है। एक तरफ उसके खाई है तो दूसरी तरफ कुंआ है, बीच के तंग रास्ते से होकर कांग्रेस सरकार अपने देश को मजबूत बनाने के लिए इन सारी हालतों को मद्देनजर रखते हुए चलना चाहती है। आज इस बारे में केवल इसी देश के लोग नहीं, दुनिया के लोग भी कांग्रेस के पक्ष में हैं। सिवाय कांग्रेस के अन्य किसी की ताकत नहीं जो यह सेहरा उठा सके। आज हमारा देश गुलामी से भी ज्यादा बदतर स्थिति में पहुँचने की स्थिति में है। आज इस समय जो देश पर संकट है उसमें कोई पार्टी का सवाल नहीं, आज हमारी आजादी पर दुश्मन की निगाहें हैं। आज ऐसी परिस्थिति है हमारे देश के सामने उसको ध्यान में रखते हुए मैं अपील करता हूं, आप लोग सही ढङ्ग से सोचें और कांग्रेस को कोई अप्रिय कार्य भी देश के लिए करना पड़ता है तो आप उसमें पूर्ण सहयोग दें। आज इस बात का उलाहना भी लोग देते हैं कि हमारी कांग्रेस सरकार है वह किसी के व्यक्तिगत फायदे के लिए अपने सिद्धान्तों और उसूलों को बदल देती है; ऐसी बात नहीं है। हमें किसी को रियायत देना सही मालूम होता है और उसमें सच्चाई मालूम होती है तो उसको देते हैं। हम खामख्वाह झगड़ा बढ़ाकर गवर्नमेंट को खतरे में डालें, यह नहीं चाहते। जनता के हित के अन्दर जो बातें होती हैं उनको लागू करते हैं। हमारा जो संविधान है या कॉवेनेन्ट हैं उसके अन्दर लिखा हुआ है उसके अनुसार किसी व्यक्ति-विशेष को उससे एग्जेम्प्ट नहीं कर सकते। हम चाहते हैं कि हम आम जनता के लिये, देश हित के लिये जो भी उचित कार्य हो वह करना चाहते हैं। यह भी हम चाहते हैं कि राजी-खुशी हो और इसीलिए मेरा आपसे यही निवेदन है कि यह जो बिल लाया गया है इसको हम सब मिल कर एक राय से पास करें और जल्दी से जल्दी पास करें, इसमें देरी नहीं करनी चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, कल मैं इधर से निकल रहा था। मुझे, कुछ तकरीरें हो रही थी; उनके कुछ शब्द मेरे कानों में पड़े। उसमें कहा जा रहा था कि किसानों से जमीन छीन ली गई है, किसानों के पास अब जमीन नहीं रहेगी। मैं समझता हूं कि जो वक्ता यह कह रहे थे और जिस पार्टी के प्लेट फॉर्म से ये भाषण हो रहे थे उनसे पूछा जाय कि जमीन कौन छीन रहा है, कोई कॉल साहब अपनी दराज में बन्द कर रहे हैं या सेक्रेटेरिएट में बैठे लोग छीनकर जाने वाले हैं? आज तो जमीन उसी के पास रहेगी जो बोयेगा, वह किसी के दराज में बन्द नहीं हो सकती। आप बताइये किससे जमीन छीनकर कहां किस दराज में बन्द कर दी, जो यह कहते हैं, जनता के नाम पर बड़े धड़ाके के साथ कहते हैं, मैं उनसे

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

कहना चाहूंगा कि जमीन तो जमीन की जगह रहेगी। आप देखते हैं, कई राजा लोग चले गये, कई सल्तनतें उलट गईं लेकिन जमीन तो अपनी जगह पर वैसी की वैसी बनी हुई है। राइट्स इधर-उधर पलट गये लेकिन जमीन तो वहीं की वहीं रही है। इसलिये यह कहना कि कांग्रेस सरकार तुम्हारी जमीन छीन लेगी, यह बिल्कुल गलत है। जमीन ही एक ऐसी चीज है जिसको कोई छीन नहीं सकता। उसको कांग्रेसी सरकार ने शान्तिपूर्ण ढंग से लेकर उन किसानों को दी है, जो इसको युटिलाइज कर रहे हैं, जमीन के मालिक बन कर जो फायदा उठाना चाहते हैं। कांग्रेस भी उस जमीन को नहीं ले जाने वाली है, वह उनको दी जाने वाली है जिनको इकट्ठा करके आप मीटिंग करते हैं। आप जो इस प्रकार का चश्मा लगाकर बातें करते हैं कि जमीन आपसे छीन कर जाने वाली है उस पार्टी से मेरा यह निवेदन है कि आप जो इस प्रकार की बातें करते हैं वे हमारी समझ में नहीं आती हैं। ऑल इन्डिया लेवल पर जो आपके नेता लोग बातें करते हैं वह तो कुछ समझ में आती है। मसानी साहब बोलते हैं वह भी कुछ समझ में आती है, लेकिन आप जो बोलते हैं वह कुछ भी समझ में नहीं आता। आप इस तरह से जो बातें करते हैं वह समझ में आने लायक नहीं हैं।

दूसरी तरफ हमारे कम्युनिस्ट साथी एमर्जेन्सी में टैक्स लगाये उसके लिये उनका कहना है कि टैक्स नहीं लगने चाहिये। एक तरफ यह कहा जाता है कि जनता के लिये फाइव इयर प्लान के लिये गड़बड़ कर रहे हैं, हम डिमोन्स्ट्रेशन करेंगे, १९ तारीख को करेंगे........

(विद्युत् प्रकाश अदृश्य हो जाने पर)

एक माननीय सदस्य : आपके भाषण में अन्धकार हो गया।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं बिना बिजली के ही इतनी ताकत रखता हूं कि आपको सुना सकता हूं।

आपकी निगाह में इस बिल में कॉन्ट्राडिक्टरी क्लॉजेज हों उसके बारे में कह सकते हैं। जहां तक जमीन का मामला है कांग्रेस सरकार सही रास्ते पर चल रही है, बगैर किसी के भड़काये वह चलती जा रही है। आप जनता के नाम पर किस तरह से बातें करना सीख गये हैं! मैं तो आपको यही कहूंगा कि आपको जनता का नाम तक लेने का हक नहीं है। आज के समय में कांग्रेस ही चल सकती है और कांग्रेसी सरकार ही जनता को कुछ दे सकती है।

अब मैं दूसरे डिटेल्स में आता हूं।

मैं कहना चाहता हूं कि हमारे दिल के अन्दर, कांग्रेस के अन्दर इस बात की बहुत बड़ी इज्जत है। मैं कुर्बानियां और दूसरी बातों के ऊपर नहीं जाऊं तो मैं इस बात पर दाद देता हूं कि हमारी कांग्रेस ने राजाओं के साथ जिस तरह की बात करके शांतिमय ढंग से और बगैर खून-खराबा के, जो पैरामाउन्ट थे, जो अंग्रेजों की तरह अपनी अपनी रियासतों के राजा थे कांग्रेस ने उनको समझाकर, देश का हित समझाकर

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

शांतिमय ढंग से, कोई जोर-जबरदस्ती से नहीं, उनसे राज्य लिया और देशी रियासतों की आजादी को भी हिन्दुस्तान की आजादी बना दिया। जनता चाहती तो खून-खराबा कर सकती थी, मैं इससे इन्कार नहीं कर सकता; लेकिन उन राजाओं से सरदार पटेल की तरकीब से और सहयोग से जो यहां पर रिवोल्यूशन हुआ है और पीसफुल रिवोल्युशन हुआ है देशी राजाओं की जनता के लिए, मैं इसके लिए उनको बधाई देता हूं। इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता, कभी हमारा दल उस बात को नहीं भुला सकता। आज जो यहां विधेयक है हम इसका स्वागत करते हैं। साथ ही हम कम्युनिस्ट पार्टी को धन्यवाद देते हैं कि उसने इन्डिया के अन्दर आज 'देर आयद दुरुस्त आयद'; जहां देश का सवाल था सारा देश चट्टान की तरह खड़ा होगया, लेकिन आपके कदम डगमगाते रहे। लेकिन आज मैं मुबारकबादी देता हूं कि आप सही तौर से देश के साथ हो रहे हैं, आप जनता की गुमराहियत को दूर कर रहे हैं, आप किसी तरह से पोलिटिकल एक्सप्लोइटेशन की बात न करें। जो यहां पर विधेयक पेश है उसके बारे में विचार अपने सदन के अन्दर जरूर रखें लेकिन आइडियोलॉजिकल बातों को लेकर जो जनता में केऑस पैदा करना चाहते हैं, आप इस सबका उपयोग करना चाहते हैं किसी दूसरे मकसद के लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए।

मैं कांग्रेस के लिए भी कहता हूं और उसके लीडर्स के लिए भी कहता हूं कि जहां तक देश का सवाल है सबके लिए हमारे नेताओं का आपको आह्वान है। लेकिन देश के अन्दर जो स्थिति पैदा कर रहे हैं, आप अपना प्रचार कर रहे हैं और वह अपना प्रचार कर रहे हैं और इसमें जनता को विचार विवेक पैदा करके ले कहां जा रहे हैं? इस समय आपके सहयोग की जरूरत है। हमारे देश के अन्दर हमारे नेता नॉन अलाइनमेंट के लिए कहते हैं कि इसके जरिये हमारे देश को एक होना है। हमको इसके मैरिट्स पर चलना है। इस तरह "तूतू-मैंमैं" में क्या रखा है? आपकी भी इज्जत जाती है और हमारी भी जाती है। जहां तक आप कहें कि गवर्नमेंट को फोड़ देंगे, यह कर देंगे, वह कर देंगे; ये सब चीजें शोभा नहीं देतीं। हमें जिम्मेदारी के साथ, बहुत सही तौर से इस बात के लिए आपको एप्रीशियेट करना चाहिए कि इमीजिएटली इसको पास करना है। अगर इसके अन्दर कोई ज्यादती है तो उसको बहुत शांतिमय ढङ्ग से सदन में पास कर देना है।

एक बात और कहूं। मेरे मित्र सुनते जायें तो अच्छा है........

श्री श्योपतसिंह : हम सुन रहे हैं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : ठीक है, तो फिर समझा देना। यह जो दौर चल रहा है इस दौर के अन्दर मैं भी मानता हूं कि दूसरा रिवोल्युशन लाना पड़ेगा और वह यह कि जो शहरों के अन्दर प्रोपर्टीज बढ़ रही हैं, जो १५-१५ प्लॉट्स और महल और पेलेशियल बिल्डिंग्ज हैं उनको भी इस तरह से करना पड़ेगा। यह स्टेप भी उठाना पड़ेगा कि २० वर्ष तक जो किराया देकर टीनेन्ट रह रहा है वह मकान उसका हो जायेगा। यह भी आपके कन्धों पर

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

पड़ने वाला है, हमारी कांग्रेसी सरकार के ऊपर पड़ने वाला है। वह दिन दूर नहीं जब उस दिन को आना पड़ेगा और उस दिन आप देखेंगे कि सही रिवोल्युशन होगा। जिस समाजवादी व्यवस्था के लिए हम कहते हैं वह जो दूसरे लोग दावा करते हैं अपने अपने सिद्धान्तों का और अपनी अपनी बातों का, उनके गाल बजाने के माफिक हैं। उनको तो कुछ करना नहीं है, लेकिन आपको करना है। अगर आपको समाजवादी व्यवस्था करनी है तो ये १५-१५ प्लॉट्स, हवेलियां और पेलेशियल बिल्डिंग्ज़, जिनका ४-४ हजार किराया है और जो शहरों के अन्दर हैं उनके लिए दूसरा बिल लाने के लिए मैं आपको सलाह देता हूं। एक बार फिर, कड़े शब्द कहे हों तो मैं अपने साथियों से क्षमा मांगता हुआ अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

(अनेक माननीय सदस्य बोलने हेतु खड़े हुए)

श्री उपाध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल बाजार, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, जिस विधेयक के ऊपर इस सदन में चर्चा हो रही है वह वास्तव में एक पेचीदा विषय है। हमारे सामने एक तरफ सामाजिक न्याय का प्रश्न आता है तो दूसरी ओर हमारे सामने यह भी प्रश्न उपस्थित होता है कि इस सरकार के रूप में हमने जो अब तक कमिटमेन्ट्स किये हैं उन कमिटमेन्ट्स को पूरा किया जाये या नहीं। यदि हम इन दोनों विषयों को एक साथ लेकर चलने की चेष्टा करेंगे तो निश्चित रूप से इसमें कई प्रकार की पेचीदगियां पैदा होंगी। लेकिन जब विधेयक प्रस्तुत हुआ है तो हमें उन पेचीदगियों को ख्याल किये बिना इस पर अपनी राय व्यक्त करनी पड़ेगी। मैं ऐसा नहीं समझता था कि इस विधेयक को लेकर 'सदन में कुछ गद्दार हैं' इस बात का निर्णय लिया जायेगा। इस बात के ऊपर बहस चलेगी, ऐसा प्रतीत नहीं होता था। लेकिन इस प्रकार का वातावरण बना और हमारे साम्यवादी मित्रों ने विरोधी दल में बैठने वाले सभी सदस्यों, उनकी पार्टी को छोड़कर तथा सत्तारूढ़ दल की ओर बैठने वाले सभी सदस्यों को एक प्रकार से गद्दार बताने की चेष्टा की है। मैं ऐसा समझता हूं कि हमारे यहां यह 'गद्दार' शब्द बहुत सस्ता हो गया है। हम जिनको चाहें थोड़ी सी बात को लेकर गद्दार कह सकते हैं। अब यह सस्ता कौन बना रहा है, इस बात का हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। यदि हम थोड़ा सा यह समझ लें कि इस 'गद्दार' शब्द का महत्व कम क्यों किया जा रहा है और डेलीबरेटली इस प्रकार के प्रश्न क्यों उपस्थित किये जा रहे हैं तो ऐसा लगता है कि जो आज समाज के वास्तविक गद्दार हैं वे इसका महत्व कम कर अपनी गद्दारी को छिपाना चाहते हैं........

श्री श्योपतसिंह (हनुमानगढ़) : (अश्रव्य)

श्री भैरोंसिंह : मैं निवेदन कर दूं कि मैंने आपके नेता का भाषण बिना इन्टरप्शन्स के सुना है। उन्होंने मेरे ऊपर और मेरी पार्टी के ऊपर आरोप लगाये हैं। अब आप कहें कि इन्टरप्शन्स आप करना जानते हैं और कोई दूसरा नहीं कर सकता तो आप यह समझ कर चलें कि इस प्रकार से आप किसी को बोलने से रोक देंगे तो आपकी यह भूल होगी। मैं

(श्री भैरोंसिंह)

आपके इन्टरप्शन्स से न रुकने वाला हूं और न डरने वाला हूं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप लोकतांत्रिक पद्धति में विश्वास रखते हैं तो जैसा आपने सुनाया है उसी प्रकार से सुनने के लिए भी तैयार रहें, तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि इस शब्द को खास तौर से सस्ता करने की चेष्टा वही लोग करते हैं, जो सत्ता के अधिकांश सदस्यों को गद्दार बताकर अपनी गद्दारी को छिपाना चाहते हैं। बदकिस्मती से यह संघर्ष चालू हुआ। उनके कहने के अनुसार राजा गद्दार थे। उन राजाओं ने अंग्रेजों का साथ दिया, उन राजाओं ने आजादी के आन्दोलन को कुचलने की चेष्टा की, उन राजाओं ने लोगों के साथ अत्याचार किया। यह उनकी गद्दारी का कारण है, उनके कहने के अनुसार ऐसा ही लगता है। लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि जिस बात को लेकर वे कह रहे थे कि जनता उनकी गद्दारी को समझती है, जनता का यह वर्डिक्ट है कि वे गद्दार हैं, मैं ऐसा समझता हूं कि लोकतंत्र में विश्वास रखने वाला चाहे राजा हो, चाहे एक साधारण व्यक्ति हो यदि विधान सभा में जीतकर आता है, लोक सभा में जीतकर जाता है तो वह इस बात का प्रमाण है कि उस क्षेत्र के मतदाता इतने मूर्ख नहीं हैं कि वह किसी गद्दार को वोट दे देते और इसी आधार के ऊपर ऐसे व्यक्तियों के लिए जो विधान सभा में चुनकर आये हैं उनको आप यह कह कर चलें कि वे गद्दार हैं और किस समय के थे, आज के १५ वर्ष पहले के, उस १५ वर्ष पहले की गद्दारी के बाद जो चुनाव हुए उन चुनावों ने इस बात का सुबूत दिया कि वे किस प्रकार के कितने गद्दार थे। लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि साम्यवादी दल के माननीय नेता यह कह रहे थे कि इनके साथ जो कॉवेनेन्ट हमारी भारत सरकार ने किया है वह जनता के हित के विपरीत किया है, जनता का समर्थन इस प्रकार की नीति के साथ, इस प्रकार के कमिटमेंट के साथ नहीं था। मुझे यह ताज्जुब होता है और उस समय की माननीय मित्र को याद दिलाना चाहता हूं कि यह कमिटमेंट आज नहीं किया गया है, यह कमिटमेंट सन् ५७ में नहीं किया गया है, यह कमिटमेंट ५२ में नहीं किया गया है; बल्कि यह कमिटमेंट जिस समय स्टेट्स का इन्टीग्रेशन हुआ था उसके पहले कॉवेनेन्ट के रूप में सन् १९५० के समय किया गया था। मैं आज उनसे यह पूछना चाहूंगा कि जिस कांग्रेस पार्टी ने कमिटमेंट किया उस कांग्रेस पार्टी में क्या माननीय सदस्य नहीं थे, जो कि आज कांग्रेस पार्टी को गद्दार बता रहे हैं? मैं मानता हूं कि जिस समय १९५२ के अन्दर कुछ टिकटों का झगड़ा हुआ उस झगड़े के कारण हमारे माननीय मित्र कांग्रेस में नहीं रह सके, लेकिन जिस समय राजाओं के साथ में कमिटमेंट किया गया था तो राजाओं से कमिटमेंट करने वाली कांग्रेस पार्टी यदि उस समय गद्दार पार्टी थी तो वे माननीय सदस्य जो कि सन् ५० में कांग्रेस पार्टी के सदस्य थे, जो कि आज लम्बा-चौड़ा भाषण यहां दे रहे थे और सन् ५० की कांग्रेस पार्टी को गद्दार कह रहे थे। वे पहले नम्बर के गद्दार हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस चीज को भूलें नहीं कि याददाश्त उन्हीं की काम देती है, और दूसरे लोगों की याददाश्त काम नहीं देती है। जिस

(श्री भैरोंसिंह)

कांग्रेस पार्टी के वे सदस्य थे मैं उनसे आज पूछना चाहता हूं कि क्या अलवर कांग्रेस पार्टी ने यह रिजोल्यूशन पास किया कि राजाओं को प्रिवीपर्स नहीं दी जाय, क्या अलवर की कांग्रेस पार्टी ने यह तय किया था कि राजाओं के साथ कॉवेनेन्ट पर दस्तखत नहीं किए जायं, क्या अलवर की कांग्रेस पार्टी ने यह तय किया था कि राजाओं के साथ में जो उनको रियायतें दी जा रही हैं वे उनको नहीं दी जायं ?

(व्यवधान)

५२ में टिकिट नहीं मिला तो......

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : Order please !

श्री भैरोंसिंह : मैं, उपाध्यक्ष महोदय, इस बात की गलती पर था........

श्री नत्थीसिंह (गोविन्दगढ़) : एक बार गलती हुई तो क्या हमेशा ही गलती करते रहें ?

श्री भैरोंसिंह : मैं गलती पर था। आप ५२ में कांग्रेस में थे। इसीलिए तो मैं आज उनसे पूछना चाहता हूं कि ५२ में जब आप थे तो राजाओं को रियायत दे दी थी, राजाओं के साथ में इस प्रकार का समझौता कर लिया था। उस समय जिस समय आप कांग्रेस का प्रचार कर रहे थे उस समय आप किस बात को देखकर कांग्रेस का साथ दे रहे थे, जिस समय स्वयं अपने हाथों से, अपनी जुबान से गद्दार के रूप में क्यों चेष्टा कर रहे थे ?

मैं, उपाध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी कुछ पार्टियों का ऐसा मत है कि सरकार के समझौतों की कोई सेन्क्टिटी न रहे। आज राजा–महाराजाओं का प्रश्न आया है और यदि हम थोड़ी देर सोचकर देखें तो सरकार यदि अपने कमिटमेंट को पूरा नहीं करती और सरकार के कमिटमेंट की कोई सेन्क्टिटी नहीं रहती उस हालत में देश की क्या हालत हो सकती है ? राजाओं की जमीन का प्रश्न सामाजिक न्याय की दृष्टि से उचित नहीं बैठता है कि राजाओं के पास में इतनी ज्यादा जमीन रहे, मैं इस बात को दोहराना चाहता हूं, जैसा कि स्वतन्त्र पार्टी के नेता ने कहा कि जिन राजाओं ने इतना बड़ा त्याग किया उन राजाओं से सलाह की जाती, उन राजाओं से परामर्श किया जाता तो राजा इस स्थिति में आ जाते कि सरकार को कानून बनाने की आवश्यकता नहीं होती और जमीन सरेन्डर करके सामाजिक न्याय के सामने झुकने की चेष्टा करते। कानून के द्वारा करना चाहते हैं तो वैसी स्थिति में कॉवेनेन्ट और कमिटमेंट की इस प्रकार की स्थिति हैं जिसको हमें अपने सामने रखकर चलना पड़ेगा। पब्लिक सेक्टर में इन्डस्ट्री में अपना इन्वेस्टमेंट करने के लिए हम जनता से कहते हैं कि वह वह सरकार से पैसा लेकर उन स्थानों पर इन्डस्ट्री कायम करें और इन्डस्ट्री के साथ हमारी सरकार की कुछ शर्तें होती हैं और सरकार अपनी शर्तों को लेकर तोड़ती है और उन शर्तों की सेन्क्टिटी को समाप्त कर दिया जाय तो कोई भी राजस्थान सरकार या भारत सरकार की सेन्क्टिटी पर विश्वास नहीं करेगा,

(श्री भैंरोंसिंह)

और सरकार के कमिटमेंट में विश्वास नहीं होगा तो निश्चत रूप से विप्लव मचेगा........

श्री नत्थीसिंह : गलत शर्तें नहीं चल सकती हैं।

श्री भैंरोंसिंह : यह भी आये हैं दाल में मूसल बनकर।

मैं यह निवेदन कर रहा था कि उन शर्तो को लेकर देश में जिस प्रकार की स्थिति बनती है उस प्रकार की स्थिति को लेकर........

(श्री नत्थीसिंह के कुछ बोलने का उपक्रम करने पर) माननीय सदस्य चुप रह जायं। चार ही तो और हैं बाकी ।

श्री नत्थीसिंह : यह बिल्कुल गलत है। सही मायनों में किसानों और मजदूरों के हित में नहीं हैं, खाली किसानों और मजदूरों के नाम से नेतागीरी करते हैं तो पूरी तरह से उनकी हिमायत भरनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : Order ! Order please !!

एक भाषण चल रहा हो तो दूसरा भाषण करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री भैंरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यदि इनको कन्ट्रोल नहीं किया जा सके तो डॉ० बी० के० व्यास को बुला लिया जाय।

श्री नत्थीसिंह : यह आपकी ही ठेकेदारी नहीं है........

श्री उपाध्यक्ष : Order please !

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : डॉ० बी० के० व्यास कौन हैं, किसका इलाज करते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : It is irrelevant.

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : साफ तरीके से बता दिया जाय तो उनको सन्तोष हो जाएगा।

श्री भैंरोंसिंह : उन्होंने स्वीकार कर लिया है कन्सल्ट करने के लिए।

श्री नत्थीसिंह : आपको सन्तोष होना चाहिए ।

श्री उपाध्यक्ष : Order please !

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : मैं उनको यह बता दूं कि वे पागलखाने के डॉक्टर हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप प्रारम्भ रखें।

श्री भैंरोंसिंह : मैं यह निवेदन कर रहा था कि सेन्क्टिटी के प्रश्न को लेकर, सरकार कमिटमेंट के प्रश्न को लेकर इस पर गम्भीरता से विचार करना पड़ेगा। अब अगर साम्यवादी सदस्य ने जो कहा कि सन् ४७ से पहले वे गद्दार थे तो उस गद्दारी के प्रश्न पर साथ ही विचार करें और आज की परिस्थिति का विचार करें तो, उपाध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान की ४० करोड़ जनता जानती है कि गद्दार कौन है ? गद्दारों की परिभाषा क्या है। उन्होंने उस समय यह तो

(श्री भैरोंसिह)

कह दिया कि अंग्रेजों के समय में राजा–महाराजाओं ने कांग्रेस का साथ दिया, इसलिये वे गद्दार हैं। यह उनकी परिभाषा बहुत अच्छी है। अच्छी परिभाषा है, मैं उस परिभाषा को स्वीकार करता हूं, लेकिन उनसे कोई पूछे कि जिस समय अंग्रेजों का और रूस की सरकार का समझौता हो गया तो यहां की कम्युनिस्ट पार्टी ने अंग्रेजों का साथ दिया तो जब उस परिभाषा के अनुसार राजा–महाराजा गद्दार साबित होते हैं या उस समय की कम्युनिस्ट पार्टी गद्दार साबित होती है ? वे स्वयं इस बात का निर्णय कर लें। पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं ऐसा समझता हूं कि जनता का इस प्रकार का निर्णय है....

श्री नत्थीसिंह : ऐसा निर्णय नहीं है। आप अपने बारे में बतायें।

श्री भैरोंसिंह : वह भी बता दूंगा।

उस हालत के अन्दर वह एक प्रश्न आ गया। अब दूसरा प्रश्न पैदा होता है कि आज देश में किस प्रकार की परिस्थिति है ? देश के अन्दर हमारी सीमा पर चीन खड़ा है। हर रोज हमें इस बात का खतरा बना है; हम चीन के मुकाबले के लिये हर तरह से तैयार रहें। आज इस बात की आवश्यकता है कि देश में इस प्रकार का फिजा अनुभव करें कि हिन्दुस्तान की ४० करोड़ जनता उस दुश्मन का मुकाबला करने के लिए अपना सर्वस्व त्याग करने को तैयार हो जाय। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम इस बात की निगरानी रखकर चलें कि इस देश में कौन गद्दार हैं, आज इस बात की निगरानी रखकर चलें कि गद्दारों को खुला छोड़ दिया गया तो वे किस प्रकार की स्थिति बनायेंगे। मैं कम्युनिस्ट पार्टी के मित्रों से पूछना चाहूंगा कि वे हिन्दुस्तान में जहां पंडित जवाहरलाल नेहरू पर पूर्ण विश्वास लेकर चलते हैं, जिनके बारे में उन्हें किसी भी प्रकार का सन्देह नहीं है, जिनको वे हिन्दुस्तान का नेता समझकर चलते हैं उन नेहरूजी की सरकार ने हिन्दुस्तान में कितने कम्युनिस्टों को एन्टी–नेशनल होने के लिये गिरफ्तार किया है ?........

एक माननीय सदस्य : सरकार को उन्हें छोड़ना पड़ा।

श्री भैरोंसिंह : यह इस बात का सुबूत है, जिन जवाहरलालजी को आप देवता समझ कर चलते हैं उन देवता ने उनको क्या सार्टीफिकेट दिया है कि हिन्दुस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी गद्दार है........

श्री श्योपतसिंह : आपके और नेहरू जी के सर्टीफिकेट पर नहीं बैठे हैं।

श्री भैरोंसिंह : इसके अलावा मैं इतना और भी कहना चाहूंगा कि आज ये स्वयं स्वीकार करके चलते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के रिजोल्युशन्स हम समाचार पत्रों में पढ़ते हैं, भारत सरकार इस प्रकार का जिक्र करती है, कि हिन्दुस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी दो भागों में बंटी हुई है, एक नेशनल, दूसरी एन्टी-नेशनल; एक प्रो-चाइनीज और दूसरी प्रो–इन्डियन पार्टी। मैं कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं से पूछता हूं कि जिनको भारत सरकार और यहां की ४० करोड़ जनता प्रो-चाइनीज कहती

Page No.90

(श्री भैरोंसिंह)

है उनमें से किनको आपने अपनी पार्टी से निकाला ?....

श्री श्योपतसिंह : ऐसा कोई नहीं है। आपका प्रोपेगेन्डा काम नहीं करेगा।

श्री भैरोंसिंह : मेरा प्रोपेगेन्डा नहीं करेगा, लेकिन बंगाल के आपके अजय घोष और आपके भुवनसेन जो आज आपकी कम्युनिस्ट पार्टी के मंत्री हैं, प्रो-चाइनीज हैं...

श्री हरिराम चौहान (तिजारा) : यह आपका दोष है।

श्री भैरोंसिंह : मेरा दोष कैसे है ?

श्री हरिराम चौहान (तिजारा) : अजय घोष तो मर गये।

श्री भैरोंसिंह : अजय घोष कब मरे ?

श्री हरिराम चौहान (तिजारा) : थोड़े दिन पहले मरे।

श्री भैरोंसिंह : मैं भूल गया, ज्योति बसु....

श्री श्योपतसिंह : याददाश्त ताजा कर लीजिये।

श्री भैरोंसिंह : ज्योति बसु को वहां की कम्युनिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी गद्दार कहते हैं और गद्दार कहने के बाद भी वहां की कम्युनिस्ट पार्टी उनको एक्सपेल नहीं करती है तो जो प्रो-चाइनीज हैं वे अगर पार्टी में रहते हैं तो वह पार्टी पूरी की पूरी गद्दार है........

श्री श्योपतसिंह : आप सबसे बड़े गद्दार हैं।

(व्यवधान—एक साथ अनेक माननीय सदस्य बोलने लगे)

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह आता है कि राजाओं की २० हजार बीघा जमीन राजाओं के कब्जे में रहे या राजाओं की २० हजार बीघा जमीन वहां के किसानों को बांट दी जाय। मैं स्पष्ट बात कहता हूं कि राजाओं के पास इतनी जमीन नहीं रह सकती, उनको वह जमीन बांटनी चाहिये....

श्री श्योपतसिंह : आप मालिक नही हैं........

श्री भैरोंसिंह : २० हजार बीघा जमीन पुरानी है उसको जागीरदार अपने कब्जे में रखते हैं वे तो गद्दार हैं और ४४ करोड़ हिन्दुस्तानियों की स्वतंत्रता का अपहरण करने वाले कम्युनिस्ट पार्टी में रहते हैं तो वे गद्दार नहीं हैं ?

(शेम शेम—कोलाहल, व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : Order please !

श्री भैरोंसिंह : आज के कम्युनिस्ट बार बार गरीबों की दुहाई देते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : I will request the Hon'ble Member to come to the point.

श्री भैरोंसिंह : This has not been the practice with the previous speaker, Sir.

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना): चलने दीजिये। जवाब तो मिलना ही चाहिये।

श्री मुरलीधर व्यास : निर्णय तो होना चाहिये कि गद्दार कौन है।

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! Let the Hon'ble Member in possession of the House speak.

(अनेक माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे— व्यवधान, शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : Order ! Order please !!

श्री सतीशकुमार शर्मा (बानसूर) : गद्दार के बारे में फैसला दे दीजिये, फिर रिलेवेन्ट पोइन्ट पर आ जायेंगे।

श्री मुरलीधर व्यास : गद्दार का फैसला होना चाहिये। गृह-मन्त्रीजी अभी वहां नहीं हैं, नहीं तो वे बता सकते कि गद्दारी के कारण जेलों में किनको रखा है।

श्री भैरोंसिंह : इस बात की भी चर्चा करते हैं कि यह विधेयक समाजवाद के सिद्धान्त के विपरीत है और वे इसलिये कहते हैं कि जिन लोगों के पास आज पूंजी है वह पूंजी चाहे राज्य उनके पास था इसलिये रही हो, चाहे वह पूंजी प्रिवी पर्सेज के कारण उनको मिली हो, ऐसी स्थिति में हम उनको और अधिक धन देने की चेष्टा नहीं करना चाहते। कम्पेन्सेशन के रूप में हो वह, चाहे उनके साथ किसी प्रकार की रियायत के रूप में हो, उनके कारण समाजवादी व्यवस्था के ऊपर कुठाराघात होगा। यह मैं ठीक समझता हूं कि यदि समाजवाद इस राज्य में पनप सकेगा जिसकी चेष्टा अब तक की गई; पर सफल नहीं हुई। यदि समाजवादी समाज का विचार किया जाय तो निश्चित रूप से इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि हम किसी रूप में जिन लोगों के पास पूंजी है उन लोगों की पूंजी में किसी प्रकार की वृद्धि हो और वह भी वृद्धि अपनी मेहनत से नहीं, बल्कि दूसरों की मेहनत के आधार पर हो तो यह नहीं हो सकता, संभव भी नहीं है। लेकिन कई बार मुझे ताज्जुब होता है जब हम गरीबों की चिंता करते हैं, गरीबी का उल्लेख करते हैं कि समाज में ज्यादातर लोग गरीब हैं। उसका जब उल्लेख करते हैं तो मैं माननीय मित्रों से पूछना चाहता हूं कि अपन विधान सभा में बैठे हैं, २५०) रु० माहवार तनख्वाह और १५) रु० रोज भत्ता लेते हैं? आज हिन्दुस्तान में करोड़ों ऐसे हैं जिनको २५०) रु० माहवार तनख्वाह और १५) रु० रोज अलाउन्स नहीं मिलता, जिनको खाने को रोटी नहीं मिलती, जिनको पहिनने को कपड़ा नहीं मिलता इस विधान सभा में बैठने वाले माननीय सदस्य, जिनमें कम्युनिस्ट भी हैं, वे खुद विचार करें कि २५०) रु० वेतन और १५) रु० भत्ता लेना समाजवाद की पूर्ति करता है या नहीं? जहां हिन्दुस्तान की करोड़ों जनता भूख से तड़प रही है।....

(अनेक माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने से शोरगुल—व्यवधान)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) आओ, आज सब मिल कर २५०) रु० छोड़ें। मैं आह्वान करता हूं, सब छोड़ें.......

श्री उपाध्यक्ष : Hon'ble member, there is no motion for leaving the claims.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : ठाकुर श्योपतसिंह छोड़ सकते हैं जिनके पास २० मुरब्बा जमीन है। हमारे पास तो २० मुरब्बा जमीन नहीं है, कैसे छोड़ें ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह नगर) : आप वकालत करते हैं, दूसरों की जेब काटते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जेब काटने वालों की भी वकालत करनी पड़ती है।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यह बात केवल उनको इसलिये कही है कि हमारे समाज में....

श्री हरिराम चौहान : आपके उपदेश की जरूरत नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह : मैं आपको उपदेश नहीं दे रहा हूं। प्रश्न इसलिये उपस्थित किया था कि गरीबों की चर्चा यहां पर ज्यादा की गई थी। हिन्दुस्तान की करोड़ों जनता गरीब है, इस तरह का उल्लेख भाषण में आया था, ऐसी स्थिति में बाकी सब सदस्यों को उन्होंने समाजवाद का विरोधी बताया और समाजवाद का विरोधी बताकर यह चाहा था कि स्वयं समाजवादी हैं, गरीब-अमीर का भेद मिटाने वाले हैं, इसको सिद्ध करने की चेष्टा की गई थी, इसलिये मैंने कहा था कि हिन्दुस्तान में २५०) रु० माहवार पाने वाले बहुत कम हैं; इसलिए २५०) रु० से कम पाने वाले, सड़कों पर रहने वाले, एक समय रोटी खाने वाले जो लोग हैं और उनका साथ देने वाले, स्वयं को समाजवादी कहने वाले और गरीबों का हित-चिन्तक बताते हैं उनको अपने पर सबसे पहले यह सिद्धान्त लागू करना चाहिये कि हम २५०) रु० माहवार तनख्वाह और १५) रु० रोज भत्ता नहीं लेंगे और हिन्दुस्तान में जिनको एक टाइम रोटी मिलती है उनके साथ रहेंगे....

(शोरगुल, कोलाहल)

श्री श्योपतसिंह : हमारे पास अगर २० मुरब्बा जमीन हो तो ले लीजिये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यहां आपके साथ ही श्री हरिराम बैठे हैं वे सिर पर पोटली रख कर फेरी लगाते हैं और आपको इस बात का भान तक नहीं है कि वे फेरी क्यों लगाते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : Order ! Order please !!

(व्यवधान)

Order please ! Please Continue.

श्री भैरोंसिंह : हनुमानगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है कि उनका मुरब्बा ले लीजिये ।

(७. म. प.)

श्री उपाध्यक्ष : Order ! O r d e r please !!

(अनेक माननीय सदस्य एक साथ बोलते रहे)

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, रायसिहनगर से आने वाले माननीय सदस्य ने एक बहुत बड़ी बात कही है, एक बहुत उचित बात कही है और उसको सरकार ने स्वीकार नहीं किया । इसके लिये मुझे इस सरकार पर गुस्सा है और यह गुस्सा इसलिये आता है कि मेरे साम्यवादी मित्र जो रायसिहनगर से आये हैं वे कहते हैं कि जो हनुमानगढ़ से आने वाले हैं वे कहते है कि मेरे मुरब्बे सरकार ले ले, पर सरकार नहीं लेती । मैं समझता हूं कि ऐसी निकम्मी सरकार और कौन होगी कि एक तरफ मेरे साम्यवादी मित्र त्याग कर रहे हैं और दूसरी तरफ सरकार उनके मुरब्बे नहीं लेती ।

श्री श्योपतसिंह : जो पार्टी साम्यवाद में, समाजवाद में विश्वास नहीं रखती वह यह कहने का क्या हक रखती है ?

(कोलाहल के कारण अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : Order ! Order please !!

श्री भैरोंसिंह : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज देश के अन्दर भूमिहीनों की संख्या कम नहीं है । ऐसे काश्तकारों की संख्या कम नहीं है, जिनके पास एक बीघा जमीन भी नहीं है । मैं सरकार से अपील करना चाहता हूं कि हनुमानगढ़ से आने वाले मेरे साम्यवादी सदस्य खड़े होकर घोषणा करेंगे कि उनकी १७ मुरब्बा जमीन लेली जावे और सरकार उसे ले ले ।

(शोरगुल एवं कोलाहल के कारण अश्रव्य)

श्री श्योपतसिंह : यह आपका झूठा इल्जाम है । हम स्वीकार करते हैं कानून को । कानून से यह खत्म होगा । बातों से खत्म नहीं होगा ।

श्री भैरोंसिंह : बिलकुल सही है ।

(पुनः कोलाहल के कारण अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : Order ! Order please !!

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इससे आप नहीं छूट सकेंगे ।

(अश्रव्य-व्यवधान)

श्री मुरलीधर व्यास : वैसे जमीन कोई छोड़ना नहीं चाहता ।

श्री उपाध्यक्ष : Order ! Order please !!

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय,....

श्री चन्दनमल वेद (उप-मंत्री, वित्त) : मुरब्बे का क्या हुआ ?

श्री श्योपतसिंह : कानून बनाओ ।

श्री मथुरादास माथुर (गृह मंत्री) : अगर वे अपने मुरब्बे देने को तैयार हैं, सरेन्डर करते हैं, तो सरकार वह सरेन्डर स्वीकार करने को तैयार है; पर कोई मुरब्बे देने वाला नहीं है ऐसे ।

(पुन: शोरगुल के कारण अश्रव्य)

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय गृह मन्त्रीजी का धन्यवाद करूंगा कि सरकारी प्रवक्ता के नाते....

श्री मुक्तिलाल मोदी (कोटपूतली) : उपाध्यक्ष महोदय, आप "ऑर्डर ऑर्डर" करते हैं पर ऑर्डर कोई मानता नहीं। आपके ऑर्डर का पूरा पालन होना चाहिये। हो-हल्ला करते हैं। आपके ऑर्डर को कोई नहीं मानता।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान के गृह-मन्त्री जी का बहुत बड़ा आभारी हूं कि उन्होंने सरकारी प्रवक्ता के नाते इस बात को स्वीकार किया है कि यदि हनुमानगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य उनके अपने मुरब्बे सरकार के नाम पर सरेन्डर करते हैं तो वे लेने को तैयार हैं....

श्री श्योपतसिंह (हनुमानगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरेन्डर करने को तैयार हूं अगर जनसंघ इस बात में विश्वास प्रकट कर दे साम्यवाद में तो।

(शोरगुल के कारण अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : Order! Order please !!

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : 'अगर मगर' का सवाल कुछ नहीं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : 'अगर-मगर' की बात मगर-मच्छ करते हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : अगर विनोबा जी को वे दें तो भी ले लिया जावे।

(शोरगुल)

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : अच्छी शुरुआत है।

श्री उपाध्यक्ष : No interruptions please !

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, खैर ! इस दान वृत्ति को, साम्यवाद और समाजवाद के नाम पर त्याग करने की वृत्ति को, मैं ऐसा समझ कर चलूंगा कि वह माननीय सदस्य का केवल भाषण देने का काम था। भाषण काफी लम्बा-चौड़ा हो गया। यह सदन यह महसूस करने लगा होगा कि भाषण में साम्यवाद क्या है और यदि उसको कार्य रूप में परिणत किया जावे तो साम्यवाद क्या है, यह पता सबको लग गया होगा। इसमें किसी प्रकार का सन्देह नहीं है।

तो मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं कि आज कोई यह कहे कि राजाओं की तो प्रिवी-पर्सेज ले ली जानी चाहिये, चाहे उसके बारे में किसी प्रकार का कमिटमेन्ट किया गया हो, चाहे किसी प्रकार की उस कमिटमेन्ट के प्रति सेन्क्टिटी न रखी जाती हो ? यदि उनकी आवश्यकता है राष्ट्रहित में तो ले लिया जावे।

श्री श्योपतसिंह : हम खिलाफत नहीं करते हैं, स्वागत करते हैं सीलिंग का।

श्री उपाध्यक्ष : Order! Order please !!

श्री भैरोंसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय मैं केवल इतना सा कहना चाहता हूं कि

(श्री भैरोंसिंह)

भाषण के अन्दर इस बात का काफी जिक्र किया गया है कि राजा-महाराजाओं ने इनवेलिड ट्रान्सफर कर दिये होंगे। राजा महाराजाओं ने अपने बच्चों को, जो उनके निकट थे, अपने उन भाइयों को जमीनें दे दी होंगी। सारे ट्रान्सफर्स इनवेलिड होंगे और उनको इनवेलिड करार दिये जाने के लिये कोई व्यवस्था नहीं है इस विधेयक में तो। इसका मतलब यह है कि यह विधेयक राजा-महाराजाओं की साठगांठ से पेश किया गया है। यह सोलह आना सही बात है और जो सीलिंग की दुहाई देकर बात कहते हैं तो मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि सीलिंग का कानून बनाने के पहले उनके मुरब्बे कितने आदमियों के नाम थे और बाद में कितनों के नाम थे ?

(शोरगुल एवं व्यवधान के कारण अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : Order ! Order please !!

श्री भैरोंसिंह : सीलिंग का कानून मैं भी जानता हूं, अध्ययन भी किया है उसका मैंने।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : व्यवस्था का सवाल है, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री भैरोंसिंह : सीलिंग का कानून इस सदन ने बनाया है। जिस समय यह बना था तो यह सन्देह भी व्यक्त किया गया था कि यदि कानून में खामी रह गई तो उसका लोग नाजायज फायदा उठावेंगे। वह नाजायज फायदा नहीं उठा सकें, इसकी हमने उसमें व्यवस्था भी की। पर इसके बावजूद कई लोगों ने वह नाजायज फायदा उठाया और खासतौर से उन लोगों ने जिनके पास पैसे थे, जिनके पास मुरब्बों की ताकत थी, जिनके पास मुरब्बों से गरीबों के शोषण से कमाया हुआ धन था।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : Shame ! Shame !!

श्री भैरोंसिंह : आज इस प्रकार के लोग गरीब किसानों में नहीं मिलते पर उनमें मिलते हैं जो लम्बे भाषण करते हैं यहां सदन में। यह मत पूछो, उन्होंने फावड़े कितनी बार चलाये हैं, पसीना कितनी बार आया है....

श्री उपाध्यक्ष : Order ! Order please !!

श्री चन्दनमल वैद : अभी भी आ रहा है।

श्री भैरोंसिंह : उन्होंने फावड़े नहीं चलाये हैं, पसीना नहीं बहाया, और लोगों ने खेती की, खेती का अनाज भी अपने कंधों पर स्वयं ने लाकर घर में नहीं रक्खा; पर स्वयं ने अगर कोई काम किया है तो यह किया है कि गरीबों का शोषण किस तरह से किया जाय। उनका शोषण करके, उनके श्रम की कमाई उन्होंने ली है। उन्होंने कोशिश की है गरीबों का शोषण करने की, उनके श्रम की पूंजी से अपनी जेबें भरने की और अपने खजाने भरने की। आज वे साम्यवादी होने का दावा करते हैं। इस सदन में गरीब किसान भी है आदिवासी भी हैं, हरिजन भी हैं, जागीरदार भी हैं, बाकी की कम्युनिटीज के हैं,

(श्री भैरोंसिंह)

वे यह दावा करके चलें कि गरीबों की तुलना में कितनी सम्पत्ति रखी जावे, बाकी को समाज के नाम पर सरेन्डर किया जावे।

श्री श्योपतसिंह : इस बात को आपकी पार्टी नहीं कर रही है, हमारी पार्टी स्वीकार कर रही है। जनसंघ नहीं मानता।

श्री भैरोंसिंह : आप तो दे दीजिये मथुरादासजी माथुर को।

श्री श्योपतसिंह : आप साम्यवाद मंजूर करें।

श्री भैरोंसिंह : मैं क्या मन्जूर करूं ? आपने मन्जूर किया, आप दे दें।

श्री उपाध्यक्ष : Hon'ble Members should not discuss personal affairs. They should address the Chair.

Please continue.

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, किसी का मैंने नाम नहीं लिया। अब किसी को दर्द है तो वे बतावें।

माननीय सदस्य ने कहा कि सरकार को मजबूर किया जाय कि मुरब्बे ले लिये जायं। मैं कहता हूं कि सरकार को मजबूर करने की जरूरत नहीं है, सरकार तो तैयार बैठी है; आप चाहें तो मैं राजस्थान के मुख्य मन्त्री को गंगानगर ले चलूं, आप चाहें तो मुख्य मन्त्री जी को हनुमानगढ़ ले चलूं, लेकिन उसके पहले आप वायदा करें कि आप जिन लोगों के मुरब्बों पर कब्जा कर रखा है उनको मुख्य मंत्री जी को भेंट करना है। वह वायदा........

श्री श्योपतसिंह : यह गलत प्रचार है।

श्री भैरोंसिंह : मैं मानता हूं। यह भी मानता हूं कि आपके इस प्रचार में नहीं आना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! माननीय सदस्य, जो बात जनरल कही जाय उसको पर्टीक्यूलर क्यों लिया जाय ?

श्री भैरोंसिंह : मैं हनुमानगढ़ की बात कह रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : जो जनरल बात कही जाती है उसको अपने ऊपर क्यों लिया जाय ?

श्री चन्दमल वैद : बात को ज्यादा स्ट्रेसन किया जाय, कहीं हार्ट फैल न हो जाय।

श्री नत्थीलाल (नदबई) : उपाध्यक्ष महोदय, इनके पास एक ही चश्मा है।

श्री उपाध्यक्ष : Please continue.

श्री भैरोंसिंह : मुझे इस बात का तो खेद है कि इस सदन में हमारे जो साम्यवादी मित्र बैठे हैं उनको मेरी बात बुरी लगी है, लगनी भी चाहिए, स्वाभाविक है....

श्री श्योपतसिंह : आप झूठी बातें कहते हैं।

श्री भैरोंसिंह : आप मुझे बता दीजिये कि झूठी बात कौनसी है ?

श्री श्योपतसिंह : सारी बातें झूठी हैं।

श्री भैरोंसिंह : एक बात बता दोजिये ?

श्री उपाध्यक्ष : Order please !

श्री श्योपतसिंह : आप अपनी पार्टी के सिद्धान्तों में विश्वास नहीं करते हैं।

श्री भैरोंसिंह : पार्टी की बात छोड़ दें।

श्री उपाध्यक्ष : No conversation please.

श्री भैरोंसिंह : मैं आपकी मार्फत हनुमानगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य से पूछना चाहता हूं कि कौनसो बात झूठी ,है ? आपने रायसिंहनगर से आने वाले माननीय सदस्य को नहीं कहा कि मैं मुरब्बे देने को तैयार हूं, क्या यह झूठ है ?

श्री श्योपतसिंह : इसका जवाब में दूंगा।

श्री भैरोंसिंह : आप जवाब देंगे तो मैं शांति से सुनूंगा आपकी तरह बौराऊंगा नहीं। आप जितना इन्टरप्ट कर रहे हैं उतना नहीं करूंगा।

श्री श्योपतसिंह : आपकी इस झूठ का पर्दाफाश करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : Order ! Order please !!

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल के सम्बन्ध में कई प्रकार की बातें आई हैं। पहला यह प्रश्न पैदा हुआ कि इसका लगान सन् १६५० से वसूल किया जाय या लगान इस समय से वसूल किया जाय।

श्री श्योपतसिंह : आपको क्या तकलीफ है ?

श्री भैरोंसिंह : मुझे जो तकलीफ है वह मैं अब बताऊंगा।

श्री श्योपतसिंह : आपको उनके वोट मिले हैं।

श्री. भैरोंसिंह : वोट मिले हैं या नहीं, लेकिन मेरी तकलीफ अब सुनें।

इन्होंने कहा कि १६५० से लगान लिया जाना बिल्कुल सही है, १६५० से लगान लिया जाना चाहिए। इनकी बात की यदि ताईद कर दी जाय और उस ताईद के आधार के ऊपर यदि कोई यह कानून बनावें कि जिनके पास मुरब्बे थे, उनकी आज तक, सरेन्डर तक इन्कम–दस वर्ष की वह वसूल कर लें तो वे कहां बचेंगे ? वे बचने वाले नहीं हैं। ऐसी हालत में...

श्री हरिराम चौहान : चूड़ियां पहिन रखी हैं क्या ?

श्री भैरोंसिंह : आपके हाथ में चूड़ियां नहीं हैं। कोई जमीन लेने चला गया तो आप उससे संघर्ष करेंगे, यह निश्चित बात है। यही मैं कहना चाहूंगा कि सीलिंग के कानून के तहत जमीन ली गई तो आपने चूड़ियां नहीं पहिन रखी हैं....

श्री श्योपतसिंह : आप समर्थन तो करें इसके कानून का।

श्री भैरोंसिंह : लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपकी सरकार की

Page No.98

(श्री भैरोंसिंह)

सेक्न्टिटी के ऊपर विश्वास करना चाहिए। मुझे....

श्री श्योपतसिंह : चीन से जमीन लें।

श्री भैरोंसिंह : चीन से जमीन लेने की बात मैं नहीं कहता। चीन ने २३ हजार स्कायर मील पर कब्जा कर लिया है उसको कम्युनिस्ट लेने की बात नहीं करते, लेकिन राजाओं ने २० हजार बीघा जमीन पर कब्जा किया है तो उछल-उछल कर भाषण करते हैं। हिन्दुस्तान की २३ हजार स्क्वायर मील पर चीन ने कब्जा कर लिया है....

श्री श्योपतसिंह : झूठ बोलते हैं।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : उपाध्यक्ष महोदय....

श्री श्योपतसिंह : माननीय उपाध्यक्ष, ये जनसंघ के नेता झूठ बोलते हैं।

श्री जोधसिंह (गिरवां) : गद्दार बोल रहे हैं, विद्रोही बोल रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, ये शब्द एक्सपेंज किये जायं।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में इस प्रकार के वाकये के लिए भी कोई चैलेंज करता है कि देश की सीमाओं पर गद्दारों ने हमला किया है, देश की लाखों बीघा जमीन पर, लाखों मील जमीन पर नाजायज कब्जा किया है चीन ने; तो इस बात को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।

श्री उपाध्यक्ष : This is out of question altogether.

श्री जोधसिंह : गद्दार हैं।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : गद्दारों को गद्दार कहा जायगा।

श्री हरिराम चौहान : सब गला फाड़ फाड़ कर कहो।

श्री भैरोंसिंह : इस सदन के माननीय सदस्यों को इस बात की जानकारी नहीं है कि बीस हजार बीघा जमीन और २३ हजार स्कायर मील में कितना अन्तर है....

श्री हरिराम चौहान : भारत-चीन सीमा विवाद डिस्कस नहीं हो रहा है, उस पर बहस नहीं हो रही है।

श्री उपाध्यक्ष : Order! Order please !!

श्री हरिराम चौहान : इस पर भी बहस कर लें, हम उसके लिये भी तैयार हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : चीन के नाम से चिढ़ते क्यों हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : मैं निवेदन करूंगा कि जिनके पजेशन में हाउस है उनको बोलने दें। वे कोई अभद्रता करते हैं अथवा किसी प्रकार की बात करते हैं तो बात अलग है। लेकिन अगर जनरल बात कर रहे हैं तो उसको आपको सुनने की क्षमता होनी चाहिए। जब आपका अवसर आये...

श्री श्योपतसिंह् : झूठी बात का हम भंडाफोड़ कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : जिस समय आपको समय मिले उस समय करें।

श्री सतीशकुमार शर्मा (बानसूर) : उपाध्यक्ष महोदय, और सब पार्टी को समय मिला है लेकिन इन्डिपेन्डेन्ट्स को समय नहीं मिला है; उनको भी समय मिलना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : It only depends upon the Hon'ble Members. They should limit their time and give time to others.

श्री सतीशकुमार शर्मा : यह कोई नहीं दे रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : I hope Hon'ble Members will...

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : उपाध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का सवाल है। यह सदन जिस तरह से बैठा है और इस सदन के अन्दर इस कठोर तथ्य को आज की संकटकालीन स्थिति में भी जो माननीय सदस्य चैलेंज करने की जुर्रत करते हैं और इस बात को कहते हैं कि चीन ने हमारी मातृभूमि के ऊपर हमला नहीं किया है तो इस प्रकार की गलत बात को सहन नहीं किया जाना चाहिए और इस प्रकार के उनके जो नकाब हैं उनको आप गिरा दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपकी भावनाओं का आदर करता हूं। लेकिन यह विषयान्तर है। आप प्रारम्भ रखें।

श्री भैरोंसिंह् : उपाध्यक्ष महोदय,....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का सवाल है। अभी एक सम्मानीय सदस्य सब मेम्बरों के आगे से कागज लेकर आये हैं, उनको पीछे से आना चाहिए। यह सुव्यवस्था करने का सवाल है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैंने फ्लोर क्रोस नहीं किया है।

श्री उपाध्यक्ष : कोई बात नहीं, आयन्दा से ख्याल रखें। आप प्रारम्भ रखें।

श्री भैरोंसिंह् : उपाध्यक्ष महोदय, यदि मेरे साम्यवादी मित्रों को चीन और चाऊ-एन-लाई से चिढ़ है...

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : प्रेम है।

श्री भैरोंसिंह् : नाम लेने से चिढ़ है, वैसे अन्तरंग प्रेम है। नाम लेने से चिढ़ है तो उसका मैं जिक्र नहीं करता...

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपकी इच्छाओं के बाबजूद रहेगा।

श्री भैरोंसिंह् : हाँ, यह बिल्कुल सही है। मेरे मित्र कहते हैं, आपकी इच्छाओं के बावजूद वे चाऊ-एन-लाई से प्रेम रखेंगे।....

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : बड़ी शर्म की बात है।

श्री भैरोंसिंह् : लेकिन आप यह मान कर चलें कि हिन्दुस्तान की ४४ करोड़ जनता

(श्री भैरोंसिंह)

चीन और चाऊ-एन-लाई से जो प्रेम करेंगे उनको तहस-नहस कर देगी....

(शोरगुल एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : Order please !

श्री भैरोंसिंह : चाऊ-एन-लाई के आशिक बनते हैं....

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! There is nothing to be annoyed.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अमेरिका के माशूक बनते हैं तो कोई चीन के आशिक बनते हैं।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने स्वीकार किया है। ये चीन के एजेन्ट हैं, गद्दार हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह स्वीकार किया है कि ये अमेरिका के माशूक हैं।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह मेरे लिए कठिन प्रश्न है कि मैं सदन को बताऊं कि चाऊ-एन-लाई और कम्युनिस्टों में–इन दोनों में–कौन माशूक है और कौन आशिक है। यह तो वे स्वयं बता दें। और मैं समझता हूं कि यह बड़ा भला होगा कि सदन को समझा दें कि कौन आशिक है और कौन माशूक है....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : हमारे से कोई चीज आपकी छिपी हुई नहीं है....

श्री उपाध्यक्ष : यह डिबेट से सम्बन्धित नहीं है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इनकी पार्टी अमेरिका के साथ है, यह हमें मालूम है और यह किसी से छिपा हुआ नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, न तो यह इस विधेयक से सम्बन्धित है–मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि इस विधेयक से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। इस विधेयक का सम्बन्ध है राजा–महाराजाओं की जमीन से है। राजा-महाराजाओं की जमीन ली जाय या नही, इसको लिया जाय तो कम्पेन्सेशन दिया जाय या नहीं और कम्पेन्सेशन दिया जाय तो कब से दिया जाय। मगर साम्यवादी मित्रों ने इस प्रकार का सब्जेक्ट इन्ट्रोड्यूस कर दिया गद्दारी के नाम पर तो आखिर इस सदन के सभी माननीय सदस्यों का कर्त्तव्य हो जाता है कि कम से कम मैं बताऊं कि गद्दार कौन है....

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : सही बात है।

श्री भैरोंसिं : गद्दारी की परिभाषा में यह आता है कि चीन और चाऊ-एन-लाई से कम्युनिस्टों का क्या रिश्ता है ? वह रिश्ता कोई कागजों में देखने से नहीं मिलेगा, वह बातों से नही मिलेगा या कोई डॉक्युमेंट में नहीं मिलेगा, न किसी ज्योतिषी ने इनकी शादी कराई है। वह रिश्ता इस बात से मिलेगा कि हिन्दुस्तान की सीमा पर जब चीन ने आक्रमण किया था, २० अक्टूबर को आक्रमण किया था तो सारे हिन्दुस्तान की ४४ करोड़ जनता आक्रमणकारियों का मुकाबला

(श्री भैरोंसिंह)

करने के लिए तैयार हो गई, लेकिन कम्युनिस्ट एक नवम्बर तक मौन रहे। उस समय इनके कानों में तेल पड़ गया था, दिमाग खराब हो गया था जो इतने दिनों तक कम्युनिस्ट पार्टी मौन रही और चीन को हमारी स्वतन्त्रता के ऊपर हमला करने वाला हमलावर नहीं कह सकी। कहने लगे कि बोर्डर डिस्प्यूट है, जैसे कोई तोता-मैना की लड़ाई हो। यह लड़ाई मामूली है और यह चीन ने जो एग्रेशन किया है, हिन्दुस्तान की स्वतंत्रता के ऊपर, सीमाओं पर रहने वाले आपके दोस्त ने हमला किया है उसको आप हमलावर नहीं बताते, उसको आप तोता-मैना की लड़ाई बताते हैं और आज कहते हैं कि हम साहूकार हैं, हम ईमानदार हैं, यह समझ में नहीं आता।

श्री श्योपतसिंह : यह लोगों की समझ में नहीं आयेगा।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : लोगों की समझ में आ गया है।

श्री श्योपतसिंह : मौका आयेगा तब समझ में आयेगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अमेरिका को भारत में सेट करने वालों की समझ में आने वाला नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, कल प्रदर्शन हुआ है। उस प्रदर्शन की बात को लेकर बहुत लम्बी-चौड़ी बातें कही गई हैं। यह कहा गया कि यह जो प्रदर्शन आया वह राजा-महाराजाओं की जमीन रखने के लिए आ रहा था। मैं उनकी बात की भी ताईद करता हूं। कुछ देर के लिए यह मान कर चलें कि वह राजा-महाराजाओं की जमीन छीनी नहीं जाय, उसकी ताईद करने के लिए जुलूस निकाला था। लेकिन हमारे इन दोस्तों को यह भी याद होना चाहिए कि उस स्वतन्त्र पार्टी ने, जब चीन का हमला हुआ था, तो उसके विरोध में भी जुलूस निकाला था। आपने कोई निकाला ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं चैलेंज करता हूं कि आपसे दस गुना ज्यादा जुलूस हमने निकाला, आपसे दस गुना ज्यादा चन्दा हमने लोगों से वसूल किया।

(शोरगुल)

जब महारानी कह रही थीं....

श्री उपाध्यक्ष : Order please !

श्री मानसिंह महार (अजमेर) : राजस्थान के गृहमन्त्री....

श्री उपाध्यक्ष : Order ! Order please !!

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं प्रार्थना करूंगा कि जो सदस्य आपस में, बीच में ही बात करते हैं, इससे सदन का कार्य सुचारु रूप से चल नहीं सकता। आपकी इजाजत से बोला जाय, आपकी मार्फत बोला जाय; इससे शांति रहेगी।

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से यही निवेदन कर रहा हूं कि वे केवल चेयर

(श्री उपाध्यक्ष)

को एड्रेस करें। किसी जगह रिफ्यूट करना हो तो वह बात अलग है, लेकिन कोई भाषण चल रहा हो तो उस बीच में अपना वादविवाद नहीं शुरू करें ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं अर्ज करना चाहता हूं कि ६ बज कर ५ मिनट पर यह भाषण शुरू हुआ और अब ७ बज कर २० मिनट हो चुके हैं।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : यह चेअर का काम है।

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! The Chair is on its legs. Order please !! यदि आप समय पर सीमा लगाना चाहते हैं तो उसमें इन्टरप्शन्स कम होंगे, तो सभी पर सीमा लगाई जायगी। इसलिए मैं माननीय सदस्यों का सहयोग चाहूंगा कि जिस सम्बन्ध का विवाद छेड़ा जाय उनको अपनी बात कहने दें और इसके पश्चात् जो कुछ कहना हो वह कहिए। अब माननीय सदस्य प्रारंभ करें।

श्री श्योपतसिंह : अगर हमको इस बात का मौका दिया जाय कि हमारी पार्टी पर जो आक्षेप लगा रहे हैं उनका जवाब दे दें तो हम इन्टरप्ट नहीं करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : I hope that will ao.

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : व्यवस्था का सवाल है अभी-अभी माननीय सदस्य ने चेअर को एड्रेस करते हुए इस बात की धमकी दी है कि यदि हमें टाइम मिलेगा तो इन्टरप्ट नहीं करेंगे, वर्ना इन्टरप्ट करेंगे। इसके माने यह हैं कि सदन के अन्दर इस तरह की वह परम्परा उपाध्यक्ष महोदय से जबर्दस्ती कायम कराना चाहते हैं कि अगर उनको टाइम नहीं मिला तो वे इन्टरप्शन्स जरूर करेंगे। इस तरह की बात नहीं चलनी चाहिए। यह सदन का अपमान है। उनको बाध्य किया जाय, गलत शब्दों को वापिस लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य का यह आशय नहीं होगा। मैं निवेदन कर रहा था....

श्री भैरोंसिंह: उपाध्यक्ष महोदय, जुलूस के प्रश्न पर बात खत्म हुई, उससे सम्बन्धित एक बात और भी....

श्री उपाध्यक्ष : Is the speech going to be a little lengthy ?

श्री भैरोंसिंह : मुझे जो बात कहनी थी उसके लिए तो दस मिनट भी काफी थे, लेकिन इनकी इन्टरप्शन्स मेरा समय ले लेती है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : श्री रामानन्द ने १॥ घंटा बोला था।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, कल के जुलूस के अन्दर स्वतन्त्र पार्टी का जो झंडा था उसका भी उल्लेख आया। मैं उस झंडे की वकालत नहीं करता कि वह झंडा अच्छा है या बुरा है। वह एक पार्टी का झंडा है। आपकी पार्टी का भी एक लाल झंडा है जिसमें हंसिया और हथोड़ा है। आप भी उस

(श्री भैरोंसिंह)

झंडे के नीचे, सरकार के खिलाफ दुनिया को दिखाने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन आपको पता है कि आप जैसा झंडा चीन सरकार का है........

(शोरगुल)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपको मालूम नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : आप बताइये किसका है ?

श्री श्योपतसिंह : आपको क्या तकलीफ है ?

श्री भैरोंसिंह : मुझे तो तकलीफ केवल एक है कि हिन्दुस्तान की आजादी को बचाने के लिए हिन्दुस्तान की फौजें जिस तिरंगे झंडे को लेकर हिमालय पहाड़ों पर अपने जीवन का बलिदान देने गई उनका मुकाबला उस हंसिये और हथोड़े के लाल झंडे वाली कम्युनिस्ट सरकार....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : महात्मा गांधी को गोली मारने वाले....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : Order please !

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारे महात्मा गांधी की दुहाई देते हैं। अगर ये इन्टरप्शन्स करेंगे तो जवाब देना ही पड़ेगा; मैं बहुत संक्षेप में दे रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : Yes, please continue.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : माननीय सदस्य को वकालत करने के लिए जो काम महारानी ने इन्हें दिया है उसको वे पूरी तरह से अदा कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : Order ! Order please !!

श्री भैरोंसिंह : मुझे केवल दो प्रश्नों का उत्तर देना है। एक प्रश्न यह है कि मैंने महारानी का आंचल पकड़ा, क्योंकि....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इसमें क्या संदेह है ?

श्री भैरोंसिंह : मैं हां भर रहा हूं। मैंने उस महारानी का आंचल पकड़ा जिसको हिन्दुस्तान में लोकसभा की सीट के लिए सबसे अधिक वोट मिले, मैंने महारानी का आंचल पकड़ा जो महारानी हिन्दुस्तान की नागरिक हैं और जिस महारानी ने हिन्दुस्तान की स्वतन्त्रता को बचाने के लिए अपना सब कुछ त्याग कर दिया है। मैंने चाऊ-एन-लाई का आंचल नहीं पकड़ा।

श्री श्योपतसिंह : हमको ज्यादा वोट मिले।

श्री मानसिंह महार : चीनी कुत्तों को चुप रखा जाय।

श्री उपाध्यक्ष : Order please !

श्री मानसिंह महार : महारानी गायत्री देवी सदन में नहीं हैं, उनका नाम आप लेते हैं, आपको शर्म आनी चाहिये।

Page No.104

श्री उपाध्यक्ष : Order ! Order please !!

श्री भैरोंसिंह : दूसरे प्रश्न का मुझे उत्तर देना है और वह है महात्मा गांधी के सम्बन्ध में, आपने कहा उसका। मुझे इस बात की खुशी है कि आप लोगों को महात्मा गांधी के प्रति प्रेम होने लगा। मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह संस्कार कहां से पैदा हुए ? इसकी तो सब की जानकारी माथुर साहब को है....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपके दिल में देशभक्ति कब से पैदा हुई ?

श्री भैरोंसिंह : मैं मेरे मित्र से पूछना चाहता हूं, जो रूस को अपना आका समझ कर चलते हैं, वे रूस के एनसाइक्लोपीडिया को उठा कर देखें तो आपको मालूम होगा कि महात्मा गांधी के लिये लिखा है कि वह एक शोषणकारी बनिया है। इसे तो आप निकलवाएं। यह कम्युनिस्ट पार्टी ने महात्मा गांधी के लिये लिखा है।

अनेक माननीय सदस्य : Shame ! Shame !!

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इन अमेरिका पर....

(अनेक माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे)

(शोरगुल एवं हल्ला-गुल्ला)

श्री उपाध्यक्ष : Order ! Order please !!

श्री मानसिंह महार : अमेरिका जैसे मित्र देश पर आक्षेप करना गलत बात है। अगर....

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : Order please !

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय; मेरे मित्र इस बात को गलत न समझें।

श्री उपाध्यक्ष : Please wind-up your speech.

आप जल्दी वाइन्ड-अप करें।

श्री भैरोंसिंह : मैं वाइन्ड-अप क्या करूं ? मुझे डिस्टर्ब बहुत किया जा रहा है। कोई मुझे महात्मा गांधी के पास ले गये, कोई....

श्री श्योपतसिंह : हमें इनका भाषण नहीं सुनना चाहिये। जो महात्मा गांधी के हत्यारे हैं उनकी शिक्षा नहीं मानेंगे।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी है कि मेरे भाषण का जवाब देते देते मेरे मित्र करूणास्वर हो गये और उनका गला बैठ गया ।

(शोरगुल)

एक माननीय सदस्य : यह तो आपकी योजना है।

श्री भैरोंसिंह: आपको मालूम नहीं है

Page No.105

(श्री भैरोंसिंह)

आपकी जो योजना है....

(शोरगुल)

आपकी जो योजना है वह तो सब माथुर साहब को मालूम है। जिस दिन देखेंगे, पाली में जो हुआ....

श्री श्योपतसिंह : जेलों में आपको रख लेंगे।

श्री भैरोंसिंह : मैं यही तो कह रहा हूं कि आपको मालूम नहीं हो, लेकिन माथुर साहब को आपकी योजनाओं का मालूम है। आपको जेलों में रख देंगे।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपका वह दोस्त छूटा या नहीं, जरा इनको बता दें। शायद इनको भी वहीं रखना पड़े।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप महरबानी करके इस तरह का इन्टरप्ट न करें।

(सर्व श्री योगेन्द्रनाथ हांडा और मानसिंह महार एक साथ बोलने लगे और इसके साथ ही ...शोरगुल)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : चन्द्रमहल में बैठकर इस देश के खिलाफ साजिश कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : Order please !

श्री मानसिंह महार : मैं समझता हूं कि चन्द्रमहल का राज तो खुलेगा या नहीं, एक मित्र देश के दोस्ती की बात आई; लेकिन जब गवर्नमेंट होस्टल के अन्दर भारत के चीनी गद्दारों की दोस्ती का राज खुलेगा तब पता लगेगा। जब हमारे दुश्मनों का राज खुलेगा तो उन लोगों को जेलों में डाला जावेगा। जब हम पर आक्षेप लगाये जाते हैं तो हमें उसका उत्तर देने का मौका मिलना चाहिये। जब आप उनको रोक नहीं सकते तो हमें मौका देना होगा।

(शोरगुल)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इन अमेरिका के साथियों को ...

श्री मानसिंह महार : राजस्थान की सरकार को मजबूर किया जावेगा कि देश की सुरक्षा के लिये इन चीनी गद्दारों को जेलों में डाल दिया जावे।

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : Order please !

श्री मानसिंह महार : आज १७६ में से १७१ इनके खिलाफ हैं। केवल ये ५ हैं।

श्री उपाध्यक्ष : Order Please !
अब आप अपना भाषण जल्दी समाप्त करें।

श्री भैरोंसिंह : मैं बिल पर कितना बोल पाया हूं, यह आप देख लें। इन्टरप्शन बहुत हुए हैं, इसको भी देख लें।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप केवल बिल पर ही कहें ।

(शोरगुल)

श्री भैरोंसिंह : राजस्थान भूमि सुधार तथा भू-स्वामियों की भू-सम्पदा अवाप्ति विधेयक, १६६३ को सिलेक्ट कमेटी में भेजने के लिए हमारी पार्टी के प्रवक्ता ने इस सदन में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया ।

(व्यवधान)

मुझे फिर महात्मा गांधी की तरफ आना होगा ।

इसकी आलोचना थी कि वे इसको डिले करना चाहते हैं और इसलिये करना चाहते हैं राजा-महाराजाओं को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल जावे, डिले इसलिये करना चाहते हैं कि राजा-महाराजाओं की भू-सम्पत्ति सरकार छीने नहीं और इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है । हमारे समाजवादी और प्रजा-समाजवादी जो बोलने के लिए मजबूर हैं उन पर भी कम्युनिस्ट पार्टी ने लांछन लगाये कि वे भी राजा-महाराजाओं से मिल गये हैं, वे भी यह चाहते हैं कि राजा-महाराजाओं को इसके लिए कुछ समय दिया जावे । मुझे ऐसा लगता है कि इन कम्युनिस्ट मित्रों से पूछूं कि सन् १६५२ और ५७ के बीच में जो विधान सभा थी और राजस्थान टीनेन्सी एक्ट और दूसरे भूमि सुधार एक्ट पास हुए थे उस समय आपकी कम्युनिस्ट पार्टी के महा-मंत्री इस सदन के सदस्य थे । उस समय भी संशोधन पेश किया जा सकता था और लैण्ड रेवेन्यू एक्ट में उसको शामिल किया जा सकता था । तो क्या मैं यह कह सकता हूं कि उनके महामंत्री राजा-महाराजाओं के लिए यहां थे ? आप किसी पर शंका करें, उसके पहले आप अपनी तस्वीर कांच में देख लें, कांच में देखलें कि कहीं आपकी तस्वीर डरावनी तो नहीं है, कहीं आपकी तस्वीर भद्दी तो नहीं है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : राजा-महाराजाओं के साथ रहने वाले हैं ।

श्री भैरोंसिंह : उसके बाद आपको इल्जाम लगाना ठीक है । जिस कानून में जैसा कहते हैं कि इस कानून को आज से १३ वर्ष पहले लागू किया जाना चाहिए ? मैं यह कहूंगा कि जो खेतों की पोजिशन आज से १३ वर्ष पहले थी वही है और वे खेत वहीं के वहीं, हैं, वे कहीं गये नहीं हैं, उनको कोई खा नहीं गया है, वह भूमि वहीं की वहीं पड़ी है । इस भूमि के सम्बन्ध में कानून यदि कोई इस प्रकार का बन जावे कि इस कानून के द्वारा काश्त करने वाले काश्तकारों को लाभ हो जावे; उन्होंने कानून देखा कि वे किसकी बातें कहते हैं ? काश्तकारों को फायदा होना चाहिए, उसके लिये इसमें व्यवस्था नहीं है ।

एक माननीय सदस्य : है ।

श्री भैरोंसिंह : नहीं है, मैं बताऊं । जिसके कब्जे में यह जमीन है उसके कब्जे में किस तरह से यह जमीन रहेगी, उनको खातेदारी राइट कितना होगा, ये सब बातें सिलेक्ट कमेटी में पेश कर दी जावें । सिलेक्ट कमेटी के द्वारा राजा-महाराजाओं का हित होगा या किसानों का, यह

(श्री भैरोंसिंह)

आप देखें। सरकार वही है जो कानून लेकर आई है, मंत्री वही हैं जो कानून लेकर आये हैं। यदि कानून को जैसा कि जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, किसानों के हित के लिये बनाया जावे तो आपको इसमें आपत्ति क्यों हो ?

कौन से क्लॉज में माननीय श्योपतसिंह जी ने अमेंडमेंट दिया है ? हमने उनका अमेंडमेंट पढ़ा नहीं, हमें कहीं पता नहीं चलता कि उन्होंने मांग क्या की है। इसको सिलेक्ट कमेटी में किसलिये भेजा जा रहा है, यह समझाने की इन्होंने कोशिश नहीं की है।

श्री श्योपतसिंह: आपकी स्पष्ट नीति क्या है ?

श्री भैरोंसिंह : माननीय उपाध्यक्ष, जो नहीं समझता उसको बार बार कहने से कोई फायदा नहीं। यदि सिलेक्ट कमेटी में यह बिल इसलिये भेज दिया जाय जिसका समर्थन राजा-महाराजा खुद करते हैं कि इसको अच्छा बनाया जाय, इस पर गम्भीरता पूर्वक और विचार किया जाय, पर कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य कहें कि इसे सिलेक्ट कमेटी में नहीं भेजा जाय; सात गुना कम्पेन्सेशन दिलाना चाहते थे। माननीय श्योपतसिंहजी, जो इस सिलेक्ट कमेटी के मेम्बर थे, उन्होंने कोई नोट ऑफ डिसेन्ट नहीं दिया है, मुझे तो इनका नोट ऑफ डिसेन्ट कहीं पर भी नजर नहीं आता।

श्री श्योपतसिंह : सरकार ने हमारे पास कॉपी नहीं भेजी, इसलिये नहीं दे सका।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : आपको शर्म आनी चाहिये। आप बोल नहीं सकते इनको शर्म आनी चाहिये। ये सिलेक्ट कमेटी के मेम्बर थे, ये अब बोल नहीं सकते।

श्री उपाध्यक्ष : Order please !

श्री भैरोंसिंह : मुझे इस बात की खुशी है कि गल्ती करते वक्त हमारे साम्यवादी सदस्य अपने नेताओं का समर्थन दे देते हैं....

श्री श्योपतसिंह : हमारे पास कागज नहीं भेजे।

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! It is irrelevent.

श्री भैरोंसिंह : आपने विरोध क्यों नहीं किया ? राजस्थान भूमि सुधार तथा भू-स्वामियों की भू-सम्पदा अवाप्ति विधेयक प्रवर समिति के सुपुर्द किया गया। प्रवर समिति के सदस्यों की नामावली है, उसके १३ वें नम्बर पर श्री श्योपतसिंह आते हैं। अब श्री श्योपतसिंह यही हैं या और कोई हैं ? यही हैं तो इनसे मैं पूछना चाहता हूं कि आज जिस चीज की मांग करते हैं, जिस कानून को पास कराना चाहते हैं, यदि राजा-महाराजाओं के अब खिलाफ बोलने वाले कांग्रेस सरकार को इस मसले को लेकर गद्दार कहते हैं उस गद्दारी के इस सन्देश के ऊपर श्रीमान जी आपने भी हस्ताक्षर किये हैं, आप गद्दार हैं तो ये भी सब गद्दार हैं।

श्री श्योपतसिंह : हमारी पार्टी ने इसे सपोर्ट किया ....

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : शर्म की बात है।

Page No.108

श्री भैरोंसिंह : अलवर से आने वाले माननीय सदस्य चले गये। मुझे इस बात का खेद है कि उनको उस समय बड़ा दुख होगा जिस समय उनको इस बात की जानकारी मिलेगी कि उनके फोलोअर उनकी बात की ताईद नहीं करते। उनको दुख होगा, जब उन्हें जानकारी मिलेगी कि राजा–महाराजाओं को मुआवजा नहीं मिलना चाहिये, यह बात मैंने कही, जबकि उन्होंने अपनी पार्टी के आदमी को यह हिदायत की थी कि मुआवजे की ताईद करना, सात गुना मुआवजा मिले उनको....

श्री श्योपतसिंह : इसका मैंने विरोध किया है।

श्री भैरोंसिंह : आप विधान सभा के सदस्य हैं, विधान सभा की नियमावली से आपको परिचित होना चाहिये; नियमों का आपको ज्ञान होना चाहिये....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : On a point of Clarification, Sir, मैं जानना चाहूंगा कि आपने सिलेक्ट कमेटी की प्रोसीडिंग्ज पढ़ीं क्या ? क्या यह जानकारी उन प्रोसीडिंग्ज से प्राप्त की है कि उन्होंने सात गुने मुआवजे का विरोध नहीं किया ?

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : अभी उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है कि उन्होंने विरोध नहीं किया ? शर्म की बात है यह।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर (बांदीकुई) : It is no point of Order.

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे सामने एक बड़ी भारी दुविधा है। एक माननीय सदस्य ने कहा कि हमारे नेता ने मुआवजे का विरोध नहीं किया था इसलिये हमने विरोध नहीं किया। हनुमानगढ़ से आनेवाले माननीय सदस्य ने कहा कि मैंने सिलेक्ट कमेटी में इसलिये इसका विरोध नहीं किया कि हमारे नेता ने इसका विरोध नहीं किया था।

श्री श्योपतसिंह : यह गलत है।

श्री भैरोंसिंह : आप यह बता दीजिये कि आपके नेता ने क्या कहा था ?

(विराम)

नेता ने एक स्पष्ट बात इस सदन में कह दी, एक विचारधारा इस सदन में प्रस्तुत की कि इनको मुआवजा नहीं मिलना चाहिये। मैं रायसिंहनगर से आने वाले माननीय सदस्य को निवेदन करना चाहता हूं कि शब्दों में हेरफेर न करें। वे इस मामले को लेकर अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं करें। आपके एक साथी ने आपकी नीति के विपरीत नहीं किया होगा। कोई माननीय सदस्य कहते हैं कि भाई मुआवजे की बात का समर्थन करो और उन्होंने समर्थन किया, तो कोई उन पर सोच नहीं किया जाय। दिल की धारणा जिसकी होती है वह जुबान पर नहीं तो दिमाग पर छा जाती है और स्वयं पर इतना कब्जा कर लेती है कि मन नहीं होने पर भी कहने को मजबूर होना पड़ता है।

अब आप कहें कि प्रवर समिति की प्रोसीडिंग्ज देखीं या नहीं, इस पर मैं यह

(श्री भैरोंसिंह)

निवेदन करना चाहता हूं कि इस सदन के सदस्यों को यह प्रिविलेज नहीं है कि इस सदन की किसी सिलेक्ट कमेटी के कॉन्फिडेन्शियल रेकॉर्ड को देखें; एक ही प्रिविलेज है कि उसकी रिपोर्ट में किस किस ने नोट ग्रॉफ डिसेन्ट दिया है। नोट ग्रॉफ डिसेन्ट देने वालों में एक नाम है श्री मथुरेशबिहारी का जो कम्युनिस्ट नही हैं; दूसरा नाम है श्री दुर्गालाल बाढ़दार का, वे भी कम्युनिस्ट नहीं हैं। तीसरा नाम है श्री विजयसिंह झाला का, वे भी कम्युनिस्ट नहीं हैं। इन तीन माननीय सदस्यों के नोट ग्रॉफडिसेन्ट में नाम हैं, पर श्योपतसिंहजी इस नोट ग्रॉफ डिसेन्ट से गायब हैं। क्यों गायब हैं, इसका मुझे पता नहीं। पर सिद्धान्ततः उन्होंने स्वीकार किया है कि मुग्रावजा सात गुना दिया जाय। ग्राज इन्कार कर रहे हैं, इसलिये इन्कार कर रहे हैं कि उस समय कुछ नहीं कह सके। इसीलिए तो मेरी पार्टी के जयपुर से ग्राने वाले माननीय सदस्य ने प्रस्ताव रखा है कि ऐसे लोग उस प्रवर समिति में चले गये जो पार्टी के कारण ग्रपनी बात, सही बात, सिलेक्ट कमेटी में नही रख सके; इसलिये इसको एक नई प्रवर समिति में भेजा जाय।

जिस बुद्धि से ग्रापने उस सिलेक्ट कमेटी में काम लिया उस बुद्धि के कारण इस देश को नुकसान हुग्रा, राजस्थान के किसानों को नुकसान हुग्रा। हमने ग्रापकी बुद्धि को फिर से मौका देने के लिये एक नई सिलेक्ट कमेटी में इसे भेजने का सुझाव दिया है। हनुमानगढ़ से ग्राने वाले माननीय सदस्य को कहता हूं कि यह ग्रापका नैतिक कर्त्तव्य है कि ग्रापने जिस चीज को सिलेक्ट कमेटी में स्वीकार किया है, ग्रापमें नैतिकता हो तो उस चीज को सदन में स्वीकार करें।

स्वीकार कर लिया है कि नेता ने नहीं कहा था, इसलिये मैंने विरोध नहीं किया।

जयपुर से ग्राने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रस्ताव रखा है उस पर विचार करने की ग्रावश्यकता है। इसलिये ग्रावश्यकता है कि ग्रभी तो एक मेम्बर का ही क्वेश्चन सदन के सामने ग्राया है, एक ही मेम्बर के सम्बन्ध में सदन को जानकारी मिल पाई है कि किस प्रकार की मनोवृत्ति से सिलेक्ट कमेटी में काम किया ग्रौर वहां किस प्रकार के विचार रखे हैं, किस चीज पर उन्होंने दस्तखत किये हैं; ग्रौर भी माननीय सदस्यों ने इस प्रकार की गलती की हो। तो ऐसी दशा में इस में सदन में जो सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट इस विधेयक के सम्बन्ध में पेश हुई है उस पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाय ग्रौर इस विधेयक को दुबारा सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाना चाहिए। दुबारा यदि यह बिल इस कमेटी के पास पहुंचेगा तो मेरी ऐसी मान्यता है कि उन माननीय सदस्यों की विचारधारा जो सदन में व्यक्त करते ग्राये हैं कि किसानों को राहत मिलनी चाहिए, लगान सन् १९५० से लगाना चाहिये, मुग्रावजा नहीं मिलना चाहिए, उसकी मोहर सदन नहीं लगायेगा, सिलेक्ट कमेटी लगा देगी ग्रौर जो बात चाहते हैं उसे सिलेक्ट कमेटी में मनवा कर वे सदन में ग्रावेंगे। ग्रमेंडमेंट रखे जा सकते हैं। ग्रापको शायद पता है कि सिलेक्ट कमेटी में बिल इसीलिए मूव किया जाता है कि सदन का समय ज्यादा जाया न हो।

श्री श्योपतसिंह : ग्रब ग्राप प्रचार करने लग गये।

श्री भैरोंसिंह : मैं तो केवल आपका प्रचार कर रहा हूं। आपकी छाप इस सदन में ऐसी लग गयी है कि सदन आपको भूलेगा नहीं और आयन्दा सिलेक्ट कमेटी में भेजने से पहले कई बार सदन सोचेगा।

श्री श्योपतसिंह : इससे आपके कहने से छाप नहीं पड़ेगी।

श्री भैरोंसिंह : आपके ऊपर इस प्रकार की छाप लग गयी है।

श्री उपाध्यक्ष : Order please !! व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाये जायं।

श्री भैरोंसिंह : मैं तो व्यक्तिगत रूप से नहीं जाना चाहता, लेकिन माइक के इस ओर रहते हुए भी उधर मुंह सहसा चला जाता है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : वह तो आपके हाथ में है, मेरे हाथ में आवेगा तो बताऊंगा

श्री उपाध्यक्ष : Order please !

श्री भैरोंसिंह : आप बहुत ज्यादा कहें, लेकिन जो मोहर आज लग गयी है वह मिटने वाली नहीं है। आप मेरी दुनियां भर की आलोचना करें, लेकिन सदन की परम्परा को हम तोड़ने वाले नहीं हैं। हम सदन की परम्परा का पालन करते हैं और करते रहेंगे।

श्री श्योपतसिंह : आप झूठ बोल रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : झूठी बातें आप बोलते हैं और वकालात भी करते हैं। तो ऐसी हालत में जरा संयम रखना चाहिये, इस बात का ध्यान रखकर चलना चाहिये; कि इस हाउस की डिग्निटी है, सुप्रीम हाउस है इसकी मर्यादायें हैं, आपको अधिकार है बोलने का तो हमको भी अधिकार है, आपको यदि इन्टरप्ट करने का अधिकार है तो हमको भी अधिकार है। जब आपके नेता बोल रहे थे तो उस समय मैंने और मेरी पार्टी ने, किसी ने भी इन्टरप्ट नहीं किया। जिस तरह से वे हमारी तरफ इशारा करते हुए बोले तो उस समय मैं भी बोल सकता था लेकिन हमने संयम रखा। इसलिए संयम रखा कि हम डेमोक्रेसी में विश्वास रखते हैं, सदन को सुप्रीम रख कर चलते हैं, तानाशाही में विश्वास नहीं करते हैं, कम्युनिस्टों के फासिस्ट तरीकों को मनवाने में विश्वास नहीं करते हैं और जो फासिस्ट तरीकों को मनवाने में विश्वास नहीं करते हैं और जो फासिस्ट तरीके अपनाने जा रहे हैं उनके कुचल दिये जाने में विश्वास करते हैं।

श्री नत्थीसिंह : हिटलरशाही में विश्वास करते हैं।

श्री भैरोंसिंह : हिटलर का ताऊ ख्रुश्चेव, माओ-चाऊ को जिनको मंदिर में बैठा रखा है, चित्र रखे हुए हैं, जिनकी पूजा करते हैं, वह सब हमने देख रखा है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : महारानी गायत्री देवी के चित्र ?

श्री भैरोंसिंह : ये तो इन्डियन नेशनल हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, यदि मैं महारानी के चरणों में फूल भी चढ़ाऊंगा तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी, लेकिन आपत्ति उस वक्त होगी जब हमारे कम्युनिस्ट मित्र चीन के चाऊ एन लाई को माला पहिनायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : Order please !!

श्री भैरोंसिंह : मैं जो फूल चढ़ाऊंगा उनमें सुगन्ध आयेगी और वे जो चाऊ-एन-लाई को फूल चढ़ावेंगे उनमें दुर्गन्ध आवेगी ।

(शोरगुल)

श्री श्योपतसिंह : चीन का प्रचार कर रहे हैं ।

श्री भैरोंसिंह : चीन का प्रचार तो आप कर रहे हैं, चीन के चाऊ-एन-लाई के एजेन्ट बन कर । हनुमानगढ़ से जो माननीय सदस्य आये हैं........

(शोरगुल एवं हंगामा)

श्री उपाध्यक्ष : Order please !!

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

श्री मानसिंह महार : अब दस मिनट इन्हें ही बोलने दीजिये ।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : १।। घंटे बोले थे ।

श्री उपाध्यक्ष : आप बहुत ही जल्दी वाइन्ड-अप करिये ।

श्री भैरोंसिंह : दस मिनट में समाप्त कर रहा हूं ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : On a point of order Sir... .....

श्री उपाध्यक्ष : Now I will allow somebody else to speak.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : On a point of order, Sir, I demand some time to reply. There have been some personal aspersions and I wanted some time to reply on these points.

In the name of Members coming from Raisingnagar and Hanumangarh, there have been some aspersions and I want time to reply to those points.

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी रूलिंग होने से पहले माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा और यह कहना चाहूंगा कि मेरी तरफ से यदि कोई पर्सनल एस्पर्शन हुआ है तो मैं उन शब्दों को वापिस लेता हूं। लेकिन आप जरा यह बता दीजिए कि किन किन शब्दों को आप मुझसे वापिस लिवाना चाहते हैं ?

श्री श्योपतसिंह : हमको मौका दिया जायेगा तब बतायेंगे ।

श्री भैरोंसिंह : आप यह कहें कि मेरा पर्सनल एस्पर्शन यदि कोई है और सदन की प्रोसीडिंग्ज से नहीं हटावेंगे और मैं पर्सनली माफी मागूंगा........

(व्यवधान)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मुझे समय दे दो मैं आपका कुसूर बता दूंगा ।

श्री भैरोंसिंह ; इनका मतलब केवल उपाध्यक्ष महोदय, इतना सा ही है........

श्री मानसिंह महार (आमेर): This is not a plateform, Sir.

श्री उपाध्यक्ष : Now I hope, you are finishing.

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इसका केवल यह है कि पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर रैज करके उन्होंने पर्सनल एक्स्प्लेनेशन की बात कही थी, किसी प्रकार का एस्पर्शन उनके दिमाग में नहीं था । दिमाग में होता तो वे बता देते उसी समय मैं ऐसा सोचता हूं कि जो मैंने सदन से बातें कही थीं और जिनको आप

(श्री भैरोंसिंह)

एक्सप्लेन नहीं करना चाहते, सदन की डिग्निटी रखने के लिए एक बार नहीं मैं हजार बार माफी मांगने के लिए तैयार हूं। मैं समझता हूं कि मेरी ओर से कोई ऐसा शब्द निकला नहीं है और यदि निकल भी गया है तो आप मुझे बता दें।

एक माननीय सदस्य : वह भूल गये हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपकी सारी स्पीच पर्सनल आक्षेप से भरी हुई थी। २२ राजाओं की वकालत थी।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा इनको माफ कर दिया जाय, ये बेचारे रोने लगे हैं।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कोई पर्सनल एस्पर्शन नहीं लगाया। लेकिन मैं चेयर से चेयर का प्रोटेक्शन चाहूंगा। मेरा प्रोटेक्शन नहीं, इस सदन की डिग्निटी के प्रोटेक्शन के लिए चेयर के प्रोटेक्शन के लिए अभी यह कहा गया कि १॥ घंटे तक जो भाषण हुआ वह पर्सनल एस्पर्शन से भरा हुआ था। इसका मतलब यह हुआ कि चेयर ने इसको अलाऊ किया। या तो चेयर इसका फैसला करे कि सारे पर्सनल एस्पर्शन्स थे और यदि चेयर इसका फैसला नहीं करती है तो नम्र निवेदन करना चाहूंगा कि यह आप पर एस्पर्शन हैं, आपके ऊपर व्यक्तिगत नहीं हैं, सारे हाउस पर पर्सनल एस्पर्शन्स हैं।

श्री मानसिंह महार : आप फैसला कीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : Is it finished ?

श्री भैरोंसिंह : नहीं, आपका फैसला चाहिये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : I had raised a point of order, and he wants your ruling.

श्री उपाध्यक्ष : There is no question of Ruling here.

The member has been discussing in a certain manner and the other member has discussed in a certain way. It could be little out of point. It could have referred to certain things and to my knowledge they have been very general, and they cannot be considered to be very personal. However, if it will be taken as personal without the fact that he has not referred to any particular name, then of course the whole debate will be nothing. Therefore, I will request co-operation and consideration of all the members and that they will atleast preserve the decorum of the House and will not disturb the member because if he is disturbed in such a way, it is very likely and human that he diverts from this point and tries to go into certain other points. I quite agree that during the course of discussion by Shri Bhairon Singh there have been diversions from the point, quite saline which were not concened with the Bill. But while referring to such diversions, I will

(श्री उपाध्यक्ष)

other members to preserve the decorum of the House and address the Chair and not to interrupt the debate. The Debate is prolonged due to such interruptions and if more time is taken it is not anybody's fault. Hence I will request and I hope Shri Bhairon Singh has finished his speech.

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, थोड़े समय में मैं अपने भाषण को सम-अप करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : Now I will allow only five minutes.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Till so far he has finished the Communist Party, he will now finish his speech.

श्री भैरोंसिंह : On a point of order, Sir, उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक पोइन्ट ऑफ ऑर्डर रेज करता हूं, अपना भाषण देने से पहले। मेरा पोइन्ट ऑफ ऑर्डर यह है कि जैसा कि मैंने पहले सदन में निवेदन किया था कि पर्सनल एस्पर्शन की बात को लेकर रायसिंहनगर से आने वाले माननीय सदस्य ने अभी जो कुछ कहा उनके कहने का आशय यह था कि मैंने जो डेढ़ घंटे तक भाषण दिया है वह पर्सनल एस्पर्शन था। आपने इस बात की रूलिंग दे दी है कि वह पर्सनल एस्पर्शन नहीं था, बल्कि उस एस्पर्शन का कारण डाइवर्शन था। आपने जो डाइवर्शन कहा उसके सिलसिले में मैं कुछ चर्चा नहीं करना चाहता। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि क्या कोई माननीय सदस्य चेयर के ऊपर मोटिव्ज इम्पूट कर सकता है। 'मोटिव्ज' इस सेन्स में कि डेढ़ घण्टे तक मेरा भाषण हुआ वह पर्सनल एस्पर्शन था, उस पर भी चेयर ने इन्टरप्ट नहीं किया, चेयर को इन्टरप्ट करना चाहिये था। सदन की जो नियमावली है उस नियमावली के नियमों के अन्तर्गत यह प्रावधान है कि कोई माननीय सदस्य यदि किसी पर पर्सनल एस्पर्शन करता है तो चेयर की तरफ से रोका जायगा। माननीय सदस्य ने जो आपत्ति की कि चेयर ने मुझे रोका नहीं और रोका नहीं तो चेयर ने डेकोरम मेन्टेन नहीं किया—सदन का डेकोरम मेन्टेन नहीं किया। आपसे मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि या तो आप इस चीज को सदन की प्रोसीडिंग्ज़ से निकलवा दें; यह एक प्रकार से आपके ऊपर एस्पर्शन है; यदि आप नहीं निकलवाते हैं तो ये चीजें प्रोसीडिंग्ज़ में आ जायेंगी तो जो भी अन्य जगहों के लोग इसे देखेंगे तो वे अनुभव करेंगे कि राजस्थान विधान सभा में उपाध्यक्ष पर एस्पर्शन हो जाते हैं उनको भी पब्लिश कर दिया जाता है। यह अन्य विधान सभाओं के लिये एक नजीर हो जायगी। इसलिये मेरा इस पोइन्ट ऑफ ऑर्डर के जरिये निवेदन है कि इन शब्दों को सदन की प्रोसीडिंग्ज़ से एक्सपन्ज किया जाय।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : On a point of order, Sir.......

श्री भैरोंसिंह : There cannot be another point order when there is already a point of order before the Chair.

श्री उपाध्यक्ष : Yes, there is already a point of order.

The Hon'ble member has said with Hon'ble Shri Handa's reference that the entire speech was a personal speech, particularly when I ruled it was not a personal speech, was an aspersion on the Chair itself; it will be stretching the words too much and it will be leading to a meaning which probably the Hon'ble Member never meant. There have been no aspersions on the Chair and hence this point of order does not stand.

The time is Over. सदन की कार्यवाही कल दिनांक २१ अगस्त, १९६३ के दिन के २.३० बजे तक स्थगित की जाती है।

(तद्नन्तर सदन की कार्यवाही ८ बजे रात्रि को दिनांक २१ अगस्त, १९६३ के म. प. २.३० बजे तक के लिये स्थगित हुई)

———

संक्षिप्त-विवरण

(मंगलवार, दिनांक २० अगस्त, १६६३)

	स्कम्भ
तारांकित प्रश्नों के शीर्षक	१

डामर रोड़ बनाने का ठेका ।

बाड़ी प्रोपर में मुन्सिफ मजिस्ट्रेट की नियुक्ति ।

डकैत ।

शिड्यूल्ड कास्ट एण्ड ट्राइब्स रिसर्च संस्था ।

सरेरी बांध का पानी ।

रंगरूटों की भर्ती ।

आदिवासियों के कल्याण हेतु कार्य ।

बूंदी के खटकड़ मायजा होकर बसें और मोटर गाड़ियों का आवागमन ।

भीलवाड़ा में कत्ल के मामले ।

लक्ष्मणगढ़ से कठूमर व खेड़ली तक सड़क ।

ऊन उद्योग के मजदूरों के लिये मिनिमम वेजेज ।

कार्यालय के स्थान परिवर्तन से असुविधा ।

दूकान खुले रहने का समय ।

भाखरा की बिजली की दरें ।

स्कम्भ

रोडवेज़ की गाड़ियां—भरतपुर-दिल्ली ।

नावां तहसील के औषधालय ।

कुंडेली बांध के द्वारा जमीन की सिंचाई ।

पक्की सड़क--फलौदी ।

सरकारी सामान का दुरुपयोग ।

नागौर जिले में सड़कें ।

जयपुर—भरतपुर रूट पर रोडवेज़ की बसें ।

नाला बांधने का कार्य ।

तालाब की दुरुस्ती ।

भूतपूर्व कोटा राज्य के समय बनाये गये चैकडेम की मरम्मत ।

सरकारी बांधों से होने वाली सिंचाई की दरें ।

आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति को प्रोत्साहन देने के लिये विभिन्न कार्य ।

जालौर उच्चस्तरीय माध्यमिक विद्यालय का हॉल ।

तहसील कामां में बंध ।

मारोठ व चितावा पुलिस थानों में दर्ज मुकदमे ।

स्कम्भ

बिजली की दरें।

बांध की मरम्मत।

स्थगन प्रस्ताव ७५–८३

पी. डब्ल्यू. डी. कर्मचारी यूनियन, उदयपुर की मांगों से संबंधित, श्री जोधसिंह चौहान, सदस्य, विधान सभा, तथा जयपुर नगर स्थित सिन्धी कैम्प में रहने वाले पुरुषार्थियों से संबंधित श्री भैरोंसिंह, सदस्य, विधान सभा के स्थगन-प्रस्तावों को प्रस्तुत करने की अनुमति अध्यक्ष महोदय द्वारा नहीं दी गई।

सदन की मेज पर रखे गए पत्र ९५

श्री बालकृष्ण कौल, वित्त मंत्री, ने निम्नांकित पत्र सदन की मेज पर रखेः—

(१) राजस्थान राज्य के विनियोग लेखे, १९६१-६२

(२) राजस्थान राज्य के वित्त लेखे, १९६१-६२

(३) अंकेक्षा प्रतिवेदन, १९६३

कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन तथा उस पर सहमति ९६

श्री मथुरादास माथुर ने कार्य सलाहकार समिति के दसवें प्रतिवेदन का उपस्थापन किया। तत्पश्चात् श्री माथुर द्वारा प्रस्तुत निम्नांकित प्रस्ताव सदन द्वारा स्वीकार किया गया।

"यह सदन कार्य-सलाहकार समिति के दसवें प्रतिवेदन से अपनी सहमति प्रकट करता है।"

विधायी कार्य–विचारार्थ लिया गया विधेयक

राजस्थान भूमि सुधार तथा भू-स्वामियों की भू-सम्पदा अवाप्ति विधेयक, १९६३ ९७

श्री रामप्रसाद लड्ढा, उप-मंत्री, राजस्व, द्वारा प्रस्तुत इस प्रस्ताव परकि प्रवर समिति द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त विधेयक को विचारार्थ लिया जाय, आज भी बहस की गई जिसमें निम्नांकित सदस्यों ने भाग लिया :

(१) श्री मुकटबिहारीलाल गोयल

(२) श्री ब्रजसुन्दर शर्मा

(३) श्री रामानन्द अग्रवाल

(४) श्री ज्वालाप्रसाद

(५) श्री भैरोंसिंह

सदन की बैठक रात्रि के ठीक ८ बजे बुधवार, दिनांक २१ अगस्त, १९६३ को २.३० बजे तक के लिए स्थगित की गई।

बुधवार, २१ अगस्त, १९६३ की कार्य-सूची

विचारार्थ लिये गये विधेयक :—

(१) राजस्थान सार्वजनिक उद्यान (संशोधन) विधेयक, १९६३

(२) राजस्थान मनोरंजन कर (संशोधन) विधेयक, १९६३

(३) राजस्थान ग्रामदान (संशोधन) विधेयक, १९६३

(४) राजस्थान माध्यमिक शिक्षा (द्वितीयसंशोधन) विधेयक, १९६३

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ४६ का उत्तर देखिये)

कोटा डिविजन में सन् १९५७ से १९६१ तक आदिवासियों के लिये विभाग द्वारा व पंचायत समितियों को विभाग द्वारा दी गई अनुदानित धन-राशि का प्रावधान व खर्चे का विवरण

क्रमांक	प्रवृत्तियां	कोटा जिला — पंचायत समिति द्वारा प्रावधान	कोटा जिला — पंचायत समिति द्वारा खर्चा	कोटा जिला — विभाग द्वारा खर्चा	बूंदी जिला — पंचायत समिति द्वारा प्रावधान	बूंदी जिला — पंचायत समिति द्वारा खर्चा	बूंदी जिला — विभाग द्वारा खर्चा	झालावाड़ जिला — पंचायत समिति द्वारा प्रावधान	झालावाड़ जिला — पंचायत समिति द्वारा खर्चा	झालावाड़ जिला — विभाग द्वारा खर्चा
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११
१.	बुनियादी पाठशाला	....	....	२५४४१	....	....	....	....	....	६११०
२.	छात्र-वृत्ति	१६५००	१५८६८	२१४६१	७०००	६२००	१६५३	११५६०	६७८७	१४५३३
३.	समाज शिक्षण केन्द्र	....	....	७७१८	....	४००	....	....	....	....
४.	छात्रावास आदिवासियों के लिये	....	....	६१५२३	....	....	....	....	....	१३६४०
५.	पुनर्वास (कालोनी व गृह निर्माण)	६०७५०	७०६००	२६६७००	२७२५०	२७२५०	....	३७२५०	३५१६०	....
६.	औषधि-वितरण	....	....	३६२८६	....	....	....	....	....	....
७.	कुटीर-उद्योग	....	....	६७५३	....	....	....	....	....	....
८.	स्वयं सेवी संस्थाओं को अनुदान	....	....	४१८१४	....	....	२५१२	....	....	५६८८
९.	पानी पीने के कुओं को अनुदान	३८०००	१३८५८	१४०००	१६०००	८०००	....	१००००	१०४२५	....
१०.	तालाब और बांध	१००००	२२०००	४४६८७	....	....	....	....	....	....
११.	सड़कें	३०००	१००००	१५८८४	....	....	....	....	....	....
१२.	मेनगोला	....	....	१६१७०	....	....	....	....	....	....

परिशिष्ट

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११
१३.	सिंचाई के कूप	११४००	४८९००	९९००	४६५००	१६५००	४०२००	३१०००	११९४५	२६००
१४.	कृषि औजार एवं बैल की खरीद के लिए सहायता	१४७५०	७६००	....	६२५०	५९५०	३२५०	४७७५०	५७६५	२००
१५.	अग्नि पीड़ितों को सहायता	....	....	....	....	....	....	....	....	१२४
१६.	सहकारिता	....	२५००	....	....	....	....	....	....	....
१७.	स्कूल निर्माण हेतु सहायता	....	६०००	...	....	....	....	....	....	....
१८.	स्वास्थ्य हेतु सहायता	....	....	....	....	....	....	....	४००	....

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ६५ का उत्तर देखिये)

STATEMENT SHOWING THE LIST OF ROADS INCLUDED DURING IIIrd F.Y. PLAN.

Name of District — Nagaur

S. No.	Name of Works	Mileage.
	WORKS IN PROGRESS FROM II PLAN	
1.	G/R from Deh to Ladnu via Jalore Sarpalia.	23
2.	G/R from Deh to Lalgarh via Chain Nami Jodhan	7
3.	G/R from Ramsia to Kuchaman via Mandukhera and Bursu.	25
4.	M/R from Marot to Data Ramgarh.	2
5.	G/R from Degana to Taranagar via Bursu	1
6.	B/T of road from Sambher to Kuchman	4
7.	B/T of road from Deedwana to Kuchaman	4
8.	G/R from Lampolia to Degana via Bagar Polies Itwa	14
9.	G/R from Sankhawas to Khajwaha	3
10.	G/R from Khatu to Kuchera	—
11.	M/R from Manglana to Narainpur	4
12.	G/R from Bhagu to Pancili via Bhudel	17
13.	G/R from Deedwana to Sikar via Losal	1
	WORKS PROPOSED IN THE III FIVE YEAR PLAN	
14.	G/R from Merasi to Pualota.	3
15.	M/R from Makrana to Rupanagar via Mangalwana and Parbatsar.	24

S. No.	Name of works	Mileage
16.	M/R from Pipar city to Merta city via Khejrla upto district border	11
17.	Const. of roads at Badi Ghati Khutu in connection with the repairs and improvement of Ghati	—
18.	G/R from Rodu to Mithri	1
19.	Const. of vented causeway in mile 4 of Prabatsar Roopnagar road.	---
20.	Recondicationing & B/T of Nagour Deedwana road.	20
21.	B/T upgrading of Prabatsar to Bharunda via Harsora	3
22.	B/T of Sujangarh to Deedwana via Ladanu	11
23.	B/T of road from Nagour to Merta-city and beyond upto Bari Ghati via road including regarding	22
24.	Const. of Vented causaway across river Mandah in mile 12 of road from Kuchaman city to Sanbhar.	--.
	Total	200

APPROACH ROADS

S. No.	Name of works	Mileage
1.	Metalling & B/T of A/R to Ladaria village linking with Kuchaman-Deedwana Road.	¼
2.	G/R from Degana Rly. Station to Nimbhili village	6
3.	A/R to Mangalana village to Talab.	---
4.	Improvement of B/T of Mokha Deedwana approach road	---
	Total	206¼

परिशिष्ट ३

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ७७ का उत्तर देखिये)

CRIME STATEMENT SHOWING BURGLARIES AND THEFTS CASES OCCURRED IN P. S. MAROTH AND CHITAWA DURING 1961-1962 & 1963

ame of P. S.	Offences.	Year.	No. of cases reported.	No. of cases unoccurred	No. of cases remained un-traced	No. of cases challaned.	No. of cases convicted.	Pending trial.	Pending Investigation.	Cases in which property recovered.	Stolen property	Recovered Property.	Percentage of Property recovered.	Remarks.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Burglaries.	1961	7	—	4	3	—	3	—	3	Rs. 4504/-	Rs. 548/-	12.16%	
		1962	6	—	1	5	2	3	—	5	Rs. 6826/-	Rs. 5851/-	85.82%	
AROTH.		1963 upto June.	2	—	1	—	—	—	1	—	Rs. 355/-	Rs. Nil	0%	
	Total	1961 to 1963.	15	—	6	8	2	6	1	8				
	Thefts.	1961	5	2	2	1	—	1	—	1	Rs 658/-	Rs. 500/-	75.98%	
		1962	9	2	3	4	1	3	—	4	Rs. 2230/-	Rs. 980/-	43.94%	
		1963 upto June	5	—	—	3	—	3	2	3	Rs. 917/-	Rs. 730/-	79.60%	
	Total.	1961-63.	19	4	5	8	1	7	2	8				
Total of theft & burglaries from 1961-1963			34	4	11	16	3	13	3	16	Rs. 15490/-	Rs. 8609/-	55.57%	
	Burglaries.	1961	8	—	5	3	—	3	—	3	Rs. 8059/-	Rs. 2027/-	25.14%	
		1962	2	—	2	—	—	—	—	—	Rs. 1493/-	Rs. Nil	Nil.	
HITAWA.		1963 upto June	2	—	—	—	—	—	2	—	Rs. 320/-	Rs. Nil	Nil.	
	Total.	1961-63.	12	-	7	3	—	3	2	3				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Thefts.	1961	8	—	2	6	—	6	—	6	Rs. 3980/-	Rs. 2260/-	56.78%	
		1962	6	2	2	2	—	2	—	2	Rs. 1115/-	Rs. 1050/-	94.17%	
		1963 up to June	8	1	1	2	—	2	4	2	Rs. 1380/-	Rs. 730/-	52.89%	
Total 1961—63			22	3	5	10	—	10	4	10				
Total of thefts and burglaries 1961—1963.			34	3	12	13	—	13	6	13	Rs. 16347/-	Rs. 6067/-	37.11%	
Grand Total			68	7	23	29	3	26	9	29	Rs. 31837/-	Rs. 14676/-	46.09%	

परिशिष्ट ४

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ७८ का उत्तर देखिये)

STATEMENT NO. 1.

RAJASTHAN STATE ELECTRICITY BOARD.

STATEMENT OF TARIFF OF RAJASTHAN

Net average rates ——— Naya Paisa per unit

Category of loads	HYDEL		STEAM			New Diesel
	Chambel	Bhakra	Alwar & Bharatpur	Jodhpur	Location fed from Jodhpur Alwar & Bharatpur.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1. DOMESTIC.						
(a) Light & Fan	37	37	37	37	44	50
(b) Heat & Power	19	19	19	22 (approx.)	23	25
2. COMMERCIAL.						
(a) Light & Fan	37	(36 to 11 varying with consumption)	37	37	44	50
(b) Heat & power	19		19	22 (approx)	23	25
3. IRRIGATION.	12	12	12	12	12	12
4. PUBLIC LIGHTING.	22.3	36 to 27 (approx. include maint. & renewal of bulbs.)	19	19	23	35

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
5. INDUSTRIES.						
(i) Small	12.5	(13 to 9 varies with consumption)	19	22 to 19 (approx. varying with consumption)	23	25
(ii) Medium	12.5	11 to 9 (varies with consumption)	19	22 to 14 (approx. varying with consumption	23	25
(iii) Large	7 to 8 (approx.)	7.5 to 5.5 (varies with consumption)	12	22 to 12 (approx. varying with consumption)	—	—

Note : The rates for Water Works are the same as Industrial rates.

परिशिष्ट

RAJASTHAN STATE ELECTRICITY BOARD

STATEMENT OF TARIFF IN RAJASTHAN

FOR OLD DIESEL STATIONS

Category of load	Net average rates—Annas per unit.					
	Dhol-pur.	Dungar-pur.	Jaisal-mer	Phalodi	Sirohi	Sag-wara
1. DOMESTIC & COMMERCIAL						
(a) Light & Fan	7	8	8	10	8	8
(b) Heat and Power	3.5	3	4.5	6	4	3
2. IRRIGATION	2	2	2	2	2	2
3. PUBLIC LIGHTING	3	3	3	5.75 (35 nP.)	3	3
4. INDUSTRIES.						
Small	3.5	3 to 4	4.5	6	4	3

परिशिष्ट

STATEMENT No. 2

STATEMENT OF TARIFF PRIOR TO 1-4-1961 AND AFTER 1-4-1961

(The revised rates are actually enforced from different dates in different places after 1-4-1961. (2) In general the new rates are lesser than the old rates)

CATEGORY OF LOADS	OLD RATES PRIOR TO 1-4-61									New Rates After 1-4-1961		
	Bikaner	Kota	Jaipur	Alwar	Bharatpur	Bhilwara	Tonk	Chittorgarh and Sawai Madhopur	Nawai-Banasthali	Bikaner	Kota, Jaipur Tonk, Chittorgarh, Sawai-Madhopur, Bhilwara, Nawai-Banasthali.	Alwar, and Bharatpur
	As.	As.	As.	As.	As.	As.	As.	As.	As.	nP.	nP.	nP.
1. DOMESTIC												
(a) Light & Fan	6	6.5 to 7	6	8	7	8	8	8	8	37	37	37
(b) Heat & Power	3	4	3	3	3	3	3	4	3	19	19	19
2. COMMERCIAL												
(a) Light & Fan	6	6.5 to 7	6	8	7	8	8	8	8	36 to 11	37	37
(b) Heat & Power	3	4	3	3	3	3	3	4	3		19	19
3. Irrigation	2 to 3	4	3	3	3	3	3	4	3	12	12	12
4. Public Lighting	3	3	3	3	3	3	3	5.75	3	36 to 27 including maintenance & renewals of bulbs.	22.3	19
5. INDUSTRIES												
(a) Small	3	4	3	3	—	3	3	4	3	13 to 9	12.5	19
(b) Medium	3	3 to 4	3	3	2 to 3	3	3	4	3	11 to 9	12.5	19
(c) Large	—	3 to 4	2	2.5	—	3	3	4	3	7.5 to 5.5	7 to 8	12

शुद्धि-पत्र

(मंगलवार, दिनांक २० अगस्त, १९६३)

स्कंभ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१०	३	जेसलमेर	जैसलमेर
१५	१४	रामलाला	रामलाल
२२	५	श्री कृष्णगोपाल गोयल	श्री कृष्णकुमार गोयल
२५	१६	खेलड़ी	खेड़ली
२७	शीर्षक	२० अगस्त, १९६१	२० अगस्त, १९६३
३४	अन्तिम	रेटस	रेट्स
४६	५, २२	श्री मुथरेशबिहारी माथुर	श्री मथुरेशबिहारी माथुर
५०	४	श्री मुथरेशबिहारी माथुर	श्री मथुरेशबिहारी माथुर
५५	शीर्षक	ताराकित प्रश्नोत्तर	तारांकित प्रश्नोत्तर
६०	११	स्थिति	स्थिति
६४	८	हे।	है।
६७	१२,१३	[श्री मुकटबिहारीलाल गोयल	[श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल
७३	११	न मै	न मैं
७४	अन्तिम से ४	देने का	देने को
७५	शीर्षक	२० अगस्त, १९६१	२० अगस्त, १९६३
७६	७	अबिलम्बर्नाय	अबिलम्बनीय
,,	१०	मे	मैं
७६	१०	श्री मैरोंसिह	श्री भैरोंसिंह
८०	शीर्षक	सम्बम्धी	सम्बन्धी
,,	अन्तिम से ३	श्री जोधसिह	श्री जोधसिंह चौहान
८३	४	(बमाना)	(बयाना)
८८	शीर्षक	सम्बम्धी	सम्बन्धी
,,	१६	श्री मुकटबिहारीलाल गोयल	श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल

१	२	३	४
८८	२२,३०	जबाब	जवाब
६१	शीर्ष	(श्री माणकचन्द सुराणा)	(श्री मानिकचन्द सुराणा)
,,	१२,१६	श्री मुकटबिहारीलाल गोयल	श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल
६५	११	वाकी	बाकी
६६	४	(गृह मंत्रो)	(गृह मंत्री)
६८	६	माननीय सदस्य एक	एक माननीय सदस्य
६६	अन्तिम से ५,२	देव के घने	देव के घने वन
१०२	अन्तिम से ३	कस्टीवेटर	कल्टीवेटर
१०४	२७	स्तान	स्तान की
१०५	१	जो इसं	जो इस
१०६	१२	प्रीबिलेजेज	प्रिविलेजेज्
११७	१८	एक्वौजीशन	एक्वीजीशन
११८	१८	चाह	चाहें
,,	२४	बनान	बनाने
,,	२७	अ र	और
१२५	अन्तिम से ४	का	को
१३०	अन्तिम से ५	कोशिश का ।	कोशिश की ।
१४३	अन्तिम से ३	नी	नो
१४४	२६	श्रो रामानन्द अगवाल	श्री रामानन्द अग्रवाल
१५३	शीर्ष	श्री रामानन्द अग्रवाल	श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा
१५५	१	श्री मुकटबिहारीलाल गोयल	श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल
१५७	१६	श्री मुकटबिहारीलाल गोयल	श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल
१६३	१	परसी की	किसी पर
१६६	१६	श्री भैरोसिंह	श्री भैरोंसिंह
१७२	१६	पार्टी मैं	पार्टी में
१७३	१५,२०	श्री भैरोसिंह	श्री भैरोंसिंह
१८६	१८	श्री चन्दनमल वेद	श्री चन्दनमल वैद
१६६	शीर्ष	(श्री भैरोंसिंह)	(श्री भैरोंसिंह)

१	२	३	४
२०६	२१	वोद	वोट
२०८	स्कम्भ	॰०८	२०८
,,	शीर्षक	१६६२	१६६३
,,	अन्तिम से ३	आपक	आपकी
२०६	१३	नहों	नहीं
२१३	शीर्षक	–२० अगरत,	–२०ं अगस्त,
२२०	१८	श्री मैंरोंसिह्	श्री भैरोंसिह्
२२४	अन्तिम से ३	whieh	which
२२६	१	ताराकित	तारांकित
२३६	१	परिशिष्ठ	परिशिष्ट